Tuesday, 08 June, 1971

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
1-8-94
Fumigated
On 2-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 12, मंगलवार, 8 जून, 1971/18 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 12, Tuesday, June 8, 1971/Jyaistha 18, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
333. कानपुर के चमड़ा उद्योगों में त्रिफले की कमी	Shortage of Myrobalan Nuts in Leather Industries, Kanpur ..	1—3
334. गुमटी पन बिजली परियोजना के निर्माण में प्रगति	Progress re : Constructions of Gumti Hydel Project ..	3—4
335. बिहार के लघु उद्योगों में लोहे तथा इस्पात की कमी	Shortage of Iron and Steel in Small Scale Industries in Bihar ..	4
336. चौथी योजना के दौरान ग्रामों का विद्युतीकरण	Rural Electrification during Fourth Plan ..	4—10
337. मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ताप बिजली घर का प्रयोग में न लाया जाना	Satpura Thermal Power Station, Madhya Pradesh lying idle ..	10—13
341. भारतीय रेलों का विद्युतीकरण	Electrification of Indian Railways ..	13—14
345. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के साथ कन्टेनर फ्रेट सेवा का मिलाया जाना	Linking up of container freight Service with International Traffic ..	14
349. नर्मदा नदी सम्बन्धी न्यायाधिकरण	Narmada River Tribunal	14—15
351. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Inquiry Commission, British India Corporation ..	16—18
352. किराये माल भाड़े और यात्रा के किराये में वृद्धि	Increase in freight rates and passenger fare ..	18—20
354. राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये बृहद योजना	Master Plan for Rural Electrification in Rajasthan ..	20—21
358. दिल्ली से वालटेयर तक सीधी गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of direct train from Delhi to Waltair ..	21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

331. बड़े व्यापार गृहों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक कारखानों की स्थापना	Setting up of Industrial Units in Backward Areas by Big Business Houses ..	21—22
332. व्यास सतलुज लिंक परियोजना के निर्माण में विलम्ब	Delay in Construction of Beas Sutlej Link Project ..	22
338. मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बैंच का स्थापित किया जाना	Setting up of a Bench of Allahabad High Court at Meerut ..	22—23
339. आसाम में बाढ़ नियंत्रण	Flood Control in Assam ..	23
340. डीलक्स तथा वेस्टर्न एक्सप्रैस रेल गाड़ियों के सवाई माधोपुर जंक्शन पर रोकने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposals to Halt Delux and Western Express trains at Sawai Madhopur ..	23
342. अतिरिक्त मशीनरी के निर्माण के लिये मैसर्स वोल्टास को लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licence to Voltas for Manufacture of Additional Machinery ..	23—24
343. कलकत्ता जाने वाली कोलफील्ड एक्सप्रैस के डिब्बों में धनबाद स्टेशन पर आग लग जाना	Coaches of Calcutta Bound Coalfield Express Gutted at Dhanbad Station ..	24
344. गोल्ड स्पाट और कोका-कोला की बोतलें भरने वाले कारखानें	Bottling Plants for Gold Spot and Coca Cola ..	24—25
346. कोयले और इस्पात की कमी के कारण लघु उद्योगों का बन्द होना	Closure of Small Scale Industries due to Shortage of Coal and Steel ..	25
347. सतलुज नदी में पानी की सतह गिरने से दिल्ली में बिजली की कमी	Shortage of power in Delhi due to fall of water level in Sutlej ..	25—26
348. मतगणना की नई प्रक्रिया	New Procedure for counting of votes ..	26—27
350. रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिल्ली में कोयले की कमी	Shortage of coal in Delhi due to strike of Railway Workers ..	27
353. चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं बनाने के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की उपसमिति की सिफारिशें	Recommendations of sub-committee of Development Council on leather and Leather Goods Industries ..	27—29
355. रेलवे विद्युती करण विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों का पुनः काम पर लगाया जाना	Absorption of retrenched employees of Railway Electrification Project ..	29—30
356. राजस्थान गंडक, कोसी तथा अन्य नहर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	Credit from Nationalised Banks for early completion of Rajasthan Gandak, Kosi, and other Canal Projects ..	30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		

357. नई दिल्ली से मद्रास के लिये एक्सप्रैस गाड़ी आरम्भ करना	Introduction of Express from New Delhi to Madras ..	30—31
359. कोयले की कमी से उद्योगों को हानि	Industries suffering for Want of Coal ..	31
360. भारतीय रेलवे के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में रेल-गाड़ियों के चलने में बाधा	Disruption of Train service on the Eastern and South Eastern Sectors of Indian Railways ..	32
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1501. नई चालू की गई रंगदार लाईट सिगनल व्यवस्था के गीयर टेस्ट किये बिना सुरक्षा प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना	Grant of Safety Certificates without testing the Gears of Newly Introduced colour Light Signalling ..	32
1502. दिल्ली में स्कूटरों की मांग और सप्लाई में अन्तर	Gap between supply and Demand of Scooters in Delhi ..	33
1503. लैम्बरेटा स्कूटरों में प्रयुक्त येन्को स्पीडो मोटर के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Yenkay speedometer used in Lambretta Scooters ..	33—34
1504. मन्दसौर स्टेशन (पश्चिम रेलवे पर रेलवे आउट एजेंन्सी का पुनः खोला जाना	Re-opening of Railway out Agency at Mandsaur Station (Western Railway) ..	34
1505. अत्यावश्यक सामग्री की कमी के कारण प्रदेश में लघु उद्योगों का बन्द होना	Closure of Small Scale Industries in Madhya Pradesh due to Shortage of Essential of Material ..	34
1506. न्यायपलिका के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन	Changes in present set up of Judiciary ..	35
1507. आपराधिक मामलों सम्बन्धी प्रतिक्रियात्मक विधि में संशोधन करने हेतु एक व्यापक विधान लागू करना	Introduction of a Comprehensive Legislation for amending Procedural Law and Criminal Matters ..	35
1508. उत्तर बिहार क्षेत्र को कोयले की सप्लाई	Supply of coal to North Bihar area ..	35
1509. रेलवे के प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप	Alleged Political Interference in the day to day Administration of Railways ..	36
1510. विदेशी अधिकृत कम्पनियों के वरिष्ठ पदों का भारतीयकरण	Indianisation of Superior Posts in Foreign owned Companies ..	36—37
1511. उपभोक्ता वस्तुओं का राज्य व्यापार	State Trading in consumer goods ..	37

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1512. बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने के लिये औद्योगिक एकक	Industrial Units to provide employment to unemployed Engineers ..	37
1513. जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की बैंच को पुन: खोलना	Reopening of Bench of Rajasthan High Court at Jaipur ..	38
1514. पश्चिम बंगाल में डिब्बा उद्योग के लिये इस्पात की कमी	Steel shortage for wagon building Industry in West Bengal ..	38
1515. उपभोक्ता और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of consumer goods and essential commodities ..	38—40
1516. दक्षिणी भारत में दियासलाई की फैक्टरियों का बन्द होना	Closure of match factories in South India ..	40—41
1517. उत्तराखंड में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य	Prices of consumer goods in Uttara-Khand area ..	41
1518. बड़े व्यापार गृहों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial Licences to big Business Houses ..	41—42
1519. कटक पारादीप रेलवे लाइन	Cuttack Paradeep Railway line ..	42
1520. बाढ़ सम्बन्धी भविष्यवाणी चेतावनी देने वाले केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Flood Forecasting and warning centres ..	42—43
1521. जापान के सहयोग से सरकारी क्षेत्र के टायर बनाने का कारखाना लगाया जाना	Setting up of a Tyre Plant in Public Sector with Japanese Collaboration ..	43—44
1522. गुमटी पन बिजली परियोजना की अनुमानित लागत	Cost Estimate of Gumti Hydel Project ..	44
1523. रेलवे गुड्स शैड अलवाय (केरल) के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by workers of Railway goods shed Alwaye (Kerala) ..	44—45
1524. बम्बई सेन्ट्रल और कोटा के बीच चलने वाली देहरादून एक्सप्रैस और जनता एक्सप्रैस गाड़ियों में बर्थों और बैठने के स्थानों की संख्या में वृद्धि	Increase in berths and seats in Dehradun Express and Janata Express between Bombay Central and Kotah ..	45
1525. मिराज कुरदूवाडी लत्तूर लाइन (दक्षिण मध्य रेलवे) को बड़ी लाइन में बदला जाना	Conversion of Miraj Kurduvadi Latur Line into broad gauge (South Central Railway) ..	45
1526. कागज मिलों के प्रसार के लिये योजनायें	Schemes for Expansion of Paper Mills ..	46
1527. निर्वाचन विधियों में सुधार	Reform of Election Laws ..	46
1528. उद्योगों को प्रोत्साहन	Incentives to Industries ..	46—47

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1529. मेरठ में एक आयकर अधिकरण बैंच की स्थापना	Settingup of a Bench of Income Tax Tribunal al Meerut	..	47
1530. रेलों में चोरी और जंजीर खींचने आदि की घटनायें	Thefts, Chain Pulling etc. in Railways	..	47
1531. बाटा कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, बाटानगर (पश्चिम बंगाल) द्वारा जूतों का निर्माण तथा निर्यात	Production and Export of Shoes by Bata Company (P) Ltd., Batanagar (West Bengal)	..	47—48
1532. अन्य देशों की तुलना में विद्युत जनन की लागत	Cost of Power Generation in Comparison to other Countries	..	48—49
1533. जापान के साथ किये गये सहयोग करार	Collaboration Agreements with Japan	..	49—50
1534. केरल के कन्नानोर जिले के अझिकल तट की समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा	Protection of Azhickal Coast in Cannanore District of Kerala from Sea erosion	..	50
1535. एरणाकुलम और क्विलोन को मिलाने के लिये तटवर्ती रेलवे	Coastal Railway linking Ernakulam and Quilon	..	50—51
1536. जयपुर सवाई माधोपुर लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना और धौलपुर गंगापुर नगरों के बीच नई रेलवे लाइन का बिछाया जाना	Conversion of Jaipur Sawai Madhopur Line into Broad Gauge and New Railway Track between Dholpur and Gangapur cities	..	51
1537. जयपुर तथा सवाई माधोपुर जंकशनों पर ऊपरी पुलों का निर्माण	Construction of Over Bridges at Jaipur and Sawai Madhopur Junctions	..	51
1538. उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में नये रेलवे स्टेशनों का खोला जाना	Setting up of New Railway Stations in Bikaner Division on Northern Railway	..	51—52
1539. दिल्ली और अबोहर और दिल्ली और हिन्दु मालकोट के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों का विस्तार	Extension of Railway Trains running between Delhi and Abohar and Delhi and Hindumalkot	..	52
1540. बम्बई में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in Bombay	..	52—53
1541. मैसर्स जैनिथ स्टील पाइप्स को लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Licence to Zenith Steel Pipes	..	53
1542. ओलावकोडे डिवीजन केरल के छंटनी किये गये कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of Retrenched Employees of Olavakkode Division, Kerala	..	53
1543. राजस्थान और गुजरात के जल संसाधनों के बारे में गोष्ठी	Seminar on Water Resources of Rajasthan and Gujarat	..	54
1544. पूर्वी रेलवे के सियालदाह डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण	Attack on Railway stations on Eastern Railway Sealdah Division	..	54

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

1545. बम्बई स्थिति खादी ग्रामोद्योग आयोग उपनिदेशक द्वारा धन का दुर्विनियोग	Misappropriation of Funds by Deputy Director of KVIC Bombay	..	54
1546. बिजली की कमी के कारण फरीदाबाद स्थित कारखानों को हुई हानि	Loss suffered by Faridabad Factories due to Shortage of Electricity	..	55
1547. संयुक्त राष्ट्रसंघ के भूतापी विशेषज्ञों के सुझाव	Suggestion of UN Geothermal Experts	..	55
1548. बिजली का उत्पादन	Power Generation	..	55—57
1549. मैसूर में नयी रेलवे लाइनों के लिये सर्वेक्षण	Survey for new Railway lines in Mysore	..	57
1550. लोक सभा मध्यावधि चुनाव के लिए उम्मीदवार	Candidates for Lok Sabha Mid Term Poll	..	58
1551. चौथी योजना में सिंचाई क्षमता का निर्माण	Creation of Irrigation potential in Fourth Plan	..	58
1552. आंध्र प्रदेश में व्यापारियों को फलों के लिए परिवहन सुविधायें	Transport facilities for fruits to traders in Andhra Pradesh	..	58—59
1554. सियालदाह बेलघोरिया लाइन पर यात्रियों की हत्या	Killing of passengers on Sealdah-Belghoria line	..	59
1555. चुराये गये रेलवे के बिजली के तारों का दिल्ली की एक फर्म के गोदाम से मिलना	Recovery of stolen Railway electric wire from godown of Delhi firm	..	59
1556. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के लिए जमानत के रूप में जमा राशि	Security deposits for elections to Lok Sabha and State Assemblies	..	59
1557. दिल्ली हावड़ा लाइन पर नई रेल गाड़ी का चलाया जाना तथा उसकी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करना	Introduction of new train and Increase in existing capacity on Delhi Howrah Line	..	60
1558. मध्य रेलवे में शेड रहित प्लेटफार्म	Platform without sheds on Central Railway	..	60
1559. मथुरा और ग्वालियर में सहायक स्टेशन मास्टरों (केबिन) को वर्दियों का सप्लाई न किया जाना	Non supply of Uniforms to Assistant Station Masters (Cabin) at Mathura and Gwalior	..	60
1560. भारतीय रेलवे द्वारा ढोये गये माल की मात्रा	Goods handled by Indian Railways		60—61
1561. नादियाद भद्रान छोटी लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन किया जाना	Conversion of Nadiad Bhadran Narrow Gauge line into Broad Gauge Line	..	61

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1562.	उद्योगों में निवेश के कार्यक्रमों की क्रियान्विति से अवरोधों को हटाने के लिये कार्य करने वाले तंत्रों की स्थापना	Setting up of Task Forces for removal of obstacles in Implementation of investment programmes in Industry ..	61—62
1563.	हड़ताल की समाप्ति के बाद पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Purvottar Railway Mazdoor Sabha after termination of strike ..	62
1564.	रेलवे में काम कर रही पंजीकृत मजदूर संघों की सदस्यता	Membership of registered trade unions functioning on Railways ..	62
1565.	भारग्राही स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर	Rest Giver Station Masters and Assistant Station Masters ..	63
1566.	मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर शेडों की व्यवस्था	Provision of sheds over platforms at Railway Station in Madhya Pradesh ..	63
1567.	लोक सभा के मध्यावधि चुनावों पर हुआ व्यय	Expenditure on Mid Term Election to Lok Sabha ..	63—64
1568.	ग्वालियर डिवीजन में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना (मध्य प्रदेश)	Setting up of Industrial Estates in Gwalior Division (Madhya Pradesh) ..	64
1570.	दिल्ली से जगदलपुर तक रेलवे लाइन	Railway line from Delhi to Jagdalpur ..	64
1571.	देश में तकनीकी जानकारी का विकास	Development of Indigenous know-how ..	64—65
1572.	भागीरथी नदी के बाढ़ का जल यमुना नदी में ले जाने की परियोजना	Project to carry flood Waters from Bhagirathi to Jamuna ..	65
1573.	माल डिब्बों की कमी के कारण पालामऊ (बिहार) में बन उत्पादों का जमा होना	Accumulation of Forest Products in Palamau (Bihar) due to Wagon Shortage ..	65—66
1574.	इडिक्की जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य	Work on Idikki Hydro Electric Project ..	66
1575.	रोजगार प्रधान औद्योगिक कार्यक्रम	Employment oriented Industrial Programmes	66—67
1576.	तमिलनाडु में प्रत्याशित बिजली की कमी को दूर करने के लिये योजना	Schemes to overcome anticipated power shortage in Tamil Nadu ..	67—68
1577.	लघु उद्योगों के बारे में मालवीय समिति की सिफारिशें	Recommendations of Malaviya Committee on Small Scale Industries ..	68
1578.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के निदेशक बोर्ड के एक सदस्य की नियुक्ति	Appointment of a Member of Board of Directors of British India Corporation ..	68

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1579. रेल और सड़क परिवहन में स्पर्धा	Competition between Rail and Road Transport ..	68—69
1580. कृषि पर आधारित उद्योगों के कार्य में सुधार	Streamlining of working of Agro-Industries ..	69
1581. कोलार होते हुए बंगरपेट से तिरुपति तक रेलवे लाइन	Rail Link between Bangarpet Tirupati via Kolar ..	69
1582. मतदाताओं को पहचान पत्र देना	Issue of Identity Cards to Voters	69
1583. गैर सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में असमानता	Disparities in Pay and Allowances of Employees in Private Sector and Public Sector Undertakings ..	70
1584. माल गाड़ी के डिब्बे तोड़ने और तांबे की तारों की चोरी के कारण पश्चिम बंगाल द्वारा घाटे अथवा दण्ड का भुगतान	Deficit or Penalty Money paid by West Bengal for Wagon Breaking and Stealing of Copper Wire ..	70—71
1585. राजस्थान तथा पंजाब के लिये राजस्थान नहर का जल	Rajasthan Canal Water for Rajasthan and Punjab ..	71
1586. लोअर परेल, महालक्ष्मी और बम्बई सेन्ट्रल (पश्चिम रेलवे) में कार्य कर रहे नैमित्तिक कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन	Memorandum of demands from casual workers working at Lower Parel, Mahalakshmi and Bombay Central (Western Railway) ..	71—72
1587. कानपुर (टूंडला सेक्शन) के रेलवे विद्युतीकरण के कर्मचारियों द्वारा सिगल स्थापनाओं के रख रखाव के लिए नैमित्तिक कर्मचारियों का उपयोग	Utilisation of casual employees for maintenance of signalling Installations by Employees of Railway Electrification Kanpur (Tundla Section) ..	72
1588. भारतीय रेलवे संस्थान संहिता के नियम 146 का उल्लंघन करते हुए उत्तर रेलवे के कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of employees of Northern Railway in violation of Rule 146 of Indian Railway Establishment Code ..	72
1589. रेलवे वर्दी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय	Decision on the Report of Railways Uniform Committee ..	73
1590. फारेन ट्रैफिक लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे, दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Class IV Employees of Foreign Traffic Accounts Office Western Railway, Delhi ..	73
1591. बाढ़ों से हुई जन हानि	Loss of human lives in floods ..	73
1592. भूतापीय संयंत्र का विकास	Development of Geo-thermal Plant ..	74
1593. नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के लिये संयंत्र और की मशीनरी आवश्यकता	Requirement of Plant and Machinery for Construction of River Valley Projects ..	74

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1594. जगाधरी (उत्तर रेलवे) के रेलवे वर्कशाप के नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित रोजगार दिया जाना	Regular employment to Casual Employees in Railway Workshop, Jagadhari (Northern Railway)	74—75
1595. बरौनी गरहरा क्षेत्र के रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Rail Employees of Barauni Garhara Area ..	75
1596. क्रियान्विति के लिये शेष भारत नेपाल सहयोग की उपेक्षा रखने वाली योजनायें	Schemes requiring indo Nepalese Cooperation pending execution ..	75—76
1597. कमला तटबन्धों और पश्चिमी कोसी तटबन्धों का और दक्षिण की ओर विस्तार	Extension of Kamla Embankments and Western Kosi Embankments towards further South ..	76
1598. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और यातायात विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का स्थायीकरण	Meeting of the Departmental Promotion Committee and Confirmation of Class I Officers of the Traffic Department ..	76
1599. पश्चिमी रेलवे के काननैक ब्रिज के माल अधीक्षक और आल इण्डिया रेलवे कार्मशियल क्लर्क्स एसोशियेशन के मध्य विवाद	Dispute between goods superintendent Caranc Bridge, Western Railway and the All India Railway Commercial Clerks Association ..	77
1600. पश्चिमी रेलवे के डिवीजन जिले में कर्मचारियों की वरीयता सूची रखना	Maintenance of two seniority lists employees in a Division/District (Western Railway)	77
1601. रेल दुर्घटना को रोकने के उपाय	Measures to Prevent Railway Accident ..	77—78
1602. मुरादाबाद डिवीजन में डीजल इंजन चलाने में प्रशिक्षित कर्मचारियों की पदावनति	Reversion of Diesel trained employees in Moradabad Division ..	78
1603. मद्रास से रेलवे दर अधिकरण के कार्यालय का स्थानान्तरण .	Shifting of the office of Railway Rates Tribunal from Madras ..	78—79
1604. तमिलनाडु में मीटर लाइनों की बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Metre Gauge lines into Broad Gauge lines in Tamil Nadu ..	79
1605. राजभाषा (विधायी) आयोग के उद्देश्य और इसके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में नियम	Objects of the Official Language (Lagislative) Commission and Rules governing its Constitution ..	79
1606. कन्टाई के तटीय क्षेत्र में नमक उत्पाद के विस्तार करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये वहां विशेषज्ञों का दल भेजा जाना	Team of expert to study the possibilities of expansion of salt manufacturing in Contai-Coastal Belt ..	79—80

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1607.	पश्चिमी रेलवे के दिल्ली किशन गंज स्थित कार्यालय में कार्य कर रहे क्लर्क ग्रेड 1 के कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के लिये सेवा के नियम तथा शर्तें	Rules and conditions of service for confirmation of clerks Grade I working in Western Railway, Delhi Kishan Ganj Office ..	80
1608.	क्लर्क ग्रेड के अराजपत्रित कर्मचारियों की ओर से उन्हें स्थायी किये जाने के बारे में पश्चिमी रेलवे के उपमुख्य लेखाधिकारी, अजमेर को दिया गया अभ्यावेदन	Representation regarding confirmation of non-gazetted staff clerk grade I to Deputy Chief Accounts Officer, Western Railway, Ajmer ..	80—81
1609.	विथान होते हुए झांझरपुर से हसनपुर तक रेलवे लाइन	Railway line for Jhanjharpur to Hasanpur via Vithan ..	81
1610.	उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में का मांग परियोजना की क्रियान्विति	Execution of Kameng project in the North East Frontier Agency ..	81
1611.	भारतीय रेलवे में काम कर रहे मंत्रालय के कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Ministerial staff working in Indian Railways ..	82
1612.	पूर्व रेलवे में माल यातायात में गिरावट	Fall in Goods Train on Eastern Railway ..	82
1613.	मुख्य अभियन्ता, उत्तर रेलवे विद्युतीकरण, इलाहाबाद के अधीन कार्य कर रहे एक ठेका संगठन को नियत राशि से अधिक राशि का भुगतान	Overpayment to a contracting organisations doing work under Engineer in Chief, Electrification, Northern Railway, Allahabad ..	82
1614.	जाओरा और मन्दसौर रेलवे स्टेशनों (पश्चिम रेलवे) में कर्मचारियों की आवश्यकतायें	Requirement of staff at Jaora and Mandsaur Railway Stations (Western Railway) ..	83
1615.	मालगाड़ी का पश्चिम रेलवे के जाओरा स्टेशन पर खड़े रहना	Stationing of Goods Train at Jaora Station of Western Railway	83
1616.	हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखानें की स्थापना	Setting up of a Cement Plant in Himachal Pradesh ..	83—84
1617.	खुर्दा डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के इंजीनियरिंग सेक्शन के छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुन: रोजगार	Re. employment of Retrenched employees of Engineering section in Khurda Division (South Eastern Railway) ..	84
1618.	बलिया बेरिया बांध	Balia Beria Dam ..	84—85
1619.	मदुरे डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक लिपिकों की संख्या कमी	Reduction of Commercial Clerks in Madurai Division (Southern Railway) ..	85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
1620. मद्रास नगर में बकिंघम कैनाल के ऊपर ट्यूब ट्रेन और फ्लाई रोड बनाये जाने का प्रस्ताव	Proposal for a tube train and fly road over Buckingam Canal in Madras City ..	85
1621. इज्जत नगर (पूर्वोत्तर रेलवे) में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जाना	Non-payment of house rent allowance to class III & IV employees at Izatnagar (North Eastern Railway) ..	86
1622. इज्जतनगर (पूर्वोत्तर रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों को निलम्बन की अवधि के लिए देय राशि का अदा न किया जाना	Non-payment of dues to Railway employees at Izatnagar for the period of suspension (North Eastern Railway) ..	86
1623. त्रिपुरा सरकार द्वारा बाढ़ से सुरक्षा के लिए किये गये उपाय	Flood protection measures taken by Tripura Government ..	86—87
1624. बूढ़ी नदी त्रिपुरा के पानी का गरीड़ा के माध्यम से निकास	Draining out of waters of Buri River, Tripura through Garira ..	87
1625. त्रिपुरा में एक माचिस कारखाने का बन्द किया जाना	Closure of a match factory in Tripura	87
1626. कटपडी से तिरुपति और कटपडी से गुंटाकल तक बड़ी लाइन का निर्माण	Broad Gauge line from Katpadi to Tirupati and Katpadi to Guntakal ..	87
सदस्यों सूची के प्रकाशन के बारे में	Re. Publication of the List of Members ..	88
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
वर्ष 1939 के भारत ब्रिटिश व्यापार करार को समाप्त करने का ब्रिटिश सरकार का कथित निर्णय	Reported decision of the British Government to scrap the Indo—British Trade Agreement of 1939 ..	88
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody ..	88—90
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra ..	90—91
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान तथा अन्य मामलों के बारे में	Re. payment of Dearness Allowance to Central Government Employees and other matters ..	92
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege ..	92
श्री तुलमोहन राम, संसद् सदस्य की बिहार में गिरफ्तारी	Arrest of Shri Tulmohan Ram, M. P. in Bihar	92—93
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	93
सामान्य बजट, 1971-72—सामान्य चर्चा	General Budget, 1971-72—General Discussion ..	93—113
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni ..	93—94
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malviya ..	94—96

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	..	96—97
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	..	98
श्री चन्दू लाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	..	98—99
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	..	99—100
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	..	100
श्री दण्डपाणी	Shri Dhandapani	..	100—103
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga	..	103
श्री एम० टी० राजू	Shri M. T. Raju	..	104
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya	..	105—106
डा० वी० के० आर वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao	..	106—109
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	..	109—110
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	..	110—111
श्री एस० डी० सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	..	111
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	..	111—112
श्री नुग्गेहल्लि शिवप्पा	Shri N. Shivappa	..	112—113

LOK SABHA
लोक-सभा

मंगलवार, 8 जून, 1971 / 18 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Tuesday, June 8, 1971/Jyaistha 18, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कानपुर के चमड़ा उद्योगों में त्रिफले की कमी

*333. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या औद्योगिक **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के सभी चर्मशोधक कारखाने, आर्डनेंस इक्यूपमेंट फैक्टरी और टैनिंग एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया मध्य प्रदेश से त्रिफले की अनुपलब्धता के कारण बन्द होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) क्या उक्त चमड़ा उद्योगों को निर्बाध रूप से चालू रखने के लिए त्रिफले की नियमित सप्लाई हेतु प्रबन्ध किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) चमड़ा कमाने के उद्योग को, विशेषतः कानपुर स्थित उद्योग को, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हरड़ पर रोक लगाने के कारण कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है।

(ख) और (ग). इस विषय पर राज्य सरकार से बातचीत की गई थी, राज्य सरकार ने आगामी दो सप्ताहों में 1.6 लाख क्विंटल **हरड़ नीलाम** करने का निर्णय किया है, इससे संभरण स्थिति में सुधार होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : कानपुर स्थिति आर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्टरी, जिसे पहले "हारनैस और सैडलर फैक्टरी" के नाम से जाना जाता था, "फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया" के चर्मशोधक

कारखाने और लगभग 30 अन्य चर्मशोधक कारखाने रंगाई हेतु प्रयुक्त माइरोबुलम नट्स, जिसे हरड़ कहा जाता है, के उपलब्ध न होने के कारण वस्तुतः बन्द होने की स्थिति में हैं। अतः क्या सरकारी कारखाने और दूसरे चर्मशोधक कारखानों में सप्लाई पहुंच गई है ?

श्री घनश्याम ओझा : हमें यह जानकर खेद होता है कि हरड़ की अनुपलब्धता के कारण कुछ एककों को कठिनाई हो रही है परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इस प्रश्न से मध्यप्रदेश सरकार का सीधा सम्बन्ध है। हमने वहां की सरकार से कहा है और वे शीघ्र ही सप्लाई भेज रहे हैं। नीलाम 10 जून से आरम्भ हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। हमने राज्य सरकार पर हर संभव दबाव डाला है। हमें स्थिति का ठीक ठीक पता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : त्रिफले के राष्ट्रीयकरण का मैं स्वागत करता हूं, परन्तु इसमें से केवल हरड़ का ही राष्ट्रीयकरण किया गया है।

श्री घनश्याम ओझा : स्पष्ट बात यह है कि मूल्य के सम्बन्ध में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। नीलाम होने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सारे व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और 10 जून से नीलाम आरम्भ हो जायगा। मूल्य नीलाम में ही निश्चित होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या मूल्य निश्चित किया गया है ? क्या मूल्य निश्चय पूर्णतया नीलामी पर ही आधारित है ? नीलामी द्वारा मूल्य निश्चित करना भी उतना ही बुरा है जितना कि व्यापार का ठेकेदारों के हाथों में होना क्योंकि इस पद्धति में भी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई उचित मूल्य निर्धारित किया गया है ?

श्री घनश्याम ओझा : मूल्य पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। मूल्य भारत सरकार द्वारा निश्चित नहीं किये गये हैं। व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। नीलामी होगी और जो अधिकतम बोली होगी वही मूल्य निश्चित होगा।

Shri B. P. Maurya : Have you ever tried to find out a substitute for myrobalan nuts so that the decline in leather trade might be checked and the foreign exchange may not be a burden on us ?

श्री घनश्याम ओझा : इस उद्योग के सम्वर्धन के लिए हम प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। हमारे पास कार्य करने वाले समूह हैं और इस उद्योग के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ समितियां नियुक्त की गयी हैं।

श्री बी० पी० मौर्य : समितियां सदैव ही नियुक्त की जाती हैं और कोई परिणाम सामने नहीं आता। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह समिति कब नियुक्त की गयी थी। यह बड़ा ही भ्रमात्मक सा उत्तर है।

श्री घनश्याम ओझा : यद्यपि मूल प्रश्न से इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध नहीं है फिर भी माननीय सदस्य को जितनी भी संभव हो सकती थी उतनी सूचना देने का प्रयत्न किया गया है। यदि वह किसी अन्य प्रश्न की सूचना देते हैं तो मैं पूरी जानकारी दे सकता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Madhya Pradesh and Bihar are supplying adequate quantity of myrobalans and myrobalan nuts to tanning industry of Kanpur. Myrobalans supplied

from Madhya Pradesh is sold at the rate of 8 annas per bag by the tribals after they collect it. Myrobalans from Bihar is supplied at the rate of 1 rupee per bag. The Government have nationalized this trade because of such cheaper rates. We appreciate the move but the payment is not made at the price fixed by the Government. They are getting less than the price fixed. It would like to know, whether Government have made arrangements so that they may get the maximum cost.

श्री घनश्याम ओझा : यह प्रश्न राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिये ।

गुमटी पन-बिजली परियोजना के निर्माण में प्रगति

*334. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सातवें प्रतिवेदन में नेशनल प्रोजेक्ट्स कांस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, जिसे गुमटी पनबिजली परियोजना, त्रिपुरा के निर्माण का ठेका दिया गया था, के धीमे और असन्तोषजनक कार्य पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) त्रिपुरा विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने अपनी 7 वीं रिपोर्ट में गुमटी जलविद्युत परियोजना की धीमी प्रगति पर तो अपनी टिप्पणी दी है, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के कार्य-निष्पादन पर नहीं ।

(ख) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए नीचे लिखे कदम उठाए गए हैं :—

1. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा परियोजना में दो पालियों की व्यवस्था ।
2. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा परियोजना के निर्माण के लिए अपेक्षित मशीनों और उपकरणों में वृद्धि ।
3. परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके इस उद्देश्य से सामान्यतः कार्य की गति को जोरदार बनाना ।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को इन शर्तों पर ठेका दिया गया है कि लाभ परियोजना पर किये जाने वाले व्यय का 15 प्रतिशत ही हो सकता है, और क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने गोमती नदी पर छोटा सा पुल इसलिये नहीं बनाया की यातायात मूल्य अधिक हो ? राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के साथ ऐसी शर्तें क्यों लगायी गयी हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : यह परियोजना ऐसे स्थल पर स्थित है जहां पहुंचना बहुत कठिन है। क्योंकि किसी अन्य ठेकेदार के मिलने की आशा नहीं थी इसलिये राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को ठेका दिया गया । हमने ऐसी ही प्रक्रिया, ऐसा ही करार फरक्का बांध के सम्बन्ध में किया है और यहां भी यही प्रक्रिया अपनाई है । वास्तविक लागत पर 15 प्रतिशत लाभ की व्यवस्था में कोई अनुचित बात नहीं दीख पड़ती है ।

श्री दशरथ देव : इस परियोजना क्षेत्र में मीजो लोगों के छापों के कारण तथा सरकार की ओर से सुरक्षात्मक व्यवस्था में कमी होने के कारण कर्मचारी काम पर नहीं ठहर पाते हैं। क्या परियोजना के पूरा होने में विलम्ब का यह भी एक कारण है ?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने जो कुछ बताया है उनमें विलम्ब का कोई कारण नहीं है। विलम्ब के मुख्य कारण हैं : परियोजना का दुर्गम स्थल पर स्थित होना, हमें निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिये अधिक समय लेना पड़ा तथा निकटतम कस्बे अमरपुर से एक सड़क बनानी पड़ी। विस्फोटक पदार्थ प्राप्त करने की भी कठिनाई थी। यह कठिनाई समस्त भारत में थी। इसके साथ ही 1970 में एक बहुत जोर की बाढ़ आयी जिससे परियोजना के निर्माण में और भी विलम्ब हुआ।

बिहार के लघु उद्योगों में लोहे तथा इस्पात की कमी

+

*335. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में 400 छोटे औद्योगिक कारखानों को लोहे तथा इस्पात की कमी का सामना करना पड़ रहा है और समाचार है कि वे बन्द होने ही वाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन संकटों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). बिहार सरकार से जानकारी मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Shri Yamuna Prasad Mandal : I would like to know the time since you are seeking information from Bihar Government ? Would it be available after the closure of Industrial units.

Mr. Speaker : The previous Government is no more now. The information would be supplied by the coming Government.

Shri Yamuna Prasad Mandal : Can it not be said about the time by which they are expecting the information ?

Shri Siddheshwar Prasad : Bihar Government has been instructed to furnish information as early as possible. As soon as it is received, it would be placed on the Table.

चौथी योजना के दौरान ग्रामों का विद्युतीकरण

*336. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान ग्रामों का विद्युतीकरण करने के लिये राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का स्वरूप क्या है ;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) राज्य सरकारों को इस उद्देश्य से कौन-कौन से मार्गदर्शी सिद्धान्त सुझाए गए हैं कि वे अपने कार्यक्रम तैयार कर सकें ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). राज्य सरकारों ने ग्राम विद्युतीकरण के लिये राज्य-योजनाओं में, संलग्न विवरण के अनुसार, परिव्यय सूचित किये हैं। राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीमों की जांच और स्वीकृति तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा की जाती है। चतुर्थ योजना के दौरान, कार्यान्वियन के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई सात स्कीमों को स्वीकृति दे दी गई है। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में 13 स्कीमों पर कार्रवाई हो रही है। राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है। निगम द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम को स्कीमें प्रस्तुत की जाती हैं। विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा 181 स्कीमें प्रस्तुत की गई है जिनमें से 62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 110 स्कीमें स्वीकार की जा चुकी हैं। शेष 71 स्कीमों की जांच की जा रही है। चतुर्थ योजना के आरम्भ में 73,971 विद्युतीकृत ग्रामों और 10,88,777 ऊर्जित पम्प सेटों के मुकाबले में 31 मार्च, 1971 तक ऊर्जित पम्प सेटों की संख्या 16,27,310 और विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 1,05,870 थी।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो राज्य सरकारों को चतुर्थ योजना तैयार करने के लिए भेजे गए थे, खाद्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों में सिंचाई पम्प-सेटों के ऊर्जन के कार्य को लगातार प्राथमिकता दी जाती रही है। भारत सरकार द्वारा जारी किये गए निदेशों के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम से यह अपेक्षित है कि वह उन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को धन देकर सहायता करे जो परियोजनात्मक दृष्टिकोण और आर्थिक व्यवहार्यता के विचार से तैयार की गई है ताकि अन्य निवेशों और निविष्टियों के साथ साथ बिजली के विस्तार के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और कृषि निवेशों से उचित लाभ हो। निगम को यह निदेश भी दिया गया है कि छोटी सी प्रारम्भिक अवधि के लिए, जो पांच वर्ष से अधिक न हो, पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं के सम्बन्ध में आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त को शिथिल कर दिया जाए। तदनुसार, ग्राम विद्युतीकरण ने सविस्तार मानकों और मानदंडों को अन्तिम रूप दे दिया है जिनको स्कीमों को तैयार करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को भेज दिया गया है।

विवरण

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ग्राम विद्युतीकरण के लिए परिव्यय

क्रम संख्या	राज्य	चतुर्थ योजना के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण का परिव्यय
		(करोड़ रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.00
2.	असम	10.88
3.	बिहार	36.00
4.	गुजरात	6.00

क्रम संख्या	राज्य	चतुर्थ योजना के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण का परिव्यय
		(करोड़ रुपयों में)
5.	हरियाणा	10.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1.21
7.	जम्मू व कश्मीर	1.00
8.	केरल	4.50
9.	मध्य प्रदेश	20.00
10.	महाराष्ट्र	25.00
11.	मैसूर	15.50
12.	नागालैंड	0.07
13.	उड़ीसा	6.05
14.	पंजाब	9.00
15.	राजस्थान	14.00
16.	तमिलनाडु	41.15
17.	उत्तर प्रदेश	61.002
18.	पश्चिम बंगाल	10.00

श्री एस० आर० दामाणी : विवरण की 181 योजनाओं में से 110 योजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है और 71 योजनायें अब भी अनिर्णीत हैं। ये योजनायें कितने समय से अनिर्णीत हैं और इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में क्या कठिनाई है ? क्या ग्रामों में बिजली लगाने, विशेषतया पिछड़े क्षेत्रों में, के लिये कोई निश्चित समय सीमा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : प्रश्न, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जो परियोजना की आर्थिक क्षमता पर देख रेख रखता है, द्वारा स्वीकृत योजनाओं के संदर्भ में है। प्रत्येक माह बहुत बड़ी संख्या में परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती हैं और जब कभी कोई परियोजना आर्थिक क्षमता के मानक से परे होती है तो उसे पूरी सूचना उपलब्ध करने के लिये राज्य के पास वापस भेज दिया जाता है और इसके पश्चात उसे स्वीकृति दी जाती है। मुझे आशा है कि अगले एक दो महीनों में ये प्रक्रियायें पूरी हो जायेंगी और उस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी। जहां तक निर्धारित समय कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हमारे देश में 5.75 लाख ग्राम हैं और हमने 1.05 लाख ग्रामों में बिजली लगा दी है। हमें आशा है कि शेष में से 50 प्रतिशत ग्रामों में 1980 से पहले ही बिजली लगा दी जायगी। इसके पश्चात यह कार्य बहुत ही सरल हो जायगा क्योंकि हम समस्त देश में ट्रान्समिशन लाइन लगा चुकेंगे, अत: देश के शेष भाग में बिजली पहुंचना सरल कार्य हो जायगा।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या बिजली की दर भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है और क्या सरकार का विचार इसे एक समान करने का तथा इसके लिये तमिलनाडु सरकार की तरह राज्य सहायता देने का है जिससे गरीब किसान भी बिजली का उपयोग कर सकें ?

डा० के० एल० राव : सारे देश में एक जैसी दर लागू करना एक ऐसा प्रश्न है जिससे हमारा भी सम्बन्ध है। हमें एक समान दर से प्रसन्नता होगी। यह तभी संभव हो सकता है जब एक अखिल भारतीय ग्रिड बनाया जाय तथा दूसरे राज्य भी इस प्रकार की प्रक्रिया से सहमत हों। मुझे आशा है कि आगामी 10 वर्षों में यह कार्य भी पूरा हो जायगा। जहां तक राज्य सहायता का प्रश्न है, मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहले जब कभी दर 12 पैसे से अधिक हुई हमने राज्य सहायता दी। अब ऐसा विचार है कि किसान 12 पैसे से अधिक दर का भुगतान कर सकते हैं अंत: यह आवश्यक नहीं है और इसी लिये राज्य सहायता की योजना वापस ले ली गई। हमें आशा है कि अधिकतर राज्यों में प्रति यूनिट दर 12 से 15 पैसे के बीच होगी।

Shri Ramavatar Shastri : We all fully understand the necessity of electricity in villages. I would like to know if any proposal has been received from Bihar Government ; if so, what are the main features of that proposal and decision taken by the Government ?

डा० के० एल० राव : सम्पूर्ण बिहार राज्य के लिये कोई इस प्रकार की योजना नहीं भेजी गई है। वह समय समय पर अपनी योजनायें भेजते रहते हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि उन्हें अधिक योजनायें भेजनी चाहियें क्योंकि विद्युतीकरण के मामले में बिहार राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में हम बिहार सरकार को लिखते रहते हैं; और अभी मैंने हाल ही में उन्हें लिखा है कि और अधिक संख्या में योजनायें भेजनी चाहिये ताकि हम बिहार के लिए अधिक योजनाओं की मंजूरी दे सकें।

Shri K. N. Tiwari : While replying to a question the other day, it was stated by hon. Minister that the electricity supply to Bihar is the lowest and Barauni power station is not functioning. I would like to know when Barauni power station will be set right and supply will be restored to Bihar ? Is it a fact that in Bihar rate of electricity is the highest, if so, what steps are being taken in this connection.

डा० के० एल० राव : यह ठीक है कि बिहार की बिजली बहुत कम हो गई है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत भी बहुत कम है; आठ किलोवाट घंटे प्रति व्यक्ति, जब कि पूरे भारत में इसकी औसत 90 है। अतः हम इससे पूरी तरह अवगत हैं और इसी लिए बिहार में और अधिक परियोजनायें स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। समस्तीपुर, इन्हीं परियोजनाओं में से एक है और एक परियोजना पश्चिम-बंगाल-बिहार सीमा के पास की है। यह दुर्भाग्य की बात है कि ये परियोजनाएं हमें अभी-अभी प्राप्त हुई हैं। निस्संदेह, बरौनी का रख-रखाव करना और उसकी मरम्मत करना हमारा कार्य है। परन्तु इस क्षेत्र में स्थित बिजलीघरों से अधिक बिजली का उत्पादन करना और उत्तरी-बिहार को गया से अधिक बिजली उपलब्ध करवाना भी हमारा ही कर्त्तव्य है।

श्री एस० बी० गिरि : आन्ध्र-प्रदेश और विशेषतया तेलंगाना क्षेत्र में जिस बिजली का उत्पादन किया जाता है, उसका प्रयोग आन्ध्र-प्रदेश के लिए किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि तेलंगाना के सभी गांवों का आंध्र-प्रदेश के गांवों के अनुपात में कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? क्योंकि मंत्री महोदय आन्ध्र-प्रदेश राज्य से हैं; यद्यपि बिजली का उत्पादन तेलंगाना में किया जाता है फिर भी तेलंगाना के 7,000 से भी अधिक गांवों को बिजली देना अभी बाकी है। अब जब कि आन्ध्र-प्रदेश को बिजली दी जा रही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि तेलंगाना के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० के० एल० राव : मुझे इस बात का दुख है कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है वह बिलकुल बेहूदा है। जिस ढंग से उन्होंने अपना प्रश्न प्रस्तुत किया है, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं। इस प्रकार से तेलगांना के लोगों की सेवा नहीं की जा सकती। (**व्यवधान**)

श्री एस० बी० गिरि : यह सच है कि तेलगांना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और यह बात प्रमाणित भी की जा चुकी है। यद्यपि बिजली का उत्पादन तेलंगाना में ही किया जाता है तो भी तेलगांना के गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया।(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। आप इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से भी तो पूछ सकते हैं। इस साधारण प्रश्न के माध्यम से आप अपने मामले को उभारने का प्रयत्न मत कीजिये।

श्री कल्याणसुन्दरम् : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं तो मन्त्री महोदय को बैठ जाना चाहिये। मन्त्री महोदय ने 'बेहूदा' शब्द का प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री कल्याणसुन्दरम् : चाहे राजनीति कुछ भी क्यों न हो, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने जो "बेहूदा" शब्द का प्रयोग किया है, वह कहां तक उचित है?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय बहुत सीधे हैं और वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय को यह मालूम ही है कि संसदीय भाषा में इस शब्द पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, परन्तु फिर भी जिस सन्दर्भ में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है, उसमें इस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये था। क्या वह अपने इस शब्द को सुधारेंगे?

डा० के० एल० राव : मैंने इस शब्द का प्रयोग किसी बुरी भावना से नहीं किया परन्तु फिर भी यदि उन्हें इससे दुःख होता है तो मैं इसे वापिस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद। अब श्री गिरी के प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिये।

डा० के० एल० राव : तेलगांना बिजली जैसी कोई चीज नहीं है। आंध्र प्रदेश में ही बिजली का उत्पदान किया जाता है और हमारे पास आन्ध्र-प्रदेश के आंकड़े ही उपलब्ध हैं। बिजली का जितना उत्पादन होता है, उसका उपयोग विभिन्न स्थानों के लिए किया जाता है। जहां तक ग्राम विद्युतीकरण का प्रश्न है, हमने पिछड़े क्षेत्रों को बिजली देने के लिए बहुत से कदम उठाये हैं। तेलगांना को क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका माना गया है, इसलिए इसमें 3 करोड़ रुपये की लागत की ग्राम विद्युतीकरण सहकारी परियोजना आरम्भ की गई है और इस प्रकार की परियोजना अन्य किसी राज्य में आरम्भ नहीं की गई।

श्री जी० विश्वनाथन् : क्या ग्राम विद्युतीकरण निगम के समक्ष सम्पूर्ण देश के ग्रामों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है और यदि हां, तो ग्राम विद्युतीकरण पर कुल कितना व्यय आने की सम्भावना है?

डा० के० एल० राव : निगम तो केवल एक वित्तीय संस्था है। जिसका काम विभिन्न राज्य

बोर्डों और सहकारी संगठनों को ऋण देना है। चौथी योजना के लिए इसके पास लगभग 150 करोड़ रुपये की धनराशि है। अब तक इसने लगभग 75 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या तेलंगाना स्थित कोठागुडम ताप बिजली घर का विस्तार करने की कोई योजना है ?

डा० के० एल० राव : आन्ध्र-प्रदेश में बिजली की कमी है। कोठागुडम और अन्य अनेक परियोजनाओं का भविष्य में विस्तार करने की हमारी योजना है।

श्री ए० पी० शर्मा : उस दिन मंत्री महोदय ने कहा था कि कुछ राज्य सरकारों ने ग्राम विद्युतीकरण के लिए मन्जूर धनराशि का प्रयोग नहीं किया है। मैं बिहार के बारे में जानना चाहता हूं। क्या आप राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि उन्हें 1971-72 में अधिक प्रगति दिखानी चाहिये ?

डा० के० एल० राव : हम सदा इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा जिस धनराशि की मंजूरी दी जाती हैं, उसे जल्दी से जल्दी खर्च किया जाना चाहिये। मैं बिहार राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्य खड़े हो रहे हैं। हमें यह विषय आधे घंटे की चर्चा के लिए रख लेना चाहिये।

श्री के० एस० चावड़ा : देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा गुजरात में बिजली मंहगी है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से सिफारिश की है कि वह गैस और घर में इंधन के रूप में प्रयोग होने वाले तेल की कीमतों में कमी करे ताकि गुजरात में बिजली सस्ती मिल सके ?

डा० के० एल० राव : यह प्रश्न तो गैस और तेल की सामान्य कीमतें निर्धारित करने की नीति से सम्बन्धित है। कई वर्ष पहले हमने इसका सुझाव दिया था और इस समय पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा गुजरात सरकार द्वारा इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हमने इस मामले में कोई पहल नहीं की।

श्री चन्द्रप्पन : क्या केरल राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी गांवों का तीन वर्ष में विद्युतीकरण करने की एक समयबद्ध कार्यक्रम की योजना भेजी है और क्या भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है ?

डा० के० एल० राव : राज्य सरकारों से हमें विभिन्न योजनायें प्राप्त हुई हैं। मुझे मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य महोदय इस समय किस योजना का उल्लेख कर रहे हैं। समय समय पर हमें विभिन्न योजनायें भेजी जाती हैं और हम जितनी जल्दी हो सके उन्हें मंजूरी दे देते हैं। सदस्य महोदय जिस योजना के बारे में कह रहे हैं यदि उसके बारे में वह मुझे लिखें तो मैं उसके सम्बन्ध में जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य खड़े हो रहे हैं, उनकी संख्या उन सदस्यों से अधिक है जो कि

प्रश्न पूछ चुके हैं। यदि मांग की गई, तो इस पर हम आधे घंटे की चर्चा कर लेंगे। जो सदस्य रह गये हैं वे उस समय अपनी किस्मत आजमा लें। इस समय इस प्रश्न को अनिश्चित समय के लिए लटकाया नहीं जा सकता।

मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ताप बिजली घर का प्रयोग में न लाया जाना

*337. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र में सतपुड़ा ताप बिजली घर कोयले के अभाव के कारण बेकार पड़ा है ;

(ख) क्या कोयले की कमी विद्युत संयंत्र तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में समन्वय के अभाव तथा उस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों से पर्याप्त मात्रा में कोयला निकालने में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की असफलता के कारण हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त **संयंत्र** को चालू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) कोयले की कमी के कारण सतपुड़ा **ताप विद्युत केन्द्र बिल्कुल बेकार नहीं पड़ा** हुआ है। प्रणाली के **विद्युत भार** की स्थिति के अनुसार केन्द्र में कार्य चल रहा है **और** वहां एक समय में बिजली पैदा करने वाले चालू सेटों की संख्या 3 और 4 के बीच रहती है जिसके लिए आवश्यक कोयला प्राप्त किया जा रहा है।

(ख) इस समय वहां कोयले की आवश्यकता प्रतिदिन लगभग 1900 **मीट्रिक टन** की है। राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद् इसे लगभग सिर्फ **1200 मीट्रिक टन** कोयला सप्लाई करती है और शेष **700 मीट्रिक टन** कोयला पेंच घाटी कोयला-क्षेत्रों से प्राप्त किया जा रहा है। विद्युत केन्द्र के पास में स्थित **राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद्** की **पाथरखेड़ा** की अपनी खान से ही कोयले की सप्लाई में कमी का कारण खानों के उत्पादन-स्तर में गिरावट और उनकी उन परियोजनाओं के विस्तार के कार्यान्वयन में विलम्ब होना है, जिनके कार्यान्वित होने से सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र को अपनी पूरी जरूरत का कोयला इन्हीं खानों से मिल जाएगा।

(ग) जैसा कि पहले ही बताया गया है, ताप केन्द्र में प्रणाली के विद्युत भार की मांगों के अनुसार कार्य चल रहा है। बहरहाल, भाखड़ा प्रणाली को और बड़ी मात्रा में बिजली और **ऊर्जा देने के लिए** बिजली उत्पादन की गति और भी तेज करने की दिशा में विद्युत केन्द्र की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद् में पाथरखेड़ा की विस्तार परियोजना, जिसकी स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है, के विकास का कार्य प्रारम्भ कर दिया हैं। अब कोयले की सप्लाई उत्तरोत्तर रूप से बढ़ती ही जाएगी और 1974-75 तक यह प्रतिदिन **2500 मीट्रिक टन होगी।** यह मात्रा केन्द्र में बिजली पैदा करने की गति को तेज करने के लिए पर्याप्त होगी। इस बीच में,

पेंच घाटी के कोयला क्षेत्रों से रेल और सड़क के जरिए अतिरिक्त कोयले की सप्लाई प्राप्त की जा रही है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : अभी हमने देश में बिजली की कमी के बारे में व्यक्त की गई उत्तेजना को सुना है परन्तु इसके बावजूद भी सतपुड़ा ताप बिजली घर, जिसकी कि पांच सैट की क्षमता है, उसमें केवल तीन सैट ही चलाये जा रहे हैं। हमारी 3500 टन की कोयले की मांग पर हमें केवल 1900 टन कोयला प्राप्त हो रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सतपुड़ा ताप बिजली घर के लिए बाकी का कोयला प्राप्त करने के लिए, पिछले वर्ष कुल कितना किराया-भाड़ा खर्च करना पड़ा है ?

डा० के० एल० राव : इसकी ठीक संख्या तो मुझे मालूम नहीं, परन्तु आजकल चार मशीनें चल रही हैं। सतपुड़ा ताप बिजली घर में कोयले की कठिनाई के साथ साथ हमें ट्रांसमीशन लाइनों की कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। हमारे पास काफी संख्या में लाइनें उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए अब हाल ही में हमने सतपुड़ा से इटारसी, भोपाल और राणा प्रताप सागर तक एक 220 किलो वाट लाइन बिछाने का निर्णय किया है। जब एक वर्ष के समय में यह लाइन पूरी हो जायेगी तो सतपुड़ा ताप बिजली घर में बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। हम एक सतपुड़ा-नागपुर लाइन बिछाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। जब यह दोनों लाइनें बिछा दी जायेंगी तो सतपुड़ा की सम्पूर्ण बिजली क्षमता का उपयोग करना सम्भव हो जायेगा। जहां तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयला सप्लाई करने का प्रश्न है, हम इस के अतिरिक्त पंच घाटी से भी कोयला प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए हमें 19 रुपये प्रति टन अधिक मूल्य देना पड़ता है।

श्री एन० के० सांघी : बिजली की कमी एक ऐसी पुरानी समस्या है जिसने राज्यों में बहुत सी समस्याओं को जन्म दिया है। इन लाइनों को नागपुर और राजस्थान तक बढ़ाने में क्या कठिनाई है ताकि इनकी बिजली का प्रयोग मध्य-प्रदेश और राजस्थान द्वारा किया जा सके।

डा० के० एल० राव : यह सच है कि अन्तर्राज्यीय लाइनों के मामले में कुछ देरी हुई है। इसीलिए तो अब हमने यह निर्णय किया है कि अन्तर्राज्यीय और अन्तर्क्षेत्रीय लाइनें राज्यों द्वारा ही बिछाई जायेंगी। यदि इसमें कोई विलम्ब हुआ तो यह लाइनें केन्द्र द्वारा बिछवाने पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या सरकार को यह मालूम है कि सतपुड़ा ताप बिजली घर के तीन जनरेटर कोयले से चलाये जाते हैं और यह कोयला ताप बिजली घर के निकट स्थित पाखेर-केड़ा खान से प्राप्त किया जाता है ? क्या उन्हें यह भी मालूम है कि उन चार लाइनों में से केवल एक ही लाइन काम कर रही है जबकि अन्य तीन लाइनें बेकार पड़ी हैं ? क्या इन लाइनों के सुचारु रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि ये लाइनें सुचारु रूप से कार्य करती हैं तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की पाखरकेडा खानों से 9 रुपये प्रति टन अधिक मूल्य देकर, कोयला प्राप्त करने की कोई आवश्यकता होगी ? दूसरे, क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि इस ताप बिजली घर की क्षमता 1,000 मेगावाट है और इस स्टेशन के निकट-वर्ती क्षेत्रों में जितना कोयला उपलब्ध है, उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा रहा है? यदि सरकार इससे अवगत है तो वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह की सूचना दे रहे हैं, जोकि अपने आप में ही प्रश्न है। आप सीधा प्रश्न ही क्यों नहीं पूछते ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह एक सीधा प्रश्न ही तो है। क्या वह कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त कर उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करेंगे ?

डा० के० एल० राव : बिजली के उत्पादन के लिये यह बहुत अच्छा विचार है और अगले दशक में हमारा 1000 किलोवाट बिजली उत्पादन करने का कार्यक्रम है। यह भी ठीक है कि वहां जो कोयला उपलब्ध है उसका प्रयोग ताप बिजली घर की मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यह खेद की बात हैं कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कोयले की मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा है। इसके कई कारण हैं। वास्तव में मैं भी इस बात के लिये इच्छुक हूं कि कोयला खानों का कार्य बिजली से होने लगे जिससे कि कोयला सस्ता हो जाये। मध्य-प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बीच इस मामले पर बातचीत चल रही है और मैं चाहता हूं कि मध्य-प्रदेश सरकार को अपने प्रयत्नों में सफलता मिले।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : सप्लाई बढ़ाने के बारे में ?

डा० के० एल० राव : इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री डी० डी० देसाई : विभिन्न राज्यों के ग्रिडों को आपस में जोड़ने का कुछ राज्यों द्वारा जो विरोध प्रस्तुत किया गया है, उसे दृष्टि में रखते हुये क्या मंत्री महोदय कुछ ट्रांसमिशन लाइनों के कार्य के लिए कुछ अतिरिक्त धन राशि का आवंटन करने का विचार कर रहे हैं ?

डा० के० एल० राव : मैं माननीय सदस्य की बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। सम्भवतः वह यह कह रहे हैं कि और अधिक ट्रांसमिशन लाइनें होनी चाहिए। हम इससे भली भांति अवगत हैं। हम वोल्टेज बढ़ाने के लिए बहुत ऊंचे स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं। हम 220 किलोवाट का प्रयोग कर रहे हैं और हम 400 किलोवाट प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ताकि अधिक बिजली दी जा सके।

श्री डी० डी० देसाई : मेरा प्रश्न यह था कि क्या मंत्री महोदय विभिन्न राज्यों के बिजली घरों को विभिन्न राज्यों की ट्रांसमिशन लाइनों से जोड़ने के लिए अधिक धनराशि देने पर विचार करेंगे ?

डा० के० एल० राव : मैंने भी यही निवेदन किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सतपुड़ा ताप बिजली घर का है। इस प्रश्न का इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री डी० डी० देसाई : मध्य प्रदेश के प्रश्न को हमें अन्य राज्यों के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि सतपुड़ा बिजली घर से और अधिक बिजली पैदा की जा सके और उसका प्रयोग किया जा सके।

डा० के० एल० राव : यही तो मैंने भी कहा है। हम प्रत्येक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मध्य-प्रदेश को पहले ही महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया गया है। वोल्टेज ऊंचे स्तर पर बढ़ायी जा रही है। हम अमरकोट और रिहंद से भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ रहे हैं।

श्री संजीवी राव : क्योंकि सिंहरेनी कोयला खान क्षेत्रों में बहुत सा कोयला इकट्ठा हो गया है। इसलिए सिंहरेनी कोयला क्षेत्र में बिजली-घर आरम्भ करने की वास्तविक स्थिति क्या है ?

डा० के० एल० राव : सिंहरेनी कोयले से भरा पड़ा है। उस क्षेत्र में बिजली का विस्तार करने का कार्यक्रम हम अगले दशक में आरम्भ करने वाले हैं।

भारतीय रेलों का विद्युतीकरण

* 341. **श्री एम० कतामुतु:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान रेल मार्गों के विद्युतीकरण की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में 1758 मार्ग किलोमीटर के निम्नलिखित रेलवे खण्डों के बिजलीकरण के काम की मंजूरी दी जा चुकी है :—

खण्ड	मार्ग कि०मी०
1. विरार-साबरमती	442
2: वाल्तेरु-किरान्दुल	471
3. पांशकुड़ा-हल्दिया	69
4. टूंडला-दिल्ली	292
5. मद्रास-विजयवाड़ा	484
	1758

श्री एम० कतामुतु : मेरे विचार में रेलवे के अध्ययन दल ने मद्रास कोचीन के दौरान रेल मार्गों के विद्युतीकरण की सिफारिश की है क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कार्यक्रम को चौथी योजना में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : विद्युतीकरण के कार्य पर काफी व्यय आता है और विद्युतीकरण से पूर्व हमें यह देखना पड़ता है कि अमुक क्षेत्र में रेल यातायात कितना है। जब भी हमें यह महसूस होगा कि अमुक क्षेत्र में यातायात अधिक बढ़ गया है तो हम निश्चय ही उस क्षेत्र के विद्युतीकरण पर विचार करेंगे।

श्री एम० कतायुतु : क्या मंत्री महोदय सबसे पहले मद्रास अरकोन लाइन के विद्युतीकरण पर विचार करेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में अत्यधिक रेल यातायात होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में सामान्य प्रश्न है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I wish to know from the hon. Minister whether a demand has also been made regarding electrification of Bombay—Baroda sections.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Demands are often made. But I don't have any particular information in this regard.

श्री बी० एस० मूर्ति : विजयवाड़ा मद्रास खंड के विद्युतीकरण का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किया गया था किन्तु अभी तक यह पूरा नहीं हुआ, इसके क्या कारण हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसा कि मैंने पहले बताया, मद्रास विजयवाड़ा खंड के विद्युतीकरण की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु स्वीकार कर ली गई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के साथ कन्टेनर फ्रेट सेवा का मिलाया जाना

*345. **श्री कल्याण सुन्दरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्टेनर जहाजों का उपयोग कर कन्टेनर फ्रेट सेवा को अन्तर्राष्ट्रीय यातायात सेवा से मिलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये क्या प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इसके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). इस मामले पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्य-संचालन दल नियुक्त किया है । कार्य-संचालन दल की रिपोर्ट के प्रारूप को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा और जब यह रिपोर्ट सरकार को मिल जायेगी तो सरकार इस पर विचार करेगी ।

श्री कल्याण सुन्दरम : उक्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस से रेलवे को क्या लाभ होगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसा कि मैंने पहले कहा, यह मामला समिति को सौंप दिया गया है और उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही हमें स्थिति का पता चल सकेगा ।

नर्मदा नदी सम्बन्धी न्यायाधिकरण

*349. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी सम्बन्धी न्यायाधिकरण ने अब तक कितनी प्रगति की है; और

(ख) उक्त न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन सम्भवत: कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) न्यायनिर्णयन की कार्यवाही चल रही है ।

(ख) जब कि न्यायाधिकरण द्वारा अपने कार्य को यथासम्भव शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि न्यायनिर्णयन का कार्य कब पूर्ण हो जाएगा ।

श्री डी० डी० देसाई : इस दौरान नर्मदा की बाढ़ को रोकने तथा इससे गुजरात को होने वाली वार्षिक क्षति का मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मूल प्रश्न न्यायाधिकरण के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य ने नर्मदा की बाढ़ को नियंत्रित करने के बारे में प्रश्न पूछा है। बाढ़ में बांध के बनने पर ही रोकी जा सकती है फिलहाल गुजरात सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को बचाने तथा वहां के निवासियों को अन्य गांवों में बसाने के लिए कार्यवाही कर रही है।

श्री डी० डी० देसाई : बांध निर्माण का कार्य काफी समय से रुका पड़ा है। स्थिति यह है कि प्रतिवर्ष सैकड़ों गांव जलमंग्न होते जा रहे हैं इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये।

डा० के० एल० राव : मैं माननीय सदस्य की बात समझ नहीं पाया।

श्री डी० डी० देसाई : बांध निर्माण का कार्य इसलिए रुका पड़ा है क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश के कुछ गांव जल मग्न हो चुके हैं। गुजरात में भी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ों के कारण वहां हर वर्ष कुछ गांव जलमग्न हो जाते हैं। क्या सरकार इस स्थिति की ओर ध्यान देगी ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न न्यायाधिकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में है। यदि मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री डी० डी० देसाई : माननीय मंत्री द्वारा अभी तक दिया गया उत्तर अस्पष्ट और सार-हीन था......

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य का कहना है कि हम मध्य प्रदेश में जलमग्न हो रहे ग्रामों के विषय में तो चिन्तित हैं किन्तु गुजरात में जलमग्न हो रहे गांवों पर ध्यान नहीं दे रहे। इसी लिए वह हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

श्री पीलू मोडी : गुजरात के गांवों में बाढ़ आई हुई है।

डा० के० एल० राव : ये केवल सैद्धान्तिक बातें हैं। जब तक न्यायाधिकरण अपना फैसला नहीं देता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि नर्मदा घाटी में बाढ़ को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे।

यह सच है। जहां नदी समुद्र में गिरती है वहां डेल्टा बन जाता है और यह भाग अपेक्षाकृत नीचा होता है अतः इसी कारण प्रतिवर्ष बाढ़ का शिकार बनता है। किन्तु निश्चय ही बाढ़ों तथा उससे होने वाली क्षति को, अवरोधक जलाशय तथा तटबंध बनाकर रोका जा सकता है। इनका निर्माण न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद ही हो सकता है।

Shri Bhagirath Bhanwar: When the Narmada River Tribunal is likely to submit its report ? My other question is, how many villages of Madhya Pradesh are going to be submerged and what action Government propose to take in this regard ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न न्यायाधिकरण की कार्यवाही की प्रगति के सम्बन्ध में है। यदि माननीय सदस्य विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वह इसके लिए पृथक सूचना दें। तभी मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एस० बी० गिरि : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन

*351. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर के बारे में जांच कार्य इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार जांच की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है, और यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखना जन-हित में नहीं होगा । फिर भी एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं ।

विवरण

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के कार्य-कलापों पर दी गई रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताओं का सारांश

जांच प्राधिकरण को ज़िसमें श्री एस० पी० सिंह सम्मिलित थे, यह पता चला कि वर्ष 1965 से जून, 1968 के वर्षों में अर्थात उस अवधि में जिसमें जांच की गई थी, निगम के व्यवसाय में गिरावट आ गई थी । उन्होंने अपने निष्कर्षों का सार इस प्रकार दिया है :—

बैंकों से अधिक राशि उधार ली गई, उधार की साख कम हो गई, सभी एककों के प्रशासन में शिथिलता आ गई, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और हिसाब किताब रखने में घोर अनियमितताएं बरती गई थी । देशी ऊन तथा कच्ची खालें बाजार में प्रचलित मूल्यों से अधिक पर खरीदी गई । 1966 में एन० डी० आर० के माध्यम से आयात हकदारी खरीदने में अविवेकी तरीके अपनाए गये थे । 1965-66 में ऊन शाखाओं तथा चमड़ा एककों दोनों में ही कम खपत वाला और निम्न स्तर का सामान अधिक मात्रा में तैयार किया गया जिससे काफी स्टाक जमा हो गया और अत्याधिक हानि हुई । 1967 में दो चीनी कम्पनियों द्वारा नियंत्रण को बेच देना निगम के हित के अत्यधिक प्रतिकूल था । कूपर ऐलेन और नार्थ वेस्ट टेनीरी तो पहले से ही संकटग्रस्त एकक थे उनकी दशा इन वर्षों में और भी अधिक खराब हो गई कच्ची खालों के गलत ढंग से खरीदने के अलावा स्टोरों तथा रसायनों की बिना किसी योजना के खरीद की गई । नागरिकों के इस्तेमाल के जूतों की बिक्री से सम्बन्धित नीति भी दोषपूर्ण थी । इस एकक के कुछ अधिकारियों ने सन्दिग्ध सौदे किए थे और भ्रष्ट तरीके अपनाये । इन सबके कारण सभी एककों में प्रतिकूल व्यापार का प्रभाव बाह्य परिस्थितियों वश अथवा ऐसी परिस्थितियों से जो प्रबन्धकों के नियंत्रण से बाहर थी, इतना नहीं पड़ा जितना आन्तरिक कुप्रबन्ध से पड़ा जिससे निगम के व्यापार में अत्यधिक गिरावट आ गई । 1967 में तो निगम की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई कि बहुत छोटी राशि के यहां तक कि 2.75 रु० या 3 रुपये के भी चेक स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा वापस लौटा दिये गये थे ।

2. उपर्युक्त निष्कर्षों को दृष्टि में रखते हुए जांच प्राधिकरण इस परिणाम पर पहुंचा कि 1968 में केन्द्रीय सरकार का यह मत ठीक था कि निगम के कार्य-कलापों का प्रबन्ध ऐसे ढंग से

किया जा रहा था जो उपक्रम और जनहित में अत्यधिक अहितकर था। प्राधिकरण ने सिफारिश की कि केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की सारा 16 (1) के अन्तर्गत उपक्रम के सक्षम और कुशल प्रबन्ध का सुनिश्चय करने के लिए कम्पनी को उपयुक्त निदेश जारी करने की वांछनीयता पर विचार करना पड़ सकता है।

श्री एस० एम० कृष्ण : सदन की ओर से निरन्तर मांग किए जाने पर सरकार ने कानपुर की ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के निन्दनीय कार्यों की जांच हेतु एक जांच आयोग की नियुक्ति की थी। जांच आयोग के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं। मैं आयोग के प्रतिवेदन की दो पंक्तियां यहां उद्धृत करना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को उद्धरण देने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वस्तुतः वह क्या करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि सदन ऐसी परम्परा अपनाए। माननीय सदस्य कृपया जो कुछ भी पूछें प्रश्न के रूप में ही पूछें।

श्री एस० एम० कृष्ण : जांच आयोग के भ्रष्टाचार सम्बन्धी निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरान्त सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की है?

श्री घनश्याम ओझा : हमने कई निदेश जारी किए हैं तथा इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि वह इन निदेशों का पालन करें।

श्री एस० एम० कृष्ण : माननीय मंत्री का कहना है कि उन्होंने कई निदेश जारी किए हैं। क्या यह सच है कि आज भी कार्यकारी शक्तियां बजोरिया बन्धुओं के हाथ में हैं जो कि कानपुर की ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में व्यापक कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदार ठहराए गए थे।

श्री घनश्याम ओझा : यह सच है कि प्रबन्ध हमने अपने हाथ में नहीं लिया है।

श्री एस० एम० कृष्ण : प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने में सरकार के मार्ग में क्या रुकावट है। क्या सदन में इस सम्बन्ध में मांग नहीं की जा चुकी है?

श्री पीलू मोडी : प्रबन्ध को अपने हाथ में न लेने के पीछे कुछ राजनीतिक कारण हैं।

श्री घनश्याम ओझा : ऐसी कोई बात नहीं। हमें आशा है कि यदि निदेशों का पालन किया जाए तो स्थिति सुधर सकती है। प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने से पूर्व परीक्षण के तौर पर यह निदेश जारी किए गए हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम मानते हैं कि कुछ निदेश जारी किए गए हैं लेकिन जांच कराने का मुख्य उद्देश्य कुछ संस्थाओं को विशेषकर कूपर एलन संस्था को अपने हाथ में लेना था। स्वर्गीय नेहरू का भी यही विचार था। इस संस्था को अपने अधिकार में लेने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं साथ ही लाल इमली भी बधाई का पात्र है क्योंकि ये संस्थाएं मुख्यतः रक्षा विभाग के लिए कार्य करती हैं। पहले श्री उमाशंकर दीक्षित इसके अध्यक्ष थे किन्तु अब उन्होंने मंत्री पद का कार्य-

भार संभाल लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा और क्या कार्यकारी शक्तियां बजोरिया बन्धुओं के हाथ में ही रहेंगी अथवा सरकार उन्हें अपने अधिकार में ले लेगी ? यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम संयुक्त अर्थव्यवस्था से काम नहीं ले सकते। निगम को हमें कुशलतापूर्वक चलाना होगा क्योंकि इसमें 35,000 कर्मचारी काम करते हैं।

श्री घनश्याम ओझा : यह सब कार्यवाही हेतु सुझाव दिए गए हैं। हम स्वयं इसके लिए उत्सुक हैं कि स्थिति सुधर जाए और निगम का काम सुचारु रूप से चले।

श्री एस० एम० बनर्जी मेरे प्रश्न स्पष्ट थे। मैंने पूछा था कि श्री दीक्षित के मन्त्री बन जाने के बाद अब अध्यक्ष कौन बनेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने आपकी बात नोट कर ली है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं श्री ओझा का आदर करता हूं। उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसको अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : किसी ईमानदार व्यक्ति को अध्यक्ष बनना चाहिए। राजनीतिक और विशेषकर हारे हुए राजनीतिज्ञ को कार्यभार कभी न सौंपा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने भावी अध्यक्ष के बारे में पूछा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : भावी अध्यक्ष के बारे में मैं नहीं पूछ रहा। मेरा प्रश्न है कि श्री दीक्षित के स्थान पर अब अध्यक्ष कौन बनेगा ? मैंने यह भी पूछा था कि कार्यकारी शक्तियां बजोरिया बन्धुओं के पास रहेंगी अथवा सरकार के पास ?

श्री घनश्याम ओझा : प्रबन्ध सुधार के लिए विशिष्ट निदेश देने के सिवाय इस समय हमारे सामने कोई विकल्प नहीं। जहां तक अध्यक्षता का सवाल है, यह प्रश्न विचाराधीन है।

माल भाड़े और यात्रा के किराये में वृद्धि

*352. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत बीस वर्षों में भारतीय रेलों पर कर्मचारियों का खर्च 148 प्रतिशत, ईंधन का खर्च 153 प्रतिशत और मरम्मत एवं रखरखाव का खर्च 198 प्रतिशत बढ़ गया है, परन्तु इसी अवधि में माल भाड़े में केवल 67 प्रतिशत और यात्री किराये में 69 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने माल भाड़े और यात्री किराये में तदनुरूप वृद्धि क्यों नहीं की ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1970-71 के संशोधित अनुमानों पर आधारित नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि प्रति कर्मचारी पर होने वाले खर्च से और रेलों पर प्रयुक्त होने वाले आवश्यक भंडार के मूल्यों में तथा 1951 और 1971 के बीच प्रति यात्री किलोमीटर और मीटरिक टन किलोमीटर पर

लिये जाने वाले प्रभार की औसत दर में निम्नलिखित वृद्धियां हुई हैं :—

	1950–51 को आधार मान कर 1970—71 में हुई वृद्धि का प्रतिशत
प्रति कर्मचारी पर खर्च	171
थोक में कीमतों का सूचकांक—	
(क) कोयला	138
(ख) खनिज तेल	102
(ग) बिजली	88
(घ) लोहा और इस्पात का सामान	200
(ङ) सीमेंट	148
प्रति यात्री किलोमीटर पर लिये गये किराये की औसत दर	69
प्रति मीटरिक टन पर लिये गये भाड़े की औसत दर	69

(ख) इसके कारण इस प्रकार हैं :—

(i) इतनी अधिक वृद्धि का देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी दुष्प्रभाव होता ।

(ii) इससे रेलों की प्रतियोगी स्थिति, विशेष कर ऊंची दर वाली वस्तुओं और मध्यम दूरी के यात्री यातायात के सम्बन्ध में, कमजोरी होती ।

(iii) इसका रेल उपयोगकर्ता काफी विरोध करते ।

(iv) यह आवश्यक समझा गया कि आधुनिकीकरण (डीजलीकरण, बिजलीकरण और परिष्कृत सिगनल प्रणाली) से होने वाले लाभों के साथ-साथ मानों की आर्थिकता का लाभ भी रेल उपयोगकर्ताओं को मिले ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यात्रियों के किराये व भाड़े में वृद्धि के साथ साथ सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है, और यदि हां, तो यह वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है ।

श्री हनुमन्तैया : सुविधाओं में वृद्धि की गई है । 1951-52 का व्यय 2.4 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ रुपया हो गया है और इस तरह सुविधाओं में एक प्रकार से शत प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मंत्री महोदय ने हमें किराए तथा भाड़े की वृद्धि के पिछले 20 वर्ष के आंकड़े दिए हैं । वह उनकी पड़ोसी देशों के किराये तथा भाड़ों से कैसे तुलना कर रहे हैं ?

श्री हनुमन्तैया : इस सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना दी जाए ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मंत्री महोदय किराये तथा भाड़ों में वृद्धि की अपेक्षा कमी की योजना कब से प्रारम्भ कर रहे हैं ।

श्री हनुमन्तैया : मैने अपने बजट भाषण में तथा रेलवे बजट पर हुई सामान्य चर्चा के उत्तर में बताया है कि इस सम्बन्ध में कई कदम उठाए जा रहे हैं और उनके परिणाम आगामी बजट तक पता चल जाएंगे ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : व्यय को घटाने तथा यात्रियों के किराये व भाड़े में कमी करने हेतु क्या सरकार विभिन्न प्रकार की लाईनों को एक चौड़ी लाईन में परिवर्तित करने के द्रुत कार्यक्रम पर विचार करेगी ?

श्री हनुमन्तैया : मैं इस सम्बन्ध में नीति की घोषणा पहले कर चुका हूं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : व्यय को कम करने तथा कुशलता को बढ़ाने के लिए क्या मंत्री महोदय रेलवे बोर्ड को जो कि निरर्थक होने के साथ-साथ खर्चीला भी है समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, माननीय सदस्य का प्रश्न संगत नहीं है ।

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वृहद् योजना

*354. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वृहद् योजना तैयार करने के हेतु राजस्थान के 10 जिलों का चयन किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख). राजस्थान के कुछ चुने हुए जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के बारे में राजस्थान सरकार की कोई सिफारिश नहीं प्राप्त हुई है । राज्य योजना में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए, जिनमें 35,000 पंपसेटों को बिजली से चलाना परिकल्पित है, 14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को अमल में लाने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम भी राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को अतिरिक्त धन दे रहा है । ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अब तक राजस्थान के लिए 9465 पंपसेटों को बिजली से चलाने के लिए और 429 गांवों में बिजली लगाने के लिए 3.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की मंजूरी दी है । कुल मिला कर राज्य की योजना में धन की जो व्यवस्था की गई है, उससे और ग्राम विद्युतीकरण निगम और अन्य वित्तपोषी संस्थाओं से मिलने वाली वित्त सहायता से राज्य विद्युती बोर्ड को यह आशा है कि वह योजना की अवधि में 50000 पंपसेटों को बिजली देगा और 2800 गांवों में बिजली लगाएगा; इसके मुकाबले चौथी योजना के प्रारंभ में 19154 पंपसेटों को बिजली दी गई थी और 2219 गांवों में बिजली लगाई गई थी ।

श्री ब्रजराज सिंह कोटा : क्या कोटा जिले का नाम भी शामिल कर लिया गया है ।

सिचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : हां, यह एक महत्वपूर्ण स्थान है ।

श्री ब्रजराज सिंह कोटा : क्या आप इस पुनर्वित्त योजना के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं जिससे गांवों में बिजली लगाने के लिये धन प्राप्त होगा ?

डा० के० एल० राव : हमारे पास एक वृहद् कार्यक्रम है और मेरे विचार में राजस्थान के लिए 5 परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। हमें आशा है कि अभी कुछ और परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी जाएगी क्योंकि राजस्थान विद्युतीकरण के मामले में बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है।

दिल्ली से वालटेयर तक सीधी गाड़ी का चलाया जाना

*358. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से कोई गाड़ी या डिब्बा / डिब्बे वाल्टेयर तक सीधे जाते हैं।

(ख) यदि हां, तो वे कितनी अवधि के बाद जाते हैं;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यात्रियों को गाड़ी में दो दिन और दो रातें बितानी पड़ती हैं, उक्त गाड़ी में तीसरे दर्जे के स्लीपर की व्यवस्था है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय उसमें तीसरे दर्जे के स्लीपर की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रहा है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां। पहले और तीसरे दर्जे का एक मिला जुला सीधा सवारी डिब्बा।

(ख) 15 डाउन/16 अप ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस और उनसे मेल लेने वाली 45 अप/46 डाउन एक्सप्रेस गाड़ियों में लगकर सप्ताह में दो बार।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि यात्रियों को दो दिन और दो रातें गाड़ी में बितानी पड़ती हैं और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे बोर्ड लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधाएं देने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है ?

श्री हनुमन्तैया : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। भार क्षमता की ग्राह्यता ही परिसीमन तत्व है अतः माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैंने सुझाव नहीं दिया, अपितु प्रश्न पूछा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बड़े व्यापार गृहों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक कारखानों की स्थापना

*331. **श्री पी० के० देव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े व्यापार गृहों पर कतिपय शर्तों पर पिछड़े क्षेत्रों में नये तथा सहायक कारखाने स्थापित करने के लिये जोर देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) जनवरी, 1971 से अब तक नये औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिये बड़ व्यापार गृहों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं और नये निर्णय के अनुसार कितने लाइसेंस/आशय-पत्र दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि प्रस्तावों की आर्थिक जीव्यता तथा तकनीकी संभाव्यता देखते हुये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में नये एकक स्थापित करने या वर्तमान एककों के विस्तार के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राथमिकता तथा वरीयता प्रदान करती है। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि बड़े औद्योगिक गृहों जिनसे सामान्यतया 'कोर' तथा बड़े निवेश वाले उद्यगों में योग देने अथवा हिस्सा लेने की साधारणतया आशा की जाती है। उनके द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े अन्य क्षत्रों में जहां दूसरे उद्यमी धन लगाने के इच्छुक न हों औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए दिये गये आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है।

(ग) 1-1-70 से 31-3-71 की अवधि में बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित अथवा उनके द्वारा नियंत्रित फर्मों से 77 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन 77 आवेदनों में से चौदह नये उपक्रम स्थापित करने के लिये थे। इसी अवधि में 20 औद्योगिक गृहों के अधीन चल रहे फर्मों को 27 औद्योगिक लाइसेंस तथा 2 आशय पत्र दिये गये। इनमें से 3 लाइसेंस नए उपक्रमों के लिए हैं तथा 3 काम चालू रखने के लिये हैं। पिछड़े क्षेत्रों में नए उपक्रम स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है।

व्यास-सतलुज लिंक परियोजना के निर्माण में विलम्ब

*332. **श्री बी० के० मोदक :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास-सतलुज लिंक परियोजना के निर्माण में धन के अभाव के कारण विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो समय पर धन देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी नहीं। परियोजना के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Setting of a Bench of Allahabad High Court at Meerut

*338. **Shri R. C. Vikal :** Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether the question of setting up of a Bench of the Allahabad High Court at Meerut is under consideration ; if so, since when ;

(b) the names of the persons/parties who made the demand ; and

(c) the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Copies of resolutions demanding a Bench of the High Court at Meerut were received in 1969 from the Bar Association, Nagina, the Collectorate Bar Association, Bulandshahr, Meerut Bar Association and the Western U. P. Chamber of Commerce, Meerut. As there was no proposal from the Government of U. P. in this regard, the question of the Central Government taking a decision in the matter did not arise.

आसाम में बाढ़ नियंत्रण

*339. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम के मंत्री द्वारा की गई इस मांग की ओर दिलाया गया है कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को अपने अधिकार में ले कर आसाम में बाढ़ नियंत्रण का दायित्व ले लिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). असम के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को लिखा है कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के नियंत्रण करने का कार्य राज्य सरकार के साधनों से बाहर है और केन्द्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिये, और यह सुझाव दिया है कि इस मामले पर विचार-विमर्श किया जाए।

इस मामले पर अभी विचार-विमर्श किया जाना है।

डीलक्स तथा वेस्टर्न एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के सवाई माधोपुर जंकशन पर रोकने सम्बन्धी प्रस्ताव

*340. **श्रीमती गायत्री देवी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीलक्स तथा वेस्टर्न एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को सवाई माधोपुर जंकशन पर रोकने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से यह प्रस्ताव क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). 1-4-1971 से सवाई माधोपुर स्टेशन पर 25 डाउन/26 अप वातानुकूल पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था कर दी गयी है।

अतिरिक्त मशीनरी के निर्माण के लिये मैसर्स वोल्टास को लाइसेंस दिया जाना

*342. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वोल्टास को प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त मशीनरी के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या एकाधिकार आयोग द्वारा पहले इसकी जांच-पड़ताल की गई थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) तथा (ख). जी, हां। मेसर्स वोल्टाज को अगस्त 1969 में प्रतिवर्ष 1.08 करोड़ रुपये मूल्य के 12 रोटरी-सह-डाउन

होल ब्लास्ट होल ड्रिलें बनाने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था । एकाधिकार आयोग द्वारा संवीक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि उस समय तक एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया विधेयक लागू ही नहीं हुआ था ।

कलकत्ता जाने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस के डिब्बों में धनबाद स्टेशन पर आग लग जाना

*343. **श्री कृष्ण हाल्दर :**

श्री समर गुह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 मई, 1971 को कलकत्ता जाने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस के तीन डिब्बों में धनबाद स्टेशन पर आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान तार जल जाने (शार्ट सर्किट) आदि के कारण होने वाली रेल दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 11-5-1971 को जब कोलफील्ड एक्सप्रेस का 14 सवारी डिब्बों वाला रेक धनबाद स्टेशन की साइडिंग में खड़ा था तो लगभग 04.15 बजे रेक के भोजन-यान और उससे सटे तीसरे दर्जे के कुर्सीयान में आग लग गयी ।

(ख) जांच की गई थी लेकिन भोजन यान जहां से आग शुरू हुई थी, आग से नष्ट हो जाने के कारण कोई निश्चित कारण सिद्ध नहीं हो सका ।

(ग) जी नहीं । तथ्य कुछ और ही हैं और रेल गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं में काफी कमी हुई है । 1970-71 में अर्थात् अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 तक रेल गाड़ियों में आग लगने की केवल 12 घटनाएं हुईं जब कि पिछले वर्ष अर्थात् 1969-70 में 47 घटनाएं हुई थीं ।

(घ) (i) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा किये गये विस्तृत अध्ययन के फलस्वरूप सवारी डिब्बों की बिजली रोशनी प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया गया था ।

(ii) सभी सवारी डिब्बों खासतौर से लकड़ी के ढांचे वाले सवारी डिब्बों की जांच करके यह देखा जाता है कि उनमें करेंट लीक तो नहीं करता ।

(iii) जंकशन बक्सों और पंखों के लीड्स पर इंसूलेटिंग स्लीव्ज लगाये जाते हैं ।

(iv) आवधिक ओवरहाल के समय सवारी डिब्बों के ब्रांच वायरिंग की पूरी तरह जांच की जाती है ।

गोल्ड स्पाट और कोका कोला की बोतलें भरने वाले कारखाने

*344. **श्री एस० पी० वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 और 1970 में क्रमशः देश में गोल्ड स्पाट की बोतलें भरने वाले कितने-कितने कारखाने थे तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित थे ; और

(ख) वर्ष 1970 में देश में कोका कोला की बोतलें भरने वाले कारखानों की संख्या कितनी थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) वर्ष 1970 में देश में बोतल भरने वाले अट्ठाइस संयंत्र "गोल्ड स्पाट" की बोतलें भरते थे, जबकि वर्ष 1968 में ऐसे पन्द्रह संयंत्र थे। गोल्ड स्पाट की बोतलें भरने वाले संयंत्रों के स्थानों को बताने वाली एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—344/71]**

वर्ष 1970 में बोतल भरने वाले इक्कीस संयंत्र कोका कोला भर रहे हैं।

कोयले और इस्पात की कमी के कारण लघु उद्योगों का बन्द होना

*346. **श्री विश्व नाथ झुनझुनवाला :**
श्री नाथू राम अहिरवार :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले और इस्पात की भारी कमी के कारण देश में बड़ी संख्या में लघु उद्योगों को बन्द होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां तो इन उद्योगों की कुल आवश्यकता कितनी है और उसे पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सतलुज नदी में पानी की सतह गिरने से दिल्ली में बिजली की कमी

*347. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस आशय का वक्तव्य दिया है कि यदि सतलुज नदी में पानी का स्तर ऊंचा नहीं हुआ तो दिल्ली में बिजली की भारी कमी होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में बिजली की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). 25 मई, 1971 को सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में मैंने यह कहा था कि अगर भाखड़ा के अन्तः प्रवाह में सुधार नहीं हुआ, तो भाखड़ा में प्रतिदिन बिजली उत्पादन में लगभग 20 लाख यूनिट की कमी हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप भाखड़ा परियोजना से बिजली पाने वाले राज्यों को अपनी बिजली की खपत में कटौती करनी पड़ेगी। दिल्ली पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार, सरकार ने दिल्ली में विद्युत्-भार

में कमी लाने (लोड शैडिंग) की एक स्कीम तैयार की थी। भाखड़ा से बिजली की सप्लाई की स्थिति के बदतर होने पर इस स्कीम को अमल में लाने के लिये तैयार रखा गया था। (फिर भी, स्थिति में इस समय पर्याप्त सुधार हो गया है)। दिल्ली में विद्युत्-भार में 30 से 50 मैगावाट तक की कमी करना भी अन्य उपायों में सम्मिलित है—

(i) दूकानों के समय में परिवर्तन

(ii) सजावट की रोशनियों और फव्वारों की रोशनी के उपयोग पर रोक।

(iii) सिनेमा के प्रदर्शनों को नियमित करना।

(iv) औद्योगिक विद्युत्-भारों के लिये भिन्न-भिन्न समय रखना।

(v) विभिन्न क्षेत्रों में दिन के विभिन्न घण्टों में सम्भरकों (फीडरों) के विद्युत्-भार में चरणों में कमी करना।

भाखड़ा के बिजली उत्पादन में सुधार के अलावा, इंद्रप्रस्थ केन्द्र, दिल्ली में कुछ ही हफ्तों में 55 मैगावाट बिजली पैदा करने वाले एकक के चालू किये जाने, अगले साल बदरपुर तापविद्युत् केंद्र के चालू किये जाने और आस-पास की विद्युत् प्रणालियों के बीच आपसी सम्पर्क जुड़ जाने से दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई का सुनिश्चिय हो जाएगा।

मतगणना की नई प्रक्रिया

*348. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री आर० वी० बड़े :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत लोक सभा के निर्वाचनों में मुख्य राजनीतिक दलों की सलाह के बिना ही मतगणना की प्रक्रिया में सारभूत परिवर्तन किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन राजनीतिक दलों के अलग-अलग नाम क्या हैं जिन्होंने मतगणना की नई प्रक्रिया का समर्थन अथवा विरोध किया ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). गणन प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में यथोचित संशोधन करके, तब्दील की गई थी। नियमों के संशोधन के लिए इस प्रकार अंगीकृत प्रक्रिया, अभी तक अंगीकृत प्रक्रिया से किसी प्रकार भिन्न नहीं है और न निर्वाचनों के संचालन को शासित करने वाली विधि में कोई ऐसा उपबन्ध है कि राजनीतिक दलों से पूर्विक परामर्श किए बिना नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा, जो अपने-अपने नामों के सामने दिए गए राजनीतिक दल के थे, संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित तारीख 20 जनवरी, 1971 का एक पत्र निर्वाचन आयोग में प्राप्त हुआ था। इस पत्र में नियमों में अन्तिम क्षण तब्दीलियां करने के बारे में विरोध प्रकट किया था :

1.	श्री पीताम्बर दास	— जनसंघ
2.	श्री राजनारायण	— संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी
3.	श्री एस० डी० मिश्र	— उस समय की श्री निजलिंगप्पा की अध्यक्षता वाली कांग्रेस

4. श्री आर० सी० कूपर — स्वतंत्र

नई प्रक्रिया का विरोध करने वाली कोई भी संसूचना किसी अन्य राजनीतिक दल से प्राप्त नहीं हुई थी।

रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिल्ली में कोयले की कमी

*350. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राजधानी में जनवरी, 1971 से कोयले की भारी कमी रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जनवरी, 1971 और इससे भी पहले सितम्बर, 1970 से दिल्ली के लिए कोयले के परिवहन पर रेल कर्मचारियों की हड़ताल और अन्य बातों का प्रभाव पड़ा है।

दिल्ली को कोयले के परिवहन में कमी का कारण यह था कि 1970-71 में और विशेष रूप से सितम्बर, 1970 से पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयले के लदान में सामान्य गिरावट आयी थी। इसका कारण यह था कि पूर्वी क्षेत्र में रेलों को गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो उनके काबू से बाहर थीं। गाड़ियों के सुचारू संचलन और पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में स्थित कोयला खानों को माल डिब्बों की सप्लाई पर सर्वाधिक दुष्प्रभाव डालने वाला प्रमुख कारण था पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति जैसे कि माल-डिब्बों के पुर्जों, ऊपरी कर्षण तारों, दूरसंचार केबुलों, रेलपथ के सामान आदि की चोरी, सवारी और माल गाड़ियों में तोड़-फोड़, रेल कर्मचारियों पर हमले और उनकी हत्या, स्टेशनों पर और कार्यालयों में रेल सम्पत्ति की लूट और आगजनी, रेल कर्मचारियों द्वारा की गयी छोटी-बड़ी हड़तालें, स्टेशनों, यार्डों और कालोनियों में बम फेंकना, बन्द, हड़तालें और अन्य प्रकार से काम बन्द कर देना जिससे रेल परिचालन ठप्प हो जाये और इसी तरह की कई अन्य समाज-विरोधी गतिविधियां। इस प्रकार की गति विधियों पर काबू पाने के लिए उपयुक्त और कारगर कार्रवाई करना राज्य सरकारों का काम है। रेलों ने अपनी ओर से उस क्षेत्र में सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या यथासम्भव अधिकतम कर दी है। रेल प्राधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से सभी स्तरों पर यथा-सम्भव निकटतम तालमेल रखा जा रहा है ताकि इस प्रकार की गतिविधियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। उच्च अधिकारियों से उस क्षेत्र में रेल संचलन को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए ठोस और प्रभावपूर्ण उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया है। फिर भी, अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उस क्षेत्र में यदि एक बार रेल परिचालन का काम फिर से सामान्य स्थिति में आ जाये तो कोयले की मांग को संतोषजनक ढंग से पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

चमड़ा और चमड़े की वस्तुऐं बनाने के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की उपसमिति की सिफारिशें

*353. **श्री दण्डपाणि :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़ा और चमड़े की वस्तुऐं बनाने वाले उद्योगों की विकास परिषद की उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ख) मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के द्वारा उत्पादन को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं ; और

(ग) उपरोक्त उप-समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) उपसमिति (मशीनरी उप-समिति) (समितियों और पेनल के अतिरिक्त) की सिफारिशों पर चमड़ा और चमड़े का सामान बनाने वाले उद्योगों की विकास परिषद की 25 नवम्बर, 1970 को हुई पांचवी बैठक में विचार किया गया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और सम्भव सीमा तक इनका कार्यान्वयन किया जायेगा।

(ख) सरकार द्वारा चमड़ा और चमड़े का सामान बनाने वाले उद्योगों के उत्पादन में यन्त्रीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में संतुलन के लिए आधुनिकीकरण और बदलने के लिए इन वस्तुओं को पंजीकृत अन्तर्गत मशीनों के आयात के लिए उदार बनाना भी है। जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है उन्हें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से उनके किराया खरीद योजना के अर्न्तगत हर आवश्यक सहायता मिल रही है। इसके अलावा राज्य व्यापार निगम भी लघु उद्योग एककों को उत्पादन विकास और नई क्षमता स्थापित करने के लिए सहायता दे रहा है।

(ग) उक्त उपसमिति की सिफारिशें जो चमड़ा और चमड़े का सामान बनाने वाले उद्योगों की विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर ली गयी है को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(1) विकास आयुक्त लघु उद्योग लघु क्षेत्र की चमड़ा, जूते, और चमड़े की वस्तुएं बनाने की वर्तमान क्षमता को पता लगाकर इनमें से कुछ मशीनों के उत्पादन के लिए एककों की स्थापना के लिए प्रयत्न करे।

(2) तकनीकी विकास के महानिदेशालय से भी कुछ जटिल प्रकार की मशीनों के उत्पादन का जिनका उत्पादन लघु क्षेत्र में नहीं किया जा सकता की क्षमता स्थापित करने की सम्भाव्यता का पता लगाने को कहा जाये।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को भी कुछ मशीनों जिनकी इन उद्योगों को आवश्यकता पड़ती है के निर्माण और सुधार के लिए केन्द्रीय यांत्रिकी और इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सेन्ट्रल मैकेनिकल इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट) और केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्थान (सी० एल० आर० आई०) के सक्रिय सहयोग से देशी जानकारी के विकास और अभिवृद्धि की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिये। यदि आवश्यक हो तो चमड़े का उत्पादन जूतों और चमड़े की वस्तुओं सम्बन्धी मशीनों को शीघ्र परिणाम पाने के लिए मिला लिया जाये।

(4) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा चलाये जा रहे आद्यरूप केन्द्रों को भी यदि आवश्यक हो तो सी० एम० ई० आर० आई० और सी० एल० आर० आई० के सहयोग से देशीय जानकारी से कुछ मशीनों के निर्माण हेतु क्षमता स्थापित करने की, सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए। टेनिंग

फुटवीयर (जूते) और अन्य चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों में काम आने वाली मशीनों के उत्पादन में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसा होना ऊंची किस्म और प्रकार के चमड़े, फूटवीयर और चमड़े की अन्यान्य वस्तुओं की विभिन्न देशों की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

(5) फूटवीयर की उत्पादन और निर्माण प्रक्रिया में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अतः औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय को देश और विदेश में मशीन उत्पादन उद्योग में हो रही प्रगति का अध्ययन करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन करना चाहिये ताकि आधुनिक तकनीक अपनाकर नई क्षमता अधिष्ठापित करने के लिये उद्यम सम्बन्धी आवश्यक मार्ग दर्शन किया जा सके।

(6) देश में इन मशीनों के उत्पादन के लिए आवश्यक आयातित हिस्से पुर्जे उपलब्ध करने में कुछ जूते बनाने की मशीनें बनाने वाले कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि आई० टी० ओ० में स्वीकृत उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार इनके आयात करने के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि 1971-72 में नई नीति घोषित करते समय ऐसी स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि मशीनें बनाने वाले विशेष उत्पादन कार्यक्रमों के अनुसार उत्पादकों को हिस्से पुर्जों के आयात करने की सुविधा मिल सके।

(7) यद्यपि देश में चमड़ा, फुटवीयर जूते और चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले एकक हैं फिर भी देश में प्रशिक्षित तकनीशियन नहीं हैं जो अल्पकालीन या दीर्घकालीन आधार पर मशीनों की देखभाल कर सकें। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जिनके पास मशीनें हैं ऐसे बड़े एकक अधिक लोगों को इन मशीनों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित करें ताकि देश में लगाई जाने वाली मशीनों की देखभाल करने में इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके।

(8) चमड़ा और जूते बनाने वाली मशीनों की आवश्यकतानुसार तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। इन मशीनों की नई तकनीक से इन व्यक्तियों को सुपरिचित कराने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रख्यात मशीनों प्रदर्शिनियों में भी समय समय पर ले जाया जाना चाहिये। विशेष करके नई मशीनों के अलावा फूटवीयर की तकनीक में नित्य नये आमूल परिवर्तन लाये जा रहे हैं, और इस प्रकार की तकनीक का देश में प्रदर्शन किया जाना चाहिये और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(9) शिक्षा मंत्रालय हर वर्ष उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए लोगों को विदेशों में भेजता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इस कार्यक्रम में चमड़ा, जूते और चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन, डिजायन, और संधरण आदि को भी सम्मिलित किया जाय।

(10) यदि इन मशीनों का कोई देशी उत्पादक अपने कर्मचारियों को विदेश में (जूतों के सांचे औद्योगिक सिलाई की मशीनों आदि सहित) प्रशिक्षित कराना चाहता है अथवा इन मशीनों के उत्पादन के लिये विदेशी तकनीशियनों की सेवायें प्राप्त करना चाहता है उसे सरकार द्वारा सभी प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिये।

रेलवे विद्युतीकरण विभाग के छंटनीशुदा कर्मचारियों का पुनः काम पर लगाया जाना

*355. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन रेल मंत्री ने कई संसद्-सदस्यों को यह आश्वासन दिलाया था कि रेलवे

विद्युतीकरण परियोजना के सभी 600 छंटनीशुदा कर्मचारियों को पुनः काम पर ले लिया जायेगा तथा उन्हें रेल विभाग के अन्तर्गत भारत के किसी भी भाग में नियमित रोजगार में लगा दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों को अब तक पुनः काम पर लगा लिया गया है तथा उन्हें नियमित रोजगार दे दिया गया है; और

(ग) अभी तक सभी कर्मचारियों को पुनः काम पर न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) संसद् के कई सदस्यों ने इस मामले में मेरे पूर्ववर्ती के पास अभ्यावेदन किया था। उनका निर्णय, जो कि रिकार्ड में है, यह था कि रेल बिजली योजना के नौकरी से हटाये गये नैमित्तिक मजदूरों को तरजीह दी जानी चाहिए और उन्हें अतिरिक्त खाली जगहों पर रखे जाने के लिए भी विचार किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग). रेल बिजली योजना, इलाहाबाद में 366 नैमित्तिक मजदूर पहले ही वापस लिये जा चुके हैं। कार्य-भार लगातार कम होते जाने के कारण नैमित्तिक मजदूरों को आगे समाहित किये जाने की सम्भावना बहुत कम है। फिर भी, रेल बिजली योजना के नैमित्तिक मजदूरों को नियमित रोजगार देने के प्रयास किये गये हैं। छानबीन के बाद, प्रारम्भ में 158 अतिरिक्त नैमित्तिक मजदूरों का एक पैनल बनाया गया था जिनमें से 114 ने अब जगाधरी, कालका, आलमबाग और बीकानेर कारखानों में नौकरी शुरू कर दी है। इसके बाद से उत्तर रेलवे में नियुक्ति के लिए 100 और 117 व्यक्तियों के दो और पैनल बनाये गये हैं।

राजस्थान गंडक कोसी तथा अन्य नहर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

*356. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्थान, गंडक, पश्चिमी कोसी और अन्य बड़ी नहर परियोजनाओं के लिए भारी धन राशि की आवश्यकता है तथा उनके पूरे होने में देरी का मुख्य कारण धन-राशि की कमी होना है ; और

(ख) क्या इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय से मांग की है और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक ज्यादातर अल्प अवधि के लिए और कभी-कभी मध्यम अवधि के लिए ही ऋण देते हैं। वे ऋण देकर राज्य सरकारों के उधार लेने से संबंधित कार्यक्रम की सहायता भी करते हैं, लेकिन वे सिंचाई परियोजनाओं की, जिनके लिए बहुत दीर्घ अवधि के ऋण की जरूरत होती है, धन संबंधी सहायता सीधे नहीं करते।

नई दिल्ली से मद्रास के लिये एक्सप्रेस गाड़ी आरम्भ करना

*357. **श्री मुरासोली मारन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की भांति नई दिल्ली से मद्रास के लिए एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). रेल मंत्रालय ने दिल्ली और मद्रास के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है । लेकिन जब तक मथुरा से मद्रास तक के मार्ग को अधिक तेज रफ्तार के योग्य न बना दिया जाये तब तक इसके लिये प्रतीक्षा करनी होगी ।

कोयले की कमी से उद्योगों को हानि

*359. **श्री राजदेव सिंह :**
डा० रानेन सेन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कहा है कि माल डिब्बों और कोयले की कोई कमी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड को निर्माणकारी उद्योगों से कोयले की मांग के बारे में ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि देश में कोयले की कमी के कारण उन्हें बहुत हानि हो रही है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). इस समय देश में कोयले की जितनी मांग है उसे पूरा करने के लिए मालडिब्बों या कोयले की कोई कमी नहीं है ।

तथापि, कोयला प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयला प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में रेलवे बोर्ड को निर्माण उद्योगों से अभ्यावेदन मिले हैं ।

इन कठिनाइयों का कारण है पूर्वी क्षेत्र में रेलों की सामान्य रूप से काम करने में असमर्थता। पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों के संचलन पर, पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की सामान्यतः खराब स्थिति और शरारती तत्वों की गतिविधियों में बहुत वृद्धि हो जाने से, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है जैसे मालडिब्बों के पुर्जों, ऊपरी कर्षण तारों, दूर संचार केबुलों, रेलपथ के सामान आदि की चोरी, सवारी और माल गाड़ियों में तोड़ फोड़, रेल कर्मचारियों पर हमले और उनकी हत्या, स्टेशनों पर और कार्यालयों में रेल सम्पत्ति की लूट और आगजनी, रेल कर्मचारियों द्वारा की गई छोटी-बड़ी हड़तालें, स्टेशनों, यार्डो और कालोनियों में बम फेंकना, बन्द, हड़तालें और अन्य प्रकार से काम बन्द कर देना जिससे रेल परिचालन ठप्प हो जाये और इसी तरह की कई अन्य समाज-विरोधी गतिविधियां । इस प्रकार की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए उपयुक्त और कारगर कार्रवाई करना राज्य सरकारों का काम है । रेलों ने अपनी ओर से उस क्षेत्र में सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या यथासम्भव अधिकतम कर दी है । रेल प्राधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से सभी स्तरों पर यथासम्भव निकटतम तालमेल रखा जा रहा है ताकि इस प्रकार की गतिविधियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके । उच्च अधिकारियों से उस क्षेत्र में रेल संचलन को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए ठोस और प्रभावपूर्ण उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया है । फिर भी, अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है ।

भारतीय रेलवे के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में रेलगाड़ियों के चलने में बाधा

*360. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे कई मामलों का पता चला है जिसमें भारतीय रेलवे के पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने रेल सेवा को भंग करने के प्रयत्न किये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को कितनी विभिन्न घटनाओं का पता चला है ;

(ग) क्या उन्होंने परिस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हाल में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य बातों पर विचार किया गया था ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-345/71**]

(ग) जी, हां ।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें बैठक में किये गये विनिश्चयों का उल्लेख है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-345/71**]

नई चालू की गई रंगदार लाईट सिगनल व्यवस्था के गीयर टेस्ट किये बिना सुरक्षा-प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना

1501. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० एस० टी० ई० (सी० एल० एस०) आर० ई० कानपुर ने इलाहाबाद से टूंडला के बीच नए चालू किए गए रंगदार लाईट सिगनल व्यवस्था वाले स्टेशनों के बारे में सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व उन्होंने गीयरों को टैस्ट नहीं किया, जैसा कि सुरक्षा नियमों में अपेक्षित है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी, हां ।

(ख) जैसा कि नियमों के अनुसार अपेक्षित है, मण्डल सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियर (रंगीन रोशनी सिगनल व्यवस्था) अथवा सहायक सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियर (रंगीन रोशनी सिगनल व्यवस्था) ने संरक्षा प्रमाण-पत्र देने से पहले गियरों का परीक्षण करके अपनी तसल्ली कर ली है और जहां संरक्षा प्रमाण-पत्र मूलतः सहायक सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियर (रंगीन रोशनी सिगनल व्यवस्था) द्वारा दिया गया है, वहां उस पर मण्डल सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियर (रंगीन रोशनी व्यवस्था) ने प्रति हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली में स्कूटरों की मांग और सप्लाई में अन्तर

1502. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज स्कूटर के अधिकृत व्यापारी दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 100 स्कूटर बुक करते हैं जब कि दिल्ली की जनता के लिये प्रतिमास केवल 400 स्कूटर सप्लाई किये जाते हैं जिसमें से अधिकांश स्कूटर उन्हें दिये जाते हैं जो सरकारी कोटे के अधिकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम-स्वरूप इन दिनों दिल्ली में स्कूटर रजिस्टर करवाने वाले लोगों को बता दिया जाता है कि उनकी बारी अब से 9 वर्ष बाद आयेगी; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में स्कूटरों की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बजाज 150 सी सी स्कूटरों के लिए दिल्ली में बुक कराये जाने वाले क्रयादेशों की औसतन संख्या लगभग 60 से 65 प्रतिदिन है इतने स्कूटर बुकिंग दर पर अक्टूबर 1970 से 31 मई, 1971 की अवधि में प्रतिमास औसतन 730 स्कूटर दिल्ली में विक्रेताओं को दिए गए थे। इनमें से औसतन 400 स्कूटर प्रतिमास सरकारी कोटे के अधिकारियों और शेष सामान्य बुकिंग वाले ग्राहकों को प्रदान किए गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) स्कूटरों की आम कमी केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि सारे देश में है। देश में स्कूटरों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने परीक्षित विदेशी डिजाइन के प्रतिवर्ष 1,00,000 स्कूटर बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक एकक स्थापित करने का निर्णय किया है, इसके अतिरिक्त 18 पार्टियों को देशी डिजाइनों और संसाधनों सेस्कूटर बनाने के लिए आशयपत्र प्रदान किए गए हैं जिनकी वार्षिक क्षमता 4,14,000 स्कूटर होगी। मैं० बजाज आटो लि० सहित विद्यमान स्कूटर निर्माताओं से प्राप्त पर्याप्त विस्तार के लिए आवेदन भी इस समय विचाराधीन हैं। यह आशा की जाती है कि इन योजनाओं के कार्यान्वियन के कुछ समय उपरान्त देश में स्कूटरों के सम्भरण की स्थिति सुधर जाएगी।

लैम्बरेटा स्कूटरों में प्रयुक्त 'येन्के स्पीडो मीटर' के विरुद्ध शिकायत

1503. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को लैम्बरेटा स्कूटर के वास्तविक स्वामियों की ओर से बंगलौर की किसी फर्म द्वारा बनाये गये 'येन्के' स्पीडो-मीटर जिसे आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया, बम्बई द्वारा लैम्बरेटा स्कूटरों में प्रयुक्त किया गया है, के उत्पादन सम्बन्धी कतिपय दोषों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और इन स्पीडो मीटरों के विरुद्ध की गई शिकायतों का वास्तविक स्वरूप क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). यद्यपि

स्कूटर मालिकों से लम्ब्रेटा स्कूटरों में लगाये जाने वाले 'ऐन्की' स्पीडो मीटरों में उत्पादन सम्बन्धी दोष के बारे में कोई भी शिकायत औद्योगिक विकास मंत्रालय को नहीं मिली है फिर भी लम्ब्रेटा स्कूटर निर्माताओं ने मंत्रालय को सूचित किया है कि 1970-71 में स्कूटर मालिकों से इस सम्बन्ध में 335 शिकायतें मिली हैं। स्कूटर उत्पादकों ने यह मामला बंगलौर स्थित कम्पनी के पास भेजा है और उन मामलों में जहां शिकायतें 'गारन्टी' अवधि के भीतर मिली थीं, स्पीडो मीटरों को बदल दिया गया है। इन स्पीडो मीटरों को बनाने वाली बंगलौर की कम्पनी ने सूचित किया है कि प्राप्त शिकायतें (1) सुई का हिलना और (2) ओडोमीटर के निष्क्रिय होने के बारे में मिली हैं। उनके अनुसार यह दोष प्लास्टिक के पुर्जे बनाने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले घटिया माल के कारण नहीं पैदा हुआ है क्योंकि उसी सामान से अन्य प्रकार के स्पीडो मीटरों का भी निर्माण किया जाता है और उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं पाया गया। उत्पादकों का कहना है कि किसी भी समय में संभरित (सप्लाई) किये गये स्पीडो मीटरों की संख्या के 3 प्रतिशत से भी कम के बारे में ही शिकायतें मिली हैं।

बंगलौर कम्पनी ने बताया है कि उन्होंने दोषों की व्यापक तौर से खोज की है और ओडो पहियों (ह्वील्स) और ट्रेफिक पहियों के बीच क्लोजर यलरेन्स के लिए सुधार करने की कार्यवाही की जा रही है ताकि भारतीय सड़क से जन्य कम्पनों को बर्दाश्त कर सकें।

Re-opening of Railway out-Agency at Mandsaur Station (Western Railway)

1504. **Dr. Laxminarayan Pandey :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there was a railway out-Agency for sending goods from Mandsaur Station (Western Railway) to Sitamahu which has been closed ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the citizens and the traders of the said area have made repeated requests to continue the said agency ; and

(d) if so, the action being taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes. There was an Out Agency at Sitamau served by Mandsaur Railway station.

(b) The Out Agency was closed for want of traffic.

(c) Yes. There were representations for re-opening the Out Agency in 1966 but not afterwards.

(d) Tenders for selecting an agent to work the Out Agency were invited twice in 1966 but no suitable person came forward. Hence the proposal to re-open the Out Agency has been dropped.

Closure of Small Scale Industries in Madhya Pradesh due to Shortage of Essential of Material

1505. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether a number of small scale industries in Madhya Pradesh have closed down due to the shortage of steel, iron ore, cast iron, aluminium metal sheets and soda ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to ensure supply of the said materials to the industrialists ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on Table of the House.

न्यायपालिका के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन

1506. **श्री राम सहाय पांडे : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नीतियों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए देश की न्यायपालिका के वर्तमान स्वरूप में सरकार द्वारा कुछ परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रक्रियात्मक विधि में संशोधन करने और आपराधिक विषयों के लिए एक व्यापक विधान की पुरःस्थापना

1507. **श्री दण्डपाणि : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमों की समस्या के बारे में न्यायाधीशों की समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर बिहार क्षेत्र को कोयले की सप्लाई

1508. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार को युक्तियुक्त ढुलाई के नाम पर कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में हानि हुई है;

(ख) क्या उत्तर बिहार को कोयले की सप्लाई बरौनी के रास्ते होती है जिससे न केवल उपभोक्ताओं को ही कम लागत पड़ेगी बल्कि इससे उस क्षेत्र में एक अतिरिक्त बाजार तैयार होगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्तर बिहार की दीर्घकालीन मांग को पूरा करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) से (ग). गडहरा के रास्ते उत्तर बिहार के लिए कोयले की बुकिंग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन इस प्रकार की ढुलाई केवल रानीगंज कोयला क्षेत्र से ही युक्तिसंगत होती है, सिवाय साफ्ट कोक और हार्डकोक के जो झरिया क्षेत्र से भी गड़हरा के रास्ते उत्तर बिहार को भेजे जा सकते हैं, क्योंकि ढुलाई की मात्रा अपेक्षाकृत थोड़ी है। झरिया और कर्णपुरा क्षेत्रों से निकलने वाले अन्य कोयलों की ढुलाई मन्डुवाडीह के रास्ते करनी पड़ती है क्योंकि गड़हरा के रास्ते भेजने में परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। उत्तर बिहार की जरूरतों को पूरा करने के लिए रानीगंज कोयला क्षेत्रों में काफी कोयला उपलब्ध है।

रेलवे के प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप

1509. **श्री मूरुगनन्तम :**
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अवकाश प्राप्त एक उच्चाधिकारी ने युनाइटिड न्यूज आफ इंडिया द्वारा परिचालित प्रश्नावली के उत्तर में यह विचार व्यक्त किया है कि मंत्रियों से लेकर कार्मिक संघों के नेताओं तथा दलों के कार्य-कर्ताओं तक रेलवे के प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करते रहते हैं जिससे कर्मचारियों के अनुशासन तथा इनकी कार्य-कुशलता पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): (क) जी हां ।

(ख) ऐसा विचार है कि रेलवे जैसे संगठन को संतोषजनक ढंग से काम करने देने के लिए यह वाछंनीय है कि उसके दिन प्रतिदिन के कार्य-व्यवहार में राजनैतिक अथवा अन्य बाहरी प्राधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाये । संसद् कार्य, जहाजरानी और परिवहन मंत्री ने सभी संसद् सदस्यों के नाम अपने 23 मार्च, 1971 के पत्र में यह अपील की है कि वे व्यक्तिशः सरकारी कर्मचारियों की सेवाशर्तों से सम्बन्धित मामले न उठायें और ऐसी ठोस परिपाटी स्थापित करें जो सांसदिक कर्तव्यों के निबाह में सदस्यों की सहायक बने ।

विदेशी अधिकृत कम्पनियों के वरिष्ठ पदों का भारतीयकरण

1510. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री श्याम नन्दन मिश्र :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विदेशी अधिकृत तथा विदेशी नियंत्रित कम्पनियों के वरिष्ठ पदों के भारतीयकरण के सम्बन्ध में और आगे क्या प्रगति हुई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : विदेशी कम्पनियों तथा विदेशियों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों में, सभी स्तरों के वरिष्ठ पदों पर भारतीयों के पदस्थ होने की स्थिति दृढ़ हो गई है ।

विदेशी तथा विदेशी नियंत्रित कम्पनियों में 2000 रुपये प्रतिमास और इस से अधिक पर सेवा करने वाले भारतीयों और गैर भारतीयों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष पहली जनवरी से	सेवारत भारतीयों की संख्या	पूरे रोजगार में भारतीयों का प्रतिशत	सेवारत गैर भारतीयों की संख्या†	पूरे रोजगार में गैर भारतीयों का प्रतिशत	सेवारत व्यक्तियों की संख्या
1960	1978	35.2	3633	64.8	5611
1961	2322	40.8	3373	59.2	5695
1962	2869	47.0	3229	53.0	6098

वर्ष पहली जनवरी से	सेवारत भारतीयों की संख्या	पूरे रोजगार में भारतीयों का प्रतिशत	सेवारत गैर भारतीयों की संख्या†	पूरे रोजगार में गैर भार-तीयों का प्रतिशत	सेवारत व्यक्तियों की संख्या
1963	3161	51.9	2934	48.1	6095
1964	3736	58.1	2696	41.9	6432
1965	4585	63.9	2590	36.1	7175
1966	5198	68.8	2355	31.2	7553
1967	6151	74.7	2080	25.3	8231
1968	7046	80.1	1751	19.9	8797
1969	7802	83.5	1544	16.5	9346
1970	8604	86.6	1326	13.4	9930

†लघु कालीन विदेशी तकनीशियन को छोड़कर ।

उपभोक्ता वस्तुओं का राज्य व्यापार

1511. **श्रीमती विभा घोष** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल्य स्थिर रखने के लिये समस्त भारत में मुख्य उपभोक्ता वस्तुओं में राज्य द्वारा व्यापार करने की पद्धति लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं के लिए राज्य व्यापार प्रणाली प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने के लिये औद्योगिक एकक

1512. **श्री पी० के० देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का थुम्बा राकेट केन्द्र के लिये बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा कल पुर्जे बनाने वाले औद्योगिक कारखाने स्थापित करवाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने अन्य क्षेत्रों के बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार दिलवाने के लिए भी इस प्रकार की कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं के लिये नये कारखानें कहां पर स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें चलाने तथा उपयुक्त तकनीशियनों और उद्यमियों का चुनाव करने के लिए तकनीकी अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी।

(ख) और (ग). जहां उपक्रम हैं उन क्षेत्रों में उसी के लघु उद्योग सहायक एककों की स्थापना के लिए भी सरकार सभी प्रकार के प्रोत्साहन देती है ।

Reopening of Bench of Rajasthan High Court at Jaipur

1513. **Shri Shivnath Singh** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether the Government feel it necessary to reopen a Bench of the Rajasthan High Court because of the difficulty being experienced by the people of east Rajasthan and due to their persistent demand in this respect ; and

(b) whether the recommendation of the Law Commission that there should be unified High Courts in the States instead of setting up their Benches at different places has not been implemented in any other States and as such the people of east Rajasthan alone have been facing difficulties on account of closure of the Jaipur Bench of the Rajasthan High Court on the said basis ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b). The Bench of the Rajasthan High Court at Jaipur was abolished in 1958 on the recommendation of the Rajasthan Capital Enquiry Committee and the decision had no bearing on the recommendation of the Law Commission. Whether a High Court should have a Bench at a place other than its principal seat has, in the first instance, to be considered by the State Government in consultation with the High Court. No proposal has been received from the State Government for the restoration of the Bench of the Rajasthan High Court at Jaipur.

पश्चिम बंगाल में डिब्बा उद्योग के लिए इस्पात की कमी

1514. **श्री पी० के० देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इस्पात की कमी के कारण समस्त माल डिब्बा उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं । लेकिन पश्चिम बंगाल के मालडिब्बा निमार्ताओं ने मालडिब्बों के आर्डरों के लिए इस्पात की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में शिकायत की है ।

(ख) माल डिब्बों के आर्डरों के लिए इस्पात की आवश्यकताओं का प्रायोजन रेल मंत्रालय द्वारा उसी प्राथमिकता के अधीन किया जाता है जो प्राथमिकता वह रेलवे की अपनी आवश्यकताओं के लिए देता है । लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण माल डिब्बा निर्माता पूरा का पूरा उतना इस्पात न पा सके जितना उन्हें देशी श्रोतों से नियत किया गया था ।

इसके अलावा, कुछ कोटियों में देशी स्रोतों से होने वाली इस्पात की सप्लाई में गिरावट को पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अप्रैल, 70 से मई, 71 तक की अवधि में लगभग 15230 मीटरिक टन इस्पात का आयात करने की व्यवस्था की है । सरकार ने भी सितम्बर, 1970 की सूचना सं० 140 के अधीन माल डिब्बा निर्माताओं सहित सभी उद्योगों को अपनी पिछले वर्ष की खपत के 50 प्रतिशत तक इस्पात के आयात की अनुमति दे दी है ।

उपभोक्ता और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1515. **श्री राज राज सिंह देव** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र और देश के अन्य भागों में उपभोक्ता

और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी नहीं। दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ता और अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में प्रायः स्थिरता रही है। जनवरी और अप्रैल 1971 के मध्य सारे देश में चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं की थोक कीमत को सूचकांक की विभिन्नता बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार कीमतों में स्थिरता बनाये रखने के लिये हर संभव कदम उठा रही है और कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने की नीति और अभ्युपायों की लगातार समीक्षा होती रहती है।

विवरण

थोक कीमतों का सूचकांक

(मासिक औसत 1961-62=100)

	जनवरी 1971	अप्रैल 1971	प्रतिशत परिवर्तन (जनवरी 1971 की तुलना अप्रैल 1971 के साथ)
1	2	3	4
चावल	189.8	196.9	+ 3.7
गेहूं	211.7	205.2	— 3.1
बाजरा	141.7	127.7	— 9.9
चना	221.1	201.4	— 8.9
अरहर	303.9	260.1	—14.4
टमाटर	136.4	111.4	—18.3
प्याज	102.8	95.2	— 7.4
दूध	218.5	235.4	+ 7.7
घी (शुद्ध)	202.5	201.5	— 0.5
सरसों का तेल	280.2	208.7	—25.5
मूंगफली का तेल	219.9	206.8	— 6.0
वनास्पति	185.2	182.0	— 1.7
अंडे	171.4	133.0	—22.4
मछली	294.4	323.2	+ 9.8
मांस	188.3	195.3	+ 3.7

	जनवरी 1971	अप्रैल 1971	प्रतिशत परिवर्तन (जनवरी 1971 की तुलना अप्रैल 1971 के साथ)
1	2	3	4
चीनी	157.5	157.5	अपरिवर्तित
गुड़	202.8	245.6	+21.1
चाय	122.1	133.2	+ 9.1
काफी	211.7	155.9	—26.4
मिर्च मसाले	306.8	283.5	— 7.6
परिष्कृत खाद्य	165.8	165.3	— 0.3
मिट्टी का तेल	176.2	176.2	अपरिवर्तित
साइकिल	119.3	121.1	+ 1.5
सूत्री वस्त्र	157.0	159.7	+ 1.7
रेशमी और रियन वस्त्र	120.7	123.7	+ 2.5
ऊनी वस्त्र	182.0	183.2	0.7
चमड़े के उत्पाद (जूते)	92.1	92.1	अपरिवर्तित
अल्युमिनियम के बर्तन	148.4	148.4	अपरिवर्तित
चीनी मिट्टी की वस्तुएं	138.4	138.4	अपरिवर्तित
अंगराग प्रसाधन	144.5	144.6	+ 0.1
साबुन	144.7	144.7	अपरिवर्तित
लालटेन और लैम्प	160.5	160.5	अपरिवर्तित
दियासलाई	114.1	144.1	अपरिवर्तित

दक्षिणी भारत में दियासलाई की फैक्टरियों का बन्द होना

1516. **श्री दिनेश जोरदार :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आवश्यक कच्चे माल की कम सप्लाई के कारण दक्षिण भारत और विशेषकर शिवकाशी में हाथ से बनाई जाने वाली दियासलाई की फैक्टरियों के बन्द होने की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो दियासलाई की मोम, दियासलाई के नीले कागज जैसे कच्चे माल को समय पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या विदेशियों द्वारा नियन्त्रित दियासलाई के क्षेत्र को उन की आवश्यकता के अनुरूप पूरे कच्चे माल का आवंटन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख). जी नहीं, तामिलानाडु में हाथ से बनाई जाने वाली दियासलाई के कारखानों और उनके संगठनों से उपयुक्त आवश्यक कच्चे माल जैसे दियासलाई का मोम और दियासलाई के नीले कागज की अनु-उपलब्धता के विषय में कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, दियासलाई के मोम के संभरण के मामले पर ध्यान दिया जा रहा है। दियासलाई के नीले कागज के विषय में, छोटे पैमाने के दियासलाई बनाने वालों को इस वस्तु का संभरण करते रहने के लिए, आवश्यक कार्यवाही के लिए कागज मिलों से प्रार्थना की गई है।

(ग) और (घ). दियासलाई का नीला कागज और पैरेफिन मोम दोनों ही देश में उपलब्ध हैं और इन कच्चे मालों का वितरण, बड़े पैमाने के दियासलाई के कारखानों के लिए नहीं किया जा रहा है।

Prices of consumer goods in Uttarakhand area

1517. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the fact that in Uttarakhand area, there is a great variation in the prices of consumer goods even within a small radius because in the absence of Railway lines, goods are transported by motor vehicles, labourers, on mules etc., which add to the cost of freight ; and

(b) if so, the steps taken by the Government to remedy the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheswar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Variation in prices of consumer goods due to difference in transport costs is unavoidable. Due to the difficult terrain—the development of transport facilities in the Uttarakhand area is likely to take longer time which will bring down variation in the prices of consumer goods.

बड़े व्यापार गृहों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

1518. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एन्ड्रयू यूल, वाल चन्द टी० वी० सुन्दरम आयंगार, अमीन और रौलिस को अप्रैल, 1970 से अप्रैल, 1971 तक के दौरान नये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन बड़े व्यापार गृहों को अलग-अलग किस-किस तिथि से ये नये लाइसेंस जारी किए गए ?

औद्योयोगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख). 1 अप्रैल, 1970 से 30 अप्रैल, की अवधि में टी० वी० सुन्दरम अयन्गर के अतिरिक्त बताये गये सभी औद्योगिक गृहों को औद्योगिक लाइसेंस दिए गये । औद्योगिक समूहों को जारी किए गये

लाइसेंसों की तिथि और संख्या निम्न प्रकार है :—

	औद्योगिक गृह का नाम	लाइसेंसों की संख्या	लाइसेंसों की तारीख
1.	एन्ड्रू यूल	3	14. 4. 70
			22. 12. 70
			19. 1. 71
2.	बालचन्द	4	31. 12. 70
			2. 1. 71
			18. 1. 71
			4. 2. 71
3.	अमीन	4	18. 6. 70
			14. 8. 70
			9. 12. 70
			16. 1. 71
4.	रैलीस	1	16. 11. 70

मे० एन्ड्रूस यूल को केवल एक लाइसेंस एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए दिया गया है। अन्य लाइसेंस वर्तमान उपक्रमों को कार्य चलाते रहने पर्याप्त विस्तार अथवा वर्तमान एककों में नई वस्तुएं बनाने के सम्बन्ध में हैं।

कटक पारादीप रेलवे लाइन

1519. **श्री पी० के० देव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक पारादीप रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

बाढ़ सम्बन्धी भविष्यवाणी चेतावनी देने वाले केन्द्रों की स्थापना

1520. **श्री बी० के० देव** :
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ सम्बन्धी भविष्यवाणी और चेतावनी केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो (एक) उन स्थानों के (राज्यवार) नाम क्या हैं जहां उक्त केन्द्र स्थापित किए गए हैं या (दो) स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने देश के अधिक बाढ़-गम्य क्षेत्रों में बाढ़-पूर्व सूचनाएं जारी करने के लिए बाढ़-पूर्व-सूचना केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

बाढ़ पूर्व सूचना केन्द्र की स्थिति	नियंत्रण कक्ष की स्थिति		नदियां जिन पर पूर्व सूचनाएं जारी की जाती हैं।
1. गौहाटी (असम)	डिब्रूगढ़ जोरहाट नलबारी बारपोटां रोड ग्वालपाड़ा सिलचर	असम	मुख्य ब्रह्मपुत्र, पगलाडिया, मानस, बेकी और बारक
2. जलपाइगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	कोई नहीं		तीस्ता
3. पटना (बिहार)	मुजफ्फरपुर दरभंगा मुंगेर बीरपुर	बिहार	बक्सर से फरक्का तक गंगा, बूढ़ी गंडक, कमला बालान, बागमती और कोसी।
4. लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	इलाहाबाद वाराणसी गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	वाराणसी में मुख्य गंगा, घाघरा राप्ती और गोमती।
5. सूरत (गुजरात)	भड़ौंच (गुजरात) होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)		नर्मदा और तापी
6. भुवनेश्वर (उड़ीसा)	बालासोर (उड़ीसा) राजमहेंदी (मध्य प्रदेश)		स्वर्णरेखा, बूढ़ाबालंग, वैतरणी ब्राह्मणी, रूसीकुल्या और महानदी
7. नई दिल्ली	नई दिल्ली		यमुना और साहिबी

इस समय चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और केन्द्र तथा नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जापान के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में टायर बनाने का कारखाना लगाया जाना

1521. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में एक टायर बनाने का कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां पर लगाया जायेगा ; और

(ग) इस कारखाने की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

गुमटी पन-बिजली परियोजना की अनुमानित लागत

1522. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुमटी पन-बिजली परियोजना, त्रिपुरा की अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) क्या लागत का पुनरीक्षण कर लिया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) परियोजना की पुनरीक्षित अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) क्या कार्य की प्रगति संतोषजनक है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गुमटी जल विद्युत परियोजना की मौजूदा अनुमानित लागत 633.51 लाख रुपये है ।

(ख) जनवरी, 1965 में दी गई मंजूरी के अनुसार अनुमानित लागत 312. 62 लाख रुपये थी और अब इसमें संशोधन कर दिया गया है । लागत में संशोधन इन कारणों से किया गया है–(1) बांध के डिजाइन फीचरों में उसका अर्थ-कम-राक फिलबांध से ब्रिक मैसनरी-कम-कंक्रीट बांध में परिवर्तन किया जाना ; (2) जबकि प्रारम्भ में ईंट की लाइन वाली विद्युत चैनल थी, अब उसकी जगह अंशतः ओपन और अंशतः कट-एंड-कवर चैनलकी व्यवस्था ; (3) रिहायशी और गैर रिहायशी इमारतों के लिए और अधिक व्यवस्था ; (4) उपकरण और सामग्री की लागत में सामान्य वृद्धि और (5) प्रतिष्ठापन और दूसरे अप्रत्यक्ष खर्चों में तदनुकूल वृद्धि ।

(ग) परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 633. 31 लाख रुपये है ।

(घ) निर्माण-कार्यों की विभिन्न मदों के कार्यान्वयन के लक्ष्यों में कुछ देरियां हुई हैं । इनके कारण हैं—खुदाई के लिए विस्फोटक पदार्थों की सप्लाई में विलम्ब, इस्पात की प्राप्ति में दिक्कत, उपयुक्त सड़क और रेल की संचार-सुविधाओं का अभाव, ठेकेदारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली निर्माण की मशीनों के रख-रखाव से सम्बन्धित दिक्कत और निर्माणार्थ विद्युत की विलम्ब से सप्लाई ।

रेलवे गुडस शैड अलवाय (केरल) के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1523. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे गुडस शैड, अलवाय (केरल) के कर्मचारियों ने 5 मई, 1971 को अपनी मांगों के समर्थन में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) व्यापारियों के ठेकेदारों द्वारा अलवाय माल गोदाम में नियुक्त कुछ मजदूरों ने 5. 5. 1971 को एक घंटे के लिए और 8. 5. 71 से 11. 5. 71 तक काम करना बन्द कर दिया था।

(ख) और (ग). उन्होंने अधिक मजदूरी की मांग की थी। ठेकेदारों ने उनकी मजदूरी बढ़ाने की बात मान ली और हड़ताल वापस ले ली गयी और मजदूरों ने 12. 5. 71 से काम करना शुरू कर दिया।

बम्बई सेन्ट्रल और कोटा के बीच चलने वाली देहरादून ऐक्सप्रेस और जनता ऐक्सप्रेस गाड़ियों में बर्थों और बैठने के स्थानों की संख्या में वृद्धि

1524. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई सेन्ट्रल और कोटा के बीच देहरादून एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस में बर्थ और बैठने के स्थानों में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त गाड़ियों में कितनी बर्थ और बैठने के स्थानों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). ग्रीष्म ऋतु की भीड़ भाड़ की निकासी के लिए 19 डाउन/20 अप बम्बई-देहरादून एक्सप्रेस में कोटा और नयी दिल्ली के बीच 3 और डिब्बे तथा 23/डाउन24 अप बम्बई-दिल्ली जनता एक्सप्रेस में तीसरे दर्जे का एक और डिब्बा लगाया जाता है।

मिरज-कुर्डुवाडि-लातुर लाइन (दक्षिण मध्य रेलवे) को बड़ी लाइन में बदला जाना

1525. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिरज-कुर्डुवाडि-लातुर के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस लाइन का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). मिरज-कुर्डुवाडि-लातुर छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1956-57 में इन्जीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किया गया था और परियोजना को अलाभप्रद पाया गया। लेकिन, अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 की सिफारिशों के आधार पर अब यातायात की वर्तमान संभाव्यताओं और केवल कुर्डुवाडी-पढंरपुर छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के औचित्य का निर्धारण करने के लिए यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और उसका परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही इस लाइन को बदलने के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

कागज मिलों के प्रसार के लिये योजनायें

1526. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़ी कागज मिलों ने प्रसार के लिये कोई योजना प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं कितने समय से अनिर्णीत पड़ी हैं और उनमें से कितनी योजनाओं को अनापत्ति पत्र दे दिया गया है ; और

(ग) देश में कागज की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए शेष मामलों के निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). फरवरी 1970 में कागज उद्योग को पुन: लाइसेंसीकृत करने के पश्चात् से बड़े कागज मिलों से 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 7 को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। 1970 में प्राप्त हुए तीन आवेदन-पत्र एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के दृष्टिकोण से विचाराधीन है। हाल ही में प्राप्त हुए 5 आवेदन-पत्र प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

निर्वाचन विधियों में सुधार

1527. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार करने सम्बन्धी अपने पहले तर्क को फिर दोहराया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के सुधार करने के सुझाव दिये गये हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग की मुख्य सिफारिशें देने वाले दो विवरण तारांकित प्रश्न सं० 50 के उत्तर में 24 फरवरी, 1970 को सदन के पटल पर रखे गए थे। निर्वाचन आयोग की कुछ और सिफारिशें मध्यावधि निर्वाचन 1968-69 के बारे में उसकी रिपोर्ट (जिल्द-1 साधारण) में की गई हैं जो 21 अप्रैल, 1970 को सदन के पटल पर रखी गई थी। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

Incentives to Industries

1528. **Shri R. C. Vikal :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the decisions taken at the meeting of the Central Advisory Council of Industries held in May, 1971 under his chairmanship for providing incentives to the industries ; and

(b) the composition of the said Council ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheswar Prasad) : (a) Presumably the reference is to the meeting of the Standing Committee of the Central

Advisory Council of Industries which was held on the 12th May 1971. The subjects discussed in the meeting related to (1) Simplification of Industrial Licensing Procedures, and (2) Industrial Development and Research. There was a general exchange of views on matters relating to the above subjects. Some of the important points made and at the meeting included elimination of delays in the matter of grant of industrial licences, simultaneous clearance of licence applications from different angles e.g. capital goods imports, foreign collaboration etc. by the concerned authorities, formulation of suitable guidelines and criteria to facilitate simultaneous approvals ; import of know-how ; development of indigenous technology ; foreign collaboration ; incentives and encouragement for research and development etc. The suggestions made at the meeting have been taken note of by the Government and suitable action will be taken, wherever considered necessary.

(b) A statement indicating the composition of the Standing Committee of the Central Advisory Council of Industries is attached. [**Placed in Library. See No. L.T.—346/71**]

Setting up of a Bench of Income-tax Tribunal at Meerut

1529. **Shri R. C. Vikal :** Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether a deputation of the citizens of Meerut District met him in regard to the setting up of a Bench of the Income-tax Tribunal at Meerut ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by the Central Government to meet their demand ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chandhary) : (a) No, Sir.

(b) The question of setting up a Bench of the Income-tax Appellate Tribunal at Meerut is under consideration.

रेलों में चोरी और जंजीर खींचने आदि की घटनायें

1530. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 की तुलना में 1970-71 में चलती गाड़ियों में चोरी, तारों की चोरी, खतरे की जंजीर खींच कर गाड़ी रोकने की घटनाओं और सुरक्षा दल द्वारा रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करने में असफलता के मामलों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में श्रेणीवार ऐसी कुल कितनी घटनाएं घटीं ;

(ग) इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप सरकार को अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) इन घटनाओं में हुई भारी वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) हां, कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) से (घ). एक विघरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 347/71**

बाटा कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, बाटानगर (पश्चिमी बंगाल) द्वारा जूतों का निर्माण तथा निर्यात

1531. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 और 1970 के बीच बाटा शू कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बाटा नगर,

(पश्चिम बंगाल) द्वारा कितने मूल्य के जूते बनाये गये और इस समय संगठित क्षेत्र में जूतों के कुल निर्माण में कम्पनी का हिस्सा कितना है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कम्पनी द्वारा, देश-वार, कितने मूल्य के जूतों का निर्यात किया गया और इस समय भारत से जूतों के कुल निर्यात में कम्पनी का हिस्सा कितना है ;

(ग) भारत का चालू वर्ष में कितने मूल्य के तथा कितने जोड़े जूते निर्यात करने का लक्ष्य है और इस वर्ष के दौरान कुल प्रत्याशित निर्यात में बाटा शू कम्पनी का कितना हिस्सा होने का अनुमान है ; और

(घ) क्या निर्यात किये गये जूतों में से कोई अस्वीकार भी कर दिए गये हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रलाय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मे० बाटा शू कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, बाटानगर का विगत 3 वर्षों का जूतों के उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार से था :—

वर्ष	**(मूल्य लाख रु० में)**
1968	2264.2
1969	2254.5
1970	2041.8

1970 में संगठित क्षेत्र में हुए जूतों के कुल उत्पादन में इस कम्पनी का हिस्सा लगभग 55 प्रतिशत था।

(ख) जूतों के निर्यात को कम्पनी वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। कम्पनी द्वारा बताया गया बाटा शू कम्पनी के निर्यात किये जूतों का देश-वार मूल्य अनुबन्धन में है। जनवरी से नवम्बर, 1970 तक देश के कुल निर्यात में कम्पनी का अंश लगभग 37 प्रतिशत था। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 348/71]**

(ग) वर्ष 1971-72 का जूतों के निर्यात का लक्ष्य 16.27 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है जिसमें से बाटा शू कं० 1971 में 4.70 करोड़ रु० के जूतों का निर्यात करने की आशा करती है।

(घ) जी नहीं, फर्म ने बताया है कि मूल्य कम प्राप्त होने तथा वांछित वस्तु न दे सकने के कारण वे कुछ नहीं कर सके हैं।

अन्य देशों की तुलना में विद्युत-जनन की लागत

1532. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में (1) पन बिजली (2) तापीय और (3) परमाणु बिजली के जनन की (प्रति यूनिट) लागत क्या है ;

(ख) अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन और रूस में हर प्रकार की विद्युत जनन की तुलनात्मक लागत क्या है ; और

(ग) क्या उन देशों की तुलना में हमारी जनन लागत अधिक है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां। विदेशों में विद्युत उत्पादन की कम लागत के कारण ये हैं :—

(i) संयन्त्र सम्बंधी कम लागत।

(ii) अधिक बड़े आधार के विद्युत जनन संयन्त्रों के प्रयोग से लाभप्रद स्थिति।

(iii) बिजलीघरों के संचालन और प्रबन्ध में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग।

(iv) यूनिट ट्रेनों और पाइप लाइनों द्वारा ईंधन का भारी मात्रा में ढुलाई।

विवरण

(सभी आंकड़े प्रति किलोवाट आवर पैसे में है)

देश का नाम	पन बिजली	ताप बिजली	अणु बिजली
(1)	(2)	(3)	(4)
भारत	1.5 से 4	4 से 6 (मुख्य शीर्ष पर) 6 से 11 (दूर स्थानों पर)	5.6
संयुक्त राज्य अमेरिका	1.5	4.5	*
सोवियत संघ	0.8	4 से 6.7	4.17
कनाडा	*	6.85	*
ब्रिटेन	*	5.25	4.8

*औसत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जापान के साथ किये गये सहयोग करार

1533. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में जापान के उद्योगपतियों से कुल कितने सहयोग करार किये गये ;

(ख) प्रत्येक करार कुल कितनी पूंजी का था और प्रत्येक करार में जापानी उद्योगपतियों का कितना हिस्सा था; और

(ग) प्रत्येक संयुक्त उद्यम में किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा मन्जूर किए गए भारतीय-जापानी सहयोग के मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	स्वीकृत मामलों की संख्या	ऐसे मामले जिनमें जापान की फर्में धन लगाएंगी
1968	12	1
1969	15	—
1970	25	4

(ख) तथा (ग). दी गई स्वीकृति के अनुसार जापानी फर्म द्वारा धन लगाने से संबंधित मामलों के बारे में जानकारी इस प्रकार है :

क्रम सं०	भारतीय पार्टी का नाम	जापानी फर्म का नाम	कुल इक्विटी पूंजी	जापानी फर्म की हिस्सा पूंजी	निर्माण की जाने वाली वस्तु
			(लाख रु० में)		
1.	ट्रांसफार्मस एंड इलेक्ट्रिकल्स लि० एरणाकुलम केरल	हिटाची लि० टोक्यो जापान	183.17	22.52	रेडिएटर्स बुशिंग आन लोड टेप चेंजर्स
2.	श्री सी० एल० आनन्द, एरनाकुलम, कोचीन	तोशिबा रेयोवक कं० जापान	60.00	24.00	ड्राई सेल
3.	मे० बी० सी० मोदी० एंड कं०	मे० ओसाका गोडो कं० लि० जापान	1.68	0.42	कोकोनट शेल चारकोल
4.	श्री डी० डी० लखनपाल, बम्बई	मे० मतसुशिता इलेक्ट्रिक इण्ड कं० लि० जापान	62.50	25.00	ड्राई सेल
5.	श्री पी० ओबुल रेड्डी, मद्रास	वही	62.50	25.00	वही

केरल के कन्नानोर जिले के अझिकल तट की समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा

1534. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नानोर जिले के अझिकल तट की समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना पर क्या खर्च आने का अनुमान है ; और

(ग) उक्त योजना पर कब कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). केरल सरकार ने अझीकल तट की सुरक्षा के लिए 450 मीटर लम्बी वर्तमान समुद्र दीवार के सांतत्य में एक 550 मीटर लम्बी समुद्र दीवार के निर्माण के लिए एक स्कीम तैयार की है और 11.20 लाख रुपये की लागत पर इसको प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्कीम पर कार्य शुरू किया जा रहा है। 1971-72 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

एरणाकुलम और क्विलोन को मिलाने के लिए तटवर्ती रेलवे

1535. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से एरणाकुलम और क्विलोन को मिलाने के लिये तटवर्ती रेलवे के निर्माण की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) अलप्पी के रास्ते एर्णाकुलम से कायन्कुलम (कोल्लम के निकट वर्तमान रेलवे स्टेशन) तक नयी लाइन बिछाने के लिए यातायात सर्वेक्षण चल रहा है जिसके अगस्त, 1971 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । यातायात सर्वेक्षण के जरिये वित्तीय सक्षमता सिद्ध हो जाने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा ।

जयपुर-सवाई माधोपुर लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना और धोलपुर तथा गंगापुर नगरों के बीच नई रेलवे लाइन का बिछाया जाना

1536. **श्रीमती गायत्री देवी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जयपुर-सवाई माधोपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और धोलपुर तथा गंगापुर नगरों के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

जयपुर तथा सवाई माधोपुर जंकशनों पर ऊपरी पुलों का निर्माण

1537. **श्रीमती गायत्री देवी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की 1970-71 में जयपुर और सवाई माधोपुर जंकशनों पर उपरि पुल बनाने का कार्य आरम्भ करने की योजना थी ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). राजस्थान सरकार के अनुरोध पर, जयपुर और सवाई माधोपुर में ऊपरी पुलों की व्यवस्था से सम्बन्धित निर्माण कार्य को पश्चिम रेलवे के क्रमशः 1969-70 और 1970-71 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया था । लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने सड़क पहुंच मार्गों के लिए खर्च का अनुमान नहीं भेजा है । राज्य सरकार से सड़क पहुंच मार्गों के लिए अनुमान मिलने और साथ वर्तमान कार्यविधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खर्च में अपने हिस्से की लागत उठाने का वचन देने के बाद ही रेलवे निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति देगी और उसके बाद पुल खास का निर्माण करायेगी ।

Setting up of New Railway stations in Bikaner Division on Northern Railway

1538. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a persistent demand from the people for setting up of new Railway Stations in Bikaner Division of the Northern Railway and several surveys were also conducted in this regard ; and

(b) if so, the reasons for not setting up so far new Railway Stations and halt Stations, particularly between Jaitsar and Mohan Nagar, Rang Mahal and Pilli Banga and Khanania and Elnabad Railway Srations ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) The following six train halts have already been opened in Bikaner Division of Northern Railway during the year 1970-71 :—

Sl. No.	Name of the Halt			Date on which opened
1.	"Phaujuwala" between Raisingh Nagar and Gajsinghpur	..	..	20-8-70
2.	"Dhana Ladanpur" between Bhiwani and Manheru stations	..	..	1-9-70
3.	"Sainiwas" between Siwaini and Jhumps stations.	..	..	2-10-70
4.	"Sitalnagar" between Bigga and Parsneu stations	..	..	2-11-70
5.	"Bajekan" between Sirsa and Suchan Kotli stations	..	..	17-12-70
6.	"Surera" between Ellenabad and Khanania stations	..	..	4-1-71

Position regarding others :—

7. **Train halt between Jaitsar and Mohan Nagar.**

8. **Train halt between Rangmahal and Pilibangan.**

The construction of these train halts could not be taken up because construction of bridges on Rajasthan Canal necessitated shifting of the sites originally proposed. Fresh survey reports have since been received and are under examination.

Extension of Railway Trains running between Delhi and Abohar and Delhi and Hindumalkot

1539. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any proposal to extend the two Railway trains running between Delhi and Abohar and between Delhi and Hindumalkot upto Sriganganagar, in Bikaner Division on the Northern Railway is under consideration of Government ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Lack of adequate traffic justification.

बम्बई में सीमेंट की कमी

1540. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में सीमेंट की कमी है ;

(ख) क्या सीमेंट के मूल्य में भी वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में सीमेंट की कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). वैगनों की कमी तथा स्टीमरों, कोयले आदि की अनुपलब्धता के कारण तथा मांग में सामयिक (सीजनल)

वृद्धि हो जाने के कारण से भी बम्बई तथा देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थानीय कमी रही है। फिर भी, सीमेंट के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) सभी सीमेंट निर्माताओं को सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए जल्दी-जल्दी सीमेंट भेजने के लिए सजग कर दिया गया है। ऐसे कारखानें जो आमतौर पर बम्बई शहर में सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी बम्बई में मांग को पूरा करने के लिये सीमेंट भेजने को कह दिया गया है। रेलवे प्राधिकारियों से सीमेंट ढोने के लिये अतिरिक्त वैगनों के बारे में भी कह दिया गया है।

मैसर्स जैनिथ स्टील पाइप्स को लाइसेंस जारी किया जाना

1541. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैनिथ स्टील पाइप्स को 'शीयर नाइव्स' मिल रोलर्स, 'डाई', 'जिग' और 'फिक्सचर' बनाने का लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस कब जारी किया गया था ; और

(ग) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार प्रक्रिया आयोग ने इस की जांच पड़ताल की थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) 23 नवम्बर, 1970 को।

(ग) जी, नहीं।

ओलावकोडे डिवीजन केरल के छंटनी किये गये कर्मचारियों की बहाली

1542. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अप्रैल में प्रभागीय कार्यकारी इंजीनियर के कार्यालय के सामने, छटनी किये गए रेल कर्मचारियों द्वारा, जो केरल के ओलावकोड डिवीजन में कार्य करते थे, किये गए सत्याग्रह की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे विभाग ने छटनी किये गये उन कर्मचारियों को पुनः नौकरी में रखने का सरकार का निर्णय क्रियान्वित किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) एर्णाकुलम दक्षिण के कार्यकारी इंजीनियर के अधीन काम करने वाले कुछ नैमित्तिक मजदूरों ने जिनकी उस परियोजना के पूरा हो जाने पर छटनी कर दी गयी थी जिसमें वे लगाये गये थे, आंदोलन किया।

(ख) और (ग). छटनी किये गये मजदूरों को बहाल करने के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। कम कार्य भार के लिए अधिक लम्बी सेवा वाले नैमित्तिक मजदूर उपलब्ध हैं। फिर भी, छंटनी किये गये मजदूरों को इस क्षेत्र के रेलवे ठेकेदारों के यहां वैकल्पिक नौकरी दिलाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

राजस्थान और गुजरात के जल संसाधनों के बारे में गोष्ठी

1543. **श्री के० लकप्पा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और गुजरात के जल संसाधनों के बारे में जयपुर में मई, 1971 के दूसरे सप्ताह में दो दिन की विचार-गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार-गोष्ठी में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) इसमें क्या निर्णय लिये गये ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). हां, इस्पात और खान मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जयपुर में 5 और 6 मई, 1971 को एक विचार-गोष्ठी आयोजित की थी ।

इसमें राजस्थान और गुजरात के सतही जल और भू-गर्भीय जल-संसाधनों के अनेक पहलुओं पर जिनमें भू-भौतिकीय और भू-रासायनिक विधियों से अन्वेषण और गुण-निर्धारण के तरीके और पानी में से क्षार और फ्लोराइड निकालने और जल-स्रोतों के प्रबन्ध आदि जैसी समस्याएं भी शामिल हैं, विचार-विमर्श किया गया ।

(ग) यह विचार-गोष्ठी तकनीकी ढंग की थी और इसकी कार्यवाही तैयार की जा रही है ।

पूर्वी रेलवे के सियालदाह डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण

1544. **श्री के० लकप्पा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शरारती लोगों के गिरोहों ने 1 मई, 1971 को पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन के तीन रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो उससे रेलवे की सम्पत्ति को कितनी हानि पहुंची ; और

(ख) उक्त घटना में कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) रेल सम्पत्ति को 5000/–रु० की हानि पहुंची ।

(ग) कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ ।

Misappropriation of Funds by Deputy Director of K. V. I. C. Bombay

1545. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether a complaint supported by documentary evidence has been received in the Office of the Central Bureau of Investigation, Bombay from a person that a Deputy Director of the Khadi and Village Industries Commission, Bombay has misappropriated a sum of Rs. 20 lakhs ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Loss suffered by Faridabad Factories due to shortage of Electricity

1546. **Shri Atal Bihari Vajpayee**: Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news-item published in the Hindustan Times of the 23rd April, 1971 to the effect that due to shortage of electricity, in Faridabad alone 800 factories suffered loss in production to the tune of Rupees 30 crores during the last three months ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to make up the loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir. Enquiries made by Government reveal that the loss of production hours in the industry at Faridabad due to power cuts during January, 1971 to May, 1971 has been 15% to 30%. The value of production loss cannot be correctly ascertained.

(b) The Haryana State Electricity Board is setting up a 55 MW Thermal Plant at Faridabad which is likely to be commissioned by 1974. With the completion of this plant it is expected that there will be no power shortage in Faridabad area. Besides this, the local distribution system is being augmented by adding more transformation capacity in the system.

संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतापी विशेषज्ञों के सुझाव

1547. **श्री ए० के० साहा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतापी विशेषज्ञों श्री ब्रैडबरी और श्री मेलदेब के इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि भारत दुर्गम क्षेत्रों में बिजली तथा पेय जल की व्यवस्था करने के लिये अपने भूतापी संसाधनों का उपयोग कर सकता है ; और

(ख) क्या सरकार ने उस सुझाव पर विचार किया है और यदि हां, तो इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रथम कार्यवाही के रूप में, विद्युत् उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में लाभदायक उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिये शक्यतापूर्ण भूतापीय क्षेत्रों का पूर्णतया अनुसंधान करना होगा ।

"पेय जल" का निर्देश अपक्षारीकरण की इस प्रक्रिया की ओर है जिसमें भूतापीय स्रोतों से वाष्प/गर्म जल को प्रयोग में लाया जाता है । भूतापीय स्रोतों के समुपयोजन के लिये परियोजना का विकास करते समय इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा ।

बिजली का उत्पादन

1548. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में राज्यों में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ था ; और

(ख) 1971-72 के दौरान मैसूर के विभिन्न औद्योगिक नगरों में जहां बिजली की कमी है, बिजली के उत्पादन में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1970-71 के दौरान विभिन्न राज्यों में जितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया है, उसका व्योरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ख) मैसूर के विभिन्न औद्योगिक नगरों में फिलहाल बिजली की कोई कमी नहीं है। 1971-72 के दौरान, राज्य में शरावती जल-विद्युत, केन्द्र के 89 मेगावाट के विद्युत, पैदा करने वाले 8वें यूनिट से अतिरिक्त विद्युत, भी उपलब्ध होगी।

विवरण

विभिन्न राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों में 1970-71 में विद्युत उत्पादन

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र		विद्युत, उत्पादन—मेगावट
उत्तरी क्षेत्र		
1. दिल्ली		240
2. पंजाब (एन० एफ० एफ० सहित)		475
3. हरियाणा		343
4. उत्तर प्रदेश		1246
5. जम्मू व कश्मीर		56*
6. चंडीगढ़		21
7. हिमाचल प्रदेश		34
8. राजस्थान		254
	उप-जोड़	2669
पश्चिमी क्षेत्र		
1. महाराष्ट्र		1439
2. गुजरात		700
3. मध्य प्रदेश		420
4. गोआ, दमन और दियु		20
	उप-जोड़	2572
दक्षिणी क्षेत्र		
1. आंध्र प्रदेश		539
2. तमिलनाडु		1157
3. केरल		324
4. मैसूर		623
5. पांडिचेरी		19
	उप-जोड़	2662

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र		विद्युत् उत्पादन-मेगावाट
पूर्वी क्षेत्र		
1. उड़ीसा		264*
2. दामोदर घाटी निगम		583
3. पश्चिम बंगाल (दामोदर घाटी निगम रहित)		721*
4. बिहार (दामोदर घाटी निगम रहित)		348*
	उप-जोड़	1816
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
1. असम		76
2. नागालैंड		3
3. नेफा		0.5
4. त्रिपुरा		3.4
5. मणिपुर		2.6
	उप-जोड़	85.5
	कुल जोड़ (अखिल भारत)	9805

मैसूर में नयी रेलवे लाइनों के लिये सर्वेक्षण

1549. **श्री डी० एस० अफ़जलपुरकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में नई रेलवे लाइनें चालू करने की व्यवहार्यता के बारे में जांच करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां' तो उसके निष्कर्ष क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) I. **मैसूर राज्य में जिन नयी लाइनों का हाल ही में सर्वेक्षण किया गया वे इस प्रकार हैं :**

(i) तोर्थ गुल्लू— मुड्कुलेपेंटा—अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण

(ii) चामराज नगर—सत्य मंगलम— कोयम बतूर—पहले के सर्वेक्षण को अद्यतन करना ।

II. **चालू सर्वेक्षण** :

(i) कोट्टूर—हरिहर (विकल्प के रूप में यशवन्तनगर—चित्रदुर्ग)—इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण ।

(ii) रायादुर्ग—चित्रदुर्ग—यातायात सर्वेक्षण ।

III. **1971-72 में किये जाने वाले प्रस्तावित सर्वेक्षण**

हुबली—कारवार—इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण ।

*अनुमानित ।

लोक सभा मध्यावधि निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी

1550. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा के मध्यावधि निर्वाचनों के लिये पार्टी-वार तथा राज्यवार कितने-कितने अभ्यर्थियों ने अपने नामनिर्देशन पत्र भरे थे ;

(ख) पार्टी-वार तथा राज्य-वार कितने-कितने अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिये थे ;

(ग) निर्वाचन अभियान के दौरान कितने अभ्यर्थियों की मृत्यु हो गई थी अथवा उनकी हत्या कर दी गई थी ; और

(घ) क्या सरकार ने पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा दिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (घ). जानकारी मंगाई जा रही है ।

चौथी योजना में सिंचाई क्षमता का निर्माण

1551. **श्री कल्याण सुन्दरम्** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ;

(ख) क्या चौथी योजना में सिंचाई क्षमता के निर्माण में कमी रह जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 118 लाख एकड़ ।

(ख) से (घ) : राज्य सरकारों की सूचना के अनुसार श्रम और सामग्री की लागत में वृद्धि के ख्याल से वृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए चौथी योजना में किया गया प्रावधान अपर्याप्त पाया गया है । इसको देखते हुए लक्ष्यों में कमी होने की सम्भावना है । बहरहाल, कमी को पूरा करने के लिए राज्य योजनाओं में इस सेक्टर में परिव्यय की वृद्धि के लिए प्रस्ताव किए गए हैं ।

आंध्र प्रदेश में व्यापारियों को फलों के लिए परिवहन सुविधायें

1552. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के व्यापारियों तथा राज्य सरकार की ओर से आम जैसे फल तथा निम्बू आदि शीघ्र खराब होने वाले अन्य पदार्थों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई शिकायत और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास दिल्ली और मद्रास हावड़ा मार्गों पर एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ अतिरिक्त

पार्सलयान लगाने के साथ-साथ जहां तक व्यावहारिक है सामान-यान-क्षमता बढ़ा दी गयी है। अप्रैल, तथा मई, 1971 में दिल्ली की ओर जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ 30 अतिरिक्त पार्सलयान और हावड़ा की ओर जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ 279 अतिरिक्त पार्सलयान लगाये गये थे।

अतिरिक्त पार्सलयानों के जरिए अतिरिक्त यातायात की निकासी के अलावा आम के अधिकांश यातायात की शीघ्र निकासी के लिए मई, 1971 में 76 विशेष गाड़ियां चलायी गयीं।

चालू मौसम में जितना यातायात आयेगा उसी के अनुसार अतिरिक्त पार्सलयान और विशेष गाड़ियां चलायी जाती रहेंगी।

सियालदह बेलघोरिया लाइन पर यात्रियों की हत्या

1554. **श्री गदाधर साहा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज-विरोधी व्यक्तियों द्वारा गत कुछ महीनों से सियालदह बेलघोरिया लाइन पर विशेष कर डमडम जंक्शन तथा अन्य जंक्शनों और इसके पास के क्षेत्र में, यात्रियों को रेलगाड़ी के डिब्बों से बाहर घसीट कर उनकी हत्या की गई है ;

(ख) यदि हां, तो 1970-71 में ऐसी घटनाओं में मारे गये अथवा घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) उस लाइन पर यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Recovery of Stolen Railway Electric Wire from Godown of Delhi Firm

1555. **Shri N. S. Bisht :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether stolen Railway electric wire worth about Rs. 1.5 lakhs was recovered from the godown of a Delhi firm a few days back ;

(b) whether any inquiry has been conducted in the matter, and if so, the result thereof ; and

(c) the action taken against the persons found guilty ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Security deposits for elections to Lok Sabha and State Assemblies

1556. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) the total amount received by Government by way of security deposits of the candidates in the last Lok Sabha elections ; and

(b) whether Government propose to increase the amount of security deposits for elections to Lok Sabha and State Assemblies ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) The information is being collected from the Chief Electoral Officers of the various States and Union Territories.

(b) The recommendation made by the Election Commission in this behalf is being examined.

Introduction of new train and increase in existing capacity on Delhi-Howrah Line

1557. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a new Railway train on Delhi-Howrah line and to increase the number of berths and seating capacity in the existing trains keeping in view the heavy rush of passengers on this route ; and

(b) if so, the time by which the above proposals will be implemented ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Platform without sheds on Central Railway

1558. **Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state : (a) the number of stations on the Central Railway where there are no sheds over the platforms ; and

(b) the number of Stations on the Central Railway where Government propose to construct sheds over the platforms during the financial year 1971-72 ?

The Minister of Railways (Shri Hannumanthaiya) : (a) 433 stations.

(b) At 9 stations, provision of cover over platforms is already in progress while propasals for provision of platform shelters at six more stations have been approved in the Budget for 1971-72.

Non-Supply of uniforms to Assistant Station Masters (Cabin) at Mathura and Gwalior

1559. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Assistant Station Masters (Cabin) at Mathura and Gwalior Junctions are not provided with uniforms ;

(b) whether Assistant Station Master (Cabin) of Agra Cantt. is provided with uniform ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to issue uniforms to the Assistant Station Masters (Cabin) at Mathura and Gwalior Junctions also ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Under the orders extant on the Central Railway, Cabin Assistant Station Masters are a categorry not entitled to the supply of uniforms, and accordingly no uniforms can be given to them.

Goods handled by Indian Railways

1560. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shrimati Bhargavi Thankappan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the quantum of goods handled by the Indian Railways during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 ;

(b) the total amount of revenue earned by the Government therefrom ;

(c) whether the quantum of goods traffic has gone down considerably during the years 1970 is detailed ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) The quantum of goods handled is detailed below :

Year	Tonnes originating (in Millions)		
	Revenue earning traffic	Non-Revenue Traffic.	Total of Revenue earning and non-Revenue traffic
1968-69	170.8	33.2	204.0
1969-70	173.8	34.1	207.9
1970-71*	163.6	30.4	199.0

(b) The amount earned from the revenue earning goods traffic is given below :

Year	Eearnings from goods carried (in crores of rupees)
1968-69	548.97
1969-70	578.13
1970-71*	599.00

*Provisional.

(c) Yes, Sir.

(d) The drop in loading has mainly been due to serious dislocation of train services in the Eastern sector on account of poor law and order condition and such miscreant activities, as large scale theft of wagon fittings, overhead traction wires, other communication cables, track materials and also victimisation of passenger and rail staff, attacks on passenger and goods trains, looting wagons and Railway property, bundhs, hartals and stoppage of trains by the public. This not only adversely affected the operation on the Eastern sector, but resulted in large scale immobilisation of stock on the Eastern and South Eeastern Railways and consequent shortage of wagons on other Zonal Railways also. The situation in the Eeastern sector also necessitated loading from other zones to these areas having to be drastically curtailed thus affecting loading on other Railways as well.

नादियाद-भद्रन छोटी लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन किया जाना

1561. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान नादियाद-भद्रन छोटी लाइन को, बरास्ता भद्रन सुजित्रा-नादियाद कपादवंज से होकर भैली से मोडासा तक बड़ी लाइन में परिवर्तित करने हेतु किये गये सर्वेक्षण में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस लाइन को शीघ्र परिवर्तित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हो रहा है ।

(ख) फिलहाल इस रेलवे लाइन के आमान-परिवर्तन का विचार नहीं है ।

उद्योगों में निवेश के कार्यक्रमों की क्रियान्वित से अवरोधों को हटाने के लिये "कार्य करने वाले" तंत्रों की स्थापना

1562. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

हमारे उद्योगों के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में धन लगाने के कार्यक्रमों की शीघ्र क्रियान्विति के मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए कार्य करने वाले तंत्र स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में धन लगाने के कार्यक्रमों को शीघ्र क्रियान्वित करने के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने की दृष्टि से, तुरन्त निर्णय करने और वित्तीय तथा अन्य प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने अधिकाधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए इस मंत्रालय के सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है । मंत्रालय में एक प्रकोष्ठ भी बनाया गया जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों का निरन्तर निरीक्षण करते रहनें के लिए उत्तरदायी होगा ।

Memorandum submitted by Purvottar Railway Mazdoor Sabha after Termination of strike

1563. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Purvotter Railway Mazdoor Sabha has sent any memorandum to him after the termination of the 33 day-old strike by the railway workers of Barauni-Garhara ; and

(a) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No, Sir

(b) Does not arise.

रेलवे में काम कर रही पंजीकृत मजदूर संघों की सदस्यता

1564. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत कितने मजदूर संघ रेलवे में काम कर रहे हैं ;

(ख) उनके नाम क्या हैं, मजदूर संघों के पंजीकृत के पास सदस्यता के अन्तिम आंकड़े क्या हैं और उपर्युक्त भाग (क) के अनुसार इन सब मजदूर संघी की पंजीकृत संख्या क्या-क्या है ;और

(ग) आल इंडिया रेलवे मैन्स फैडरेशन और नैशनल फैडरेशन आफ इंडिया रेलवे मैन ने 1967-63 और 1969 में मजदूर संघों के पंजीयक को सदस्यता के क्या आंकड़े प्रस्तुत किये थे ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) रेलों पर ऐसी 19 यूनियन हैं जो ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त और पंजीकृत हैं । जहां तक अमान्यता प्राप्त यूनियनों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है, इनको संख्या 80 है ।

(ख) मान्यना प्राप्त यूनियनों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संग्लन विवरण में दी गयी है अमान्यता प्राप्त यूनियनों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सटीक सूचना नहीं है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-349/71**]

(ग) दोनों फैडरेशनों में से किसी न किसी से सम्बद्ध यूनियनों की सदस्य संख्या, उनके दावे के अनुसार, इस प्रकार है :—

	1967	1968	1969
आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन से सम्बद्ध यूनियनें	411464	410869	419987
नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन्स से संबद्ध यूनियनें	370068	393307	395485

भारग्राही स्टेशन और सहायक स्टेशन मास्टर

1565. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में 205-280 रुपये के वेतनमान वाले स्टेशनों मास्टरों सहायक स्टेशन मास्टरों के अवकाश की अवधियों में 205-280 रुपए के वेतन वाले भारग्राही स्टेशन मास्टरों सहायक स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति करने की व्यवस्था है ।

(ख) क्या उक्त व्यवस्था का सब जोनों और डिवीजनों में पालन किया जाता है ; और

(ग) उन जोनों और डिवीजनों के नाम क्या हैं, जहां भारग्राही व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) ऐसा कोई नियम नहीं है कि विश्राम दाता स्टेशन मास्टरों सहायक स्टेशन मास्टरों का ग्रेड वही हो जो उस कर्मचारी का है जिसे वे विश्राम देने आये हों यद्यपि रेलों की वर्तमान परिपाटी के अनुसार, सामान्यत: 205-280 रुपये ग्रेड के सहायक स्टेशन मास्टरों स्टेशन मास्टरों को उसी ग्रेडमें काम करने वाले स्टेशन मास्टरों सहायक स्टेशन मास्टरों को विश्राम देने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(ख) और (ग). जी हां । लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर, लखनऊ और समस्तीपुर मण्डलों में, जहां 205-280 रुपये ग्रेड के सहायक स्टेशन मास्टर उसी ग्रैड के अन्य सहाहक स्टेशन मास्टरों के लिए विश्रामदाता के रूप में काम कर रहे हैं ; वहां नीचे के ग्रेड के कुछ स्टेशन मास्टर 205-280 रुपये ग्रेड के स्टेशन मास्टरों को विश्राम दे रहे हैं । इसका कारण यह है कि जहां किसी विश्रामदाता को विभिन्न ग्रेडों में काम करने वाले कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम देना होता है, वहां 205-280 रुपये के ग्रेड के सभी विश्रामदाताओं की व्यवस्था करना कठिन हो जाता है । फिर भी, इस मामले की समीक्षा की जा रही है।

Provision of sheds over Platforms at Railway Stations in Madhya Pradesh

1566. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased state :

(a) the number of Railway Stations in Madhya Pradesh where sheds have not been provided over the platforms ; and

(b) the action proposed to be taken by Government for construction of sheds over Railway platforms at those stations?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) 394.

(b) Platform shelters are being provided on a programmed basis, as per yardstick laid down for the purpose, in consultation with the Railway Users' Amenities Committee with which public opinion is associated, after taking into account the traffic dealt with at the station, the need for the same vis-a-vis other stations where this amenity is lacking, and the availability of funds. This amenity is not provided on State-wise basis.

Expenditure on Mid-Term Election to Lok Sabha

1567. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state the total expenditure incurred on mid-term elections to Lok Sabha held in 1971?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : The figures of total expenditure incurred by the Government on the mid-term elections to Lok Sabha held in 1971 are not available. The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Setting up of Industrial Estates in Gwalior Division (Madhya Pradesh)

1568. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up Industrial Estates in Gwalior, Bhind, Morena, Guna and Shivpuri Districts of Madhya Pradesh with a view to solving unemployment problem in those regions ; and

(b) if. so, by what time, and approximate number of people expected to be provided with employment thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) and (b). Industrial Estates are already functioning in Gwalior, Guna (Guja), Bhind and Shivpuri. An industrial estate has also been constructed in Morena but it has not started functioning as yet.

Information as regards the number of people provided with employment in these estates is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Railway Line from Delhi to Jagdalpur

1570. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to construct a Railway line between Delhi and Jagdalpur via Rajhara which will prove remunerative to Government ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) The State Government of Madhya Pradesh have suggested the construction of the Dhalli Rajhara—Jagdalpur rail link and have furnished a report regarding the traffic prospects of the link.

(b) A feasibility-cum-cost of this project carried out earlier in 1965-66 had revealed that it would be unremunerative and the proposal had been deferred. The South Eastern Railway has now been asked to re-assess the earlier feasibility report duly taking into account the relevant data furnished by the State Government.

देश में तकनीकी जानकारी का विकास

1571. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी जानकारी के बारे में भारत और अन्य विकसित देशों में बड़ा अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अन्तर को कम करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि उद्योग देश में तकनीकी जानकारी के विकास पर अधिक ध्यान देंगे, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यद्यपि देश के उद्योगों के लिए एक सुदृढ़ तथा वैविध्यपूर्ण आधार विकसित किया गया है। तो भी कुछ नए तथा जटिल क्षेत्रों में तकनीकी व्यवधान अभी है।

(ख) देशीय और विदेशी तकनीकी जानकारी के व्यवधान को कम करने के हेतु सरकार देश में ही अनुसन्धान और विकास पर बल दे रही है और विदेशी तकनीक का चयनात्मक उचित आयात करने की अनुमति दे रही है।

(ग) जैसा कि संशोधित भारतीय आयकर निगम, 1961 जो समय समय पर संशोधित हुआ है, में निहित है कि उद्योग सम्बन्धी अनुसन्धान तथा विकास पर व्यय को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक रियायतें दी जा रही हैं। तकनीकी सहयोग के करार अब सामान्यतया केवल 5 वर्षों की अवधि के लिए ही स्वीकृत किए जाते हैं। विदेशी सहयोग के लिए अनुमति देते समय अपरिहार्य रूप से यह शर्त लगा दी जाती है कि करार की अवधि में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारतीय कम्पनी एक डिजाइन तथा अनुसंधान विभाग गठित करेगी।

भागीरथी नदी के बाढ़ का जल यमुना नदी में ले जाने की परियोजना

1572. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी से बाढ़ का जल 16 मील पहाड़ों से होते हुए यमुना नदी में ले जाने की परियोजना सरकार ने मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानतः कितना व्यय आयेगा ; और

(ग) इस परियोजना से क्या क्या लाभ होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केंद्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने यमुना पर प्रस्तावित संचय कार्यों के निरीक्षण के समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुझाव दिया था कि मानसून के दौरान यमुना नदी की सप्लाई को पूरा करने के लिए भागीरथी के फालतू पानी का व्यपवर्तन करने की अच्छी संभाव्यता प्रतीत होती है और इसका अनुसंधान किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग). परियोजना की विशेषताओं और उसके कार्यान्वयन के चरणों के बारे में तभी बताया जा सकता है जब उत्तर प्रदेश सरकार सुझाये गये अनुसंधान कार्य को कर लेगी।

माल डिब्बों की कमी के कारण पालामऊ (बिहार) में वन उत्पादों का जमा होना

1573. **श्री रतनलाल ब्राह्मण** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलवे माल डिब्बों की कमी के कारण पालामऊ (बिहार) में बड़ी मात्रा में बन-उत्पादों के जमा हो जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या माल के जमा हो जाने के कारण खनिजों और बन-उत्पादों के निकालने की गति धीमी हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप हजारों व्यक्तियों को बेरोजगार होने का भय है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारीय कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) से (ग). जी हां। पालामऊ क्षेत्र से वन्य उत्पादनों की ढुलाई से सम्बन्धित कुछ मांग के जमा हो जाने की रिपोर्ट मिली है। चूंकि वन्य उत्पादनों की ढुलाई तरजीही यातायात अनुसूची की प्राथमिकता श्रेणी 'ई' के अंतर्गत की जाती है, इसलिए इनकी ढुलाई की व्यवस्था कोयला, अनाज, उर्वरक सीमेंट आदि जैसे अन्य उच्च प्राथमिकता वाले यातायात की ढुलाई की मांग को पूरा कर लेने के बाद ही की जा सकती है। इसके अलावा, मांगों में से अधिकांश मांगें कलकत्ता क्षेत्र में गंतव्य स्थानों को ढुलाई करने से सम्बन्धित हैं। विभिन्न समाज विरोधी गतिविधियों के कारण गाड़ी-सेवाओं के गंभीर रूप से अस्त-व्यस्त हो जाने के फलस्वरूप रेलवे की इस क्षेत्र की ओर यातायात की निकासी की क्षमता बहुत कम हो गयी है। कलकत्ता क्षेत्र में इन गंतव्य स्थानों को वन्य-उत्पादनों जैसे निम्न प्राथमिकता वाले यातायात की ढुलाई की व्यवस्था अनाज, कोयला आदि जैसे अन्य उच्च प्राथमिकता वाले यातायात की आवश्यकताओं को पूरा कर लेने के बाद ही की जा सकती है।

अंडाल से नीचे उपलब्ध सीमित क्षमता के अन्दर पालामऊ जिले के स्टेशनों से वन्य उत्पादनों का अधिक से अधिक लदान करने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। चालू वर्ष में (20 मई तक) इस क्षेत्र से 7599 मालडिब्बों में वन्यउत्पादनों का लदान किया गया।

इड्डिकी जल विद्युत परियोजना का निर्माण-कार्य

1574. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इड्डिकी जल-विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बार-बार होने वाले श्रमिक संकटों और विभागीय स्टाफ द्वारा हड़ताल के कारण इडिक्की जल-विद्युत परियोजना पर कार्य में देरी हो गई है।

सिविल कार्यों के निर्माण की गति को तेज करने के लिए अतिरिक्त उपस्कर प्राप्त कर लिये गये हैं/प्राप्त किये जा रहे हैं। श्रम-विवादों को शीघ्रता पूर्वक तय किया जा रहा है और कार्यों की अत्यंत महत्वपूर्ण मद्दों को विभागीय रूप से हाथ में ले लिया गया है।

रोजगार प्रधान औद्योगिक कार्यक्रम

1575. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1971 को नई दिल्ली में आयोजित लघु उद्योग संबंधी द्वितीय अफ्रोकी एशियाई सम्मेलन में रोजगार-प्रधान औद्योगिक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने क्या योजनायें बनाई हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). लघु उद्योग के विषय में द्वितीय अफ्रो-एशियाई सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों में विद्यमान आर्थिक

तथा औद्योगिक परिस्थितियों पर वार्तालाप करना तथा अफ्रो-एशियाई क्षेत्र के विकासशील देशों के बीच लघु उद्योग सम्बन्धी अनुभव का आदान प्रदान करना था। यह सर्वमान्य बात है कि लघु उद्योग का विकास पर्याप्त रोजगार प्रदान करने के प्रभावी साधन प्रस्तुत करता है। सरकार द्वारा कार्यान्वित शहरीं और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली सभी योजनाएं बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखती हैं।

तमिल नाडु में प्रत्याशित बिजली की कमी को दूर करने के लिए योजना

1576. **श्री गुरुगनन्तम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दो से तीन वर्षों में तमिलनाडु में बिजली की भारी कमी होने की संभावना है ;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने चौथी तथा पांचवीं योजना में कुछ नई विद्युत योजनाओं का प्रस्ताव किया है और इस सम्भावित कमी को पूरा करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या केंद्र ने योजनाओं को मंजूर कर लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के अन्त तक क्रमश: लगभग 30 मैगावाट 200 मैगावाट और 150 मैगावाट विद्युत की कमी होनी प्रत्याशित है।

(ख) से (घ) : पूछी गई सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

तमिलनाडु में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित नई जल विद्युत स्कीमें

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपये	प्रस्तावित प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता (मै०)	टिप्पणियां
1.	पांडियार पुन्ना पुझा	1525	2×50	स्वीकृत परन्तु नये प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कार्य रोक दिया गया।
2.	नाडुवट्टम व्यपवर्तन	72	—	स्वीकृत । कार्य प्रगति पर है।
3.	चोलाटिपुझा जल-विद्युत परियोजना	739	1×60	केंद्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियों के उत्तर की जांच की जा रही है (अन्तर्राष्ट्रीय स्कीम)
4.	कादम्बरी जल-विद्युत परियोजना	618	1×35	संशोधित स्कीम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

5.	सुरिलियार जल विद्युत परियोजना बी०	617	1×35	सलाहकारी समिति द्वारा सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है ।
6.	अपर ताम्रपर्णी जल-विद्युत परियोजना बी०	600	1×30	केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की जा रही है ।
7.	नेल्लीथुराय जल-विद्युत परियोजना बी०	670	1×50	—वही—
8.	परालयार जल-विद्युत परियोजना बी०	473	1×35	—वही—

लघु उद्योगों के बारे में मालवीय समिति की सिफारिशें

1577. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बीच लघु उद्योगों संबंधी मालवीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त सिफारिशों के बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). सरकार ने मालवीय समिति की सभी सिफारिशों पर उचित निर्णय लिए हैं सिवाय एक के जो सामान्यरूप से लघु उद्योग के लिए तथा विशेष रूप से सहायक उद्योगों के लिए विधिनिर्माण से सम्बन्धित है । यह सिफारिश विचाराधीन हैं ।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के निदेश बोर्ड के एक सदस्य की नियुक्ति

1578. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सरजू प्रसाद सिंह जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन कानपुर के कार्यों की जांच करने के लिए हुई थी इसके निदेशक बोर्ड के सदस्य नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). दिनांक 22/8/70 को हुई वार्षिक आम बैठक में सरकारी नामजद व्यक्ति ने सरजू प्रसाद सिंह का नाम प्रस्तावित किया शेयर होल्डरों ने उन्हें उक्त बैठक में भारी बहुमत से चुन लिया ।

रेल और सड़क परिवहन में स्पर्धा

1579. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सड़क परिवहन के साथ कोई स्पर्धा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के उपभोक्ता रेलवे की असन्तोषजनक सेवा तथा प्रबन्ध और भ्रष्टाचार के बारे में तीव्र रूप से शिकायतें कर रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) इस किस्म की कुछ शिकायतें मिली हैं, लेकिन उनका सड़क-प्रतिस्पर्धा से कोई संबंध नहीं है ।

कृषि पर आधारित उद्योगों के कार्य में सुधार

1580. **श्री सामिनाथन् : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि पर आधारित उद्योगों के कार्य में कोई सुधार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) कृषि उद्योगों तथा वित्तीय संस्थाओं के संबंधित विभिन्न विभागों/संगठनों के बीच समन्वय कायम करने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्थायी समन्वय समिति स्थापित की गई है । सुधरी मशीनों तथा उपकरणों का प्रचार करके, कारीगरों को प्रशिक्षण देकर तथा क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करके कृषि उद्योगों के लिए तकनीकी सहायता कार्यक्रम को बढ़ावा देने का विचार है ।

कोलार होते हुए वंगरपेट से तिरुपति तक रेलवे लाइन

1581. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोलार पलमानेर होते हुये वंगरपेट से तिरुपति तक रेल संचार की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ख) क्या इस रेलवे लाइन की व्यवस्था के लिए सरकार का विचार सर्वेक्षण आरम्भ करने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) फिलहाल इस प्रकार का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मतदाताओं को पहचान-पत्र देना

1582. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदाता को फोटो सहित पहचान-पत्र देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय आयेगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में असमानता

1583. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ऊंचे पदों पर कार्य करने वालों के वेतन, भत्तों आदि में कितनी असमानता है; और

(ख) इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के परिलब्धियों की असम्यताओं को ठीक ठीक बता सकना संभव नहीं है क्योंकि परिलब्धियां गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अलग-अलग होती हैं। यह देखा गया है कि उच्च प्रबंधकीय पदों की गैर-सरकारी क्षेत्र में परिलब्धियां अक्सर अधिक ही होती हैं। सरकारी क्षेत्र में उच्च श्रेणी के पदों की सामान्यता 2000-100-2500 रु० से 3500-125-4000 रु० के चार वेतन मानों में से किसी एक में भरा जाता है। जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र में इस स्तर के पदों की परिलब्धियां अलग-अलग उपक्रमों में भिन्न-भिन्न होती हैं जो कि सरकारी क्षेत्र में सामान्य रूप से अधिक ही हुआ करती हैं।

अपेक्षित क्षमता तथा दक्षता के व्यक्तियों को आकृष्ट करने के लिए आवश्यक स्तर के परिश्रमिक को ध्यान में रखते हुए तथा सरकार के सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के साथ उसका सामन्जस्य बैठाते हुए सरकारी क्षेत्र के वेतन मान निर्धारित कर दिये गये हैं। आशा है कि थोड़े समय में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोच मौजूदा असमानता को कर तथा अन्य अभ्युपायों से कम कर दिया जायेगा।

मालगाड़ी के डिब्बे तोड़ने और तांबे की तारों की चोरी के कारण पश्चिम बंगाल द्वारा घाटे अथवा दण्ड का भुगतान

1584. **श्री पी० आर० दास मुंशी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969 और 1970 के दौरान पश्चिम बंगाल में माल गाड़ी के डिब्बे तोड़ने और तांबे के तारों की चोरी के कारण दावों अथवा दण्ड के रूप में कुल कितने धन का भुगतान हुआ था ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): माल के गुम होने क्षतिग्रस्त होने आदि के सम्बन्ध में दावों की क्षतिपूर्ति के भुगतान के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते बल्कि रेलवे-वार रखे जाते हैं। डिब्बा काटने, लूटने आदि चोरी के विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में भी अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते। लेकिन, चोरी और उठाईगीरी से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान की रकम रेलवे वार संलग्न अनुबन्ध में दिखायी गयी है।

रेलों को परिवहन के लिए सुपुर्द की गयी उपयोगकर्ताओं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में ही दावों के भुगतान किये जाते हैं। तांबे के तार, जिनकी चोरी होती है, रेलवे की सम्पत्ति है इस लिए, किसी दावे के भुगतान का सवाल नहीं उठता।

विवरण

1969-70 के वर्ष में भारतीय रेलों पर परेषणों की चोरी और उठाईगीरी के सम्बन्ध में दावों

के भुगतान से सम्बन्धित विवरण ।

रेलवे	चोरी के कारण किये गये दावों के भुगतान		उठाईगीरी के कारण किये गये दावों के भुगतान	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
मध्य	152	1,68,526	31,845	47,69,148
पूर्व	174	2,67,289	37,639	1,36,45,694
उत्तर	120	1,64,977	26,928	47,71,533
पूर्वोत्तर	88	36,568	25,201	45,26,560
पूर्वोत्तर सीमा	3	2,122	11,118	62,73,444
दक्षिण	172	62,879	17,730	41,91,861
दक्षिण-मध्य	60	13,935	12,360	19,34,116
दक्षिण-पूर्व	205	57,353	18,535	41,25,076
पश्चिम	1	1,329	39,637	44,91,971
टोटल :	975	7,74,978	2,20,993	4,87,29,403

राजस्थान तथा पंजाब के लिए राजस्थान नहर का जल

1585. **श्री ब्रजराजसिंह कोटा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के हिस्से को दृष्टि में रखते हुये राजस्थान नहर के जल का प्रवाह कम है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान नहर के पानी की सप्लाई करने और पंजाब के साथ इस संबंध में मतभेद होने के मूल कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). रावी और ब्यास नदियों के समस्त जल में राजस्थान का भाग नदी के प्रवाह पर निर्भर करता है जो समय-समय पर अलग-अलग होता है और तदनुसार ही राजस्थान को जल सप्लाई किया जा रहा है । बहरहाल, राजस्थान नहर और गंग नहर के बीच इस भाग का विवरण राजस्थान सरकार द्वारा, जैसा उपयुक्त समझा जाता है, किया जाता है ।

लोअर परेल, महालक्ष्मी और बम्बई सेन्ट्रल (पश्चिम रेलवे) में कार्य कर रहे नैमित्तिक कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन

1586. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में लोअर परेल, महालक्ष्मी और बम्बई सेन्ट्रल में कार्य कर रहे नैमित्तिक कर्मचारियों की कतिपय मांगों से सम्बन्धित एक ज्ञापन उन्हें 2 अगस्त, 1970 को भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ज्ञापन में उल्लिखित प्रत्येक मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) मांगों पर विचार किया गया है और यथावश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

कानपुर (टूंडला सेक्शन) के रेलवे विद्युतीकरण के कर्मचारियों द्वारा सिगल स्थापनाओं के रख-रखाव के लिये नैमित्तिक कर्मचारियों का उपयोग

1587. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर (टूंडला सेक्शन) के रेलवे विद्युतीकरण के नैमित्तिक कर्मचारियों का उपयोग डी० एस० टो० ई० (सी० एल० एस०) आर० ई०/कानपुर द्वारा टूंडला हरिनगांव काउरारा और शिकोहाबाद स्टेशनों पर सिगनल स्थापनाओं के रख-रखाव के लिये किया गया था हालांकि उन्हें इस प्रकार का कार्य करने का अधिकार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) निर्माणकार्य के सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर नैमित्तिक कर्मचारियों को निरीक्षण अधिकारियों के निर्देशन में अनुरक्षण कार्य करने की अनुमति दे दी जाती है ।

(ख) रेल बिजली योजना एक अस्थाई संगठन है जो सामान्यत: निर्माण कार्यों में लगा हुआ है न कि अनुरक्षण कार्यों में । जो संस्थापन चालू हो गये हैं उनके अनुरक्षण का काम रेल बिजली योजना द्वारा अल्पकालिक विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए किया जा रहा है ताकि यदि प्रारम्भिक दौर में कोई बाधा या दोष दिखायी पड़े तो उसे दूर किया जा सके और साथ ही उपस्कर उन्हीं लोगों के पर्यवेक्षण में रह सके जिन्होंने उसका संस्थापन किया है । इसलिए, ऐसा अल्पकालिक अनुरक्षण कार्य नैमित्तिक आधार पर रखे गये कर्मचारियों की सहायता से करना पड़ता है । लेकिन, गहन और सक्षम तकनीकी पर्यवेक्षण कार्य स्थल पर निरीक्षकों और अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

भारतीय रेलवे संस्थान संहिता के नियम 146 का उल्लंघन करते हुये उत्तर रेलवे के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

1588. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रेलवे अथवा उत्तर रेलवे में कर्मचारियों का स्थानान्तरण केवल भारतीय रेलवे संस्थान संहिता के नियम 146 के अन्तर्गत ही किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस नियम का उल्लंघन करके उत्तर रेलवे प्राधिकारियों ने कितने स्थानान्तरण किये हैं;

(ग) उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत सुरक्षा पाने के लिये विभिन्न न्यायालयों में कर्मचारियों द्वारा कितने मामले दर्ज कराये गये; और

(घ) इस प्रकार स्थानान्तरण के लिये आदेश देने के लिये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं; भारतीय रेल स्थापना संहिता, भाग II का नियम 2011 भी है ।

(ख) और (घ). नियमों के विरुद्ध किसी स्थानान्तरण का आदेश नहीं दिया गया है ।

(ग) एक ।

रेलवे वर्दी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय

1589. **श्री बीरेन दत्त :** क्या रेल मंत्री 24 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2144 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्दी सम्बन्धी समिति के प्रतिबेदन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : वर्दी समिति की रिपोर्ट पर दोनों श्रमिक संघों के साथ दो बार बात-चीत की जा चुकी है । रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय करने से पहले श्रमिक संघों से आगे और बात-चीत होनी है ।

"फारेन ट्रैफिक" लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे, दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें

1590. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फारेन ट्रैफिक" लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 22 दिसम्बर, 1970 को हुई बैठक में एक संकल्प पारित हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) संकल्प में अनेक विषयों से सम्बन्धित कई मांगें थीं जैसे चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की तीसरी श्रेणी में पदोन्नति, दो वर्ष के बाद गर्म वर्दी की सप्लाई, क्वार्टरों का आवंटन, चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की कमी, तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को स्वीकार्य स्तर पर सेवा निवृति के बाद मानार्थ पास आदि । इन मांगों पर वर्तमान नियमों के अनुसार विचार किया गया है और उनके गुणावगुण के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की गयी है ।

बाढ़ों से हुई जन हानि

1591. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1970 में उठ्कमंड में राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में हाल ही में आई बाढ़ों से हुई भारी जनहानि के कारणों का पता लगाने के लिए गठित की गई समिति द्वारा कोई 'रिपोर्ट' तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे संकट की पुनः आवृति को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय सुझाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). राज्यों के सिंचाई और विद्युत मन्त्रियों के पांचवें सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1970 में गठित समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । रिपोर्ट के इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

भू-तापीय संयंत्र का विकास

1592. **श्री सुबोध हंसदा : क्या सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भू-तापीय विकास के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए वर्ष 1966 में एक समिति स्थापित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति आंकड़े एकत्र कर पाई है और एकत्रित आंकड़ों के आधार पर क्या भारत में भू-तापीय संबंध को विकसित करने की कोई संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने देश भर के 250 गरम पानी के चश्मों पर आंकड़े इकट्ठे किए और उनका मिलान किया तथा इन स्थलों में से कुछ का दौरा भी किया । समिति ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को ज्ञात किया जिनके लिए विद्युत विकास और/या रासायनिक उद्योगों की स्थापना की व्यावहार्यता के सम्बन्ध में आगे विस्तृत अन्वेषण अपेक्षित है ।

नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के लिए संयंत्र और मशीनरी की आवश्यकता

1593. **श्री सुबोध हंसदा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त परियोजना मशीनरी समिति ने देश में नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के लिए संयंत्र और मशीनरी की उपलब्धता संबंधी स्थिति पर विचार किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस स्थिति पर विचार करने में अभी कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). देश में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में निर्माण सम्बन्धी उपस्कर का केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग समय-समय पर सर्वेक्षण करता है । दिसम्बर, 1970 के अन्त तक की अवधि के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 105 करोड़ रुपये की कीमत के उपस्कर की लगभग 5880 मद्दें देश में विभिन्न सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के पास थीं । भारत सरकार द्वारा गठित की गई निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी समिति से यह अपेक्षित है कि वह सिंचाई, विद्युत और अन्य सेक्टरों में देश में उपलब्ध उपस्कर के संबंध में स्थिति का पता लगाए तथा इसके इष्टतम समुपयोजन के लिए उपाय सुझाए । समिति का कार्य चल रहा है ।

जगाधरी (उत्तर रेलवे) के रेलवे वर्कशाप के नैमितिक कर्मचारियों को नियमित रोजगार दिया जाना

1594. **श्री ए० के० साहा : क्या रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विद्युतीकरण परियोजना उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के लगभग 300 नैमितिक कर्मचारियों को अब तक उत्तर रेलवे के जगाधरी वर्कशाप में नियमित रोजगार प्रदान कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आज तक वास्तव में कितने कर्मचारियों को रोजगार पर ले लिया गया है ; और

(ग) शेष कर्मचारियों को कब तक नियमित रोजगार प्रदान कर दिया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). रेल बिजली योजना के 208 नैमित्तिक श्रमिकों को जगाधरी, कालका, बीकानेर और आलमबाग कारखानों में नौकरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और इनमें से अब तक लगभग 147 ने कार्यभार सम्भाल लिया है। बाकी के नैमित्तिक श्रमिकों को भी रेलों में खाली होने वाले स्थानों पर यथासम्भव समाहित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन चूंकि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए कोई निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है।

बरौनी-गरहरा क्षेत्र के रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1595. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम और रोजगार मन्त्री ने कुछ संसद-सदस्यों और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा पूर्वोत्तर रेल मजदूर सभा के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत वार्तालाप करने के पश्चात् बरौनी-गरहरा क्षेत्र के हड़ताल कर रहे रेल कर्मचारियों से यह प्रतिज्ञा करते हुये पुनः कार्य करने की अपील की थी कि उन्हें परेशान नहीं किया जायेगा और अन्य क्षेत्रों जैसे परियोजना भत्ता योजना के ढंग को उनके लिये क्रियान्वित किया जायेगा ;

(ख) क्या रेल कर्मचारियों ने उपरोक्त अपील के पश्चात् अपनी 33 दिन की लम्बी हड़ताल समाप्त कर दी है और पुनः कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) क्या पुनः कार्य संभालने के पश्चात् बहुत से मुकदमें, निलम्बन, गिरफ्तारियां और सेवा में अवरोध होने की सूचनाएं आदि की घटनाएं हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) हड़ताली कर्मचारी 33 दिन की गैर कानूनी हड़ताल के बाद 27-4-1971 को अपने काम पर वापस आ गये।

(ग) और (घ). पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे के 4094 कर्मचारियों की स्वाभाविक रूप में सेवा भंग होने के अलावा, इन दोनों रेलों के 40 कर्मचारियों को, अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 और / या भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तारी के बाद, निलम्बित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध मुकदमें चल रहे हैं। विभागीय नियमों या कानून का स्वभाविक प्रभाव रहेगा ही।

क्रियान्विति के लिए शेष भारत-नेपाल सहयोग की उपेक्षा रखने वाली योजनाएं

1596. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं, परियोजनाओं अथवा प्रस्तावों के नाम क्या हैं जिनके लिए भारत-नेपाल के सहयोग, भारत और नेपाल सरकारों में से किसी एक अथवा दोनों को अनुमोदन अथवा मंजूरी की आवश्यकता है तथा जिन पर अभी विचार करना अथवा जिनको अभी क्रियान्वित करना शेष है ; और

(ख) उन में देरी किए जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). पश्चिम कोसी नहर ; गण्डक परियोजना की नेपाल पश्चिमी नहर ; बागमती के साथ-साथ तटबंध ; और पंचेश्वर तथा पूर्णागिरि विद्युत परियोजना के लिए नेपाल सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित हैं। करनाली का विकास और गण्डक परियोजना की नेपाल पश्चिमी नहर पर छोटी-छोटी नालियों का निर्माण भारत सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव हैं।

नदी घाटी परियोजनाओं ने जटिल तकनीकी, वित्तीय और अन्य समस्याएं प्रस्तुत कर दी हैं जिन पर सरकार को अन्तिम निर्णय लेने से पहले उनकी आवश्यकताओं तथा संसाधनों की रोशनी में सावधानी से जांच करनी पड़ेगी ।

कमाल तटबंधों और पश्चिमी कोसी तटबंधों का और दक्षिण की ओर विस्तार

1597. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले के घनश्यामपुर, बिरौल और कुशाश्वर स्थान खंडों (ब्लाक्स) को बचाने के लिए कमला तटबंधों और पश्चिमी कोसी तटबंधों को और दक्षिण की ओर बढ़ाने से सम्बन्धित प्रस्ताव बहुत दिनों से विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेगी तथा परियोजना का कार्य कब तक आरम्भ कर देगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बिहार सरकार ने यह सूचित किया है कि कमला के तटबंधों और पश्चिमी कोसी के तटबंधों के विस्तार की जांच का कार्य 1970 की बाढ़ के बाद शुरू किया गया था और इनके संरेखण सम्बन्धी सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। फिर भी, बांधों के डिजाइन के लिए आवश्यक बाढ़-स्तर और सुरक्षित क्षेत्रों की जल निकासी पर प्रस्तावित बांधों के प्रभाव का अध्ययन जैसे जल वैज्ञानिक संप्रेक्षणों की निगरानी मानसून के कम से कम दो मौसमों में की जाएगी। इसलिए व्यवहार्यता रिपोर्ट के अन्त तक ही तैयार होने की उम्मीद की जाती है। इस प्रस्ताव पर निर्णय व्यवहार्यता रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ही लिया जा सकता है।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और यातायात विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का स्थायीकरण

1598. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेल** मंत्री विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और यातायात विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थायीकरण के बारे में 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच विभागीय पदोन्नति समिति की कोई बैठक हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पश्चिमी रेलवे के कारनैक ब्रिज के माल अधीक्षक और आल इण्डिया रेलवे कार्मशियल एसोशियेशन के मध्य विवाद

1599. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के कारनैक ब्रिज के माल अधीक्षक और आल इंडिया रेलवे कार्मशियल क्लर्क्स एसोसिएशन के बीच इस स्थान पर एसोसिएशन की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हुआ है ;

(ख) क्या यूनियन के पत्रांक ए० आई० आर० सी० सी० ए०/सी० सी० बी०/1/71 दिनांक 20 जनवरी, 1971 और माल अधीक्षक के पत्रांक ई०/1160/0/सी० सी० बी०/2 फरवरी, 1971 और इसी तारीख का एक कार्यालय का आदेश आदि पत्रों का कोई आदान-प्रदान हुआ था ; और

(ग) उक्त मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) कार्नक बंदर के माल अधीक्षक द्वारा कार्मशियल क्लर्क्स एसोसियेशन को सूचना भेज दी गयी है कि चूंकि इस एसोसियेशन को रेल प्रशासन की मान्यता प्राप्त नहीं है अतः प्रशासन उसके साथ पत्राचार नहीं करेगा ।

पश्चिमी रेलवे के डिवीजन/जिले में कर्मचारियों की वरीयता सूची रखना

1600. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के कारनैक पुल माल गाड़ी शेड में काम कर रहे कर्मचारियों की दो वरीयता सूचियां रखी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत तथा इस प्रकार की दो सूचियां किन सिद्धान्तों पर रखी जाती हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) मालबाबुओं की कोटि के सिवाय, एक यूनिट में कर्मचारियों की प्रत्येक कोटि के लिए एक वरिष्ठता सूची है ।

(ख) इसके प्रारम्भ से ही कार्नक ब्रिज स्थित माल डिपो एक आत्मनिर्भर डिपो रही है जो पांच पृथक एवं आत्मनिर्भर अनुभागों में बांटी हुई है । सितम्बर, 1957 में इन कर्मचारियों की वरिष्ठता बम्बई डिवीजन के माल बाबुओं के संवर्ग में मिला दी गयी थी । बाद में श्रमिक यूनियनों के परामर्श से, पुनर्विचार कर, एक निर्णय लिया गया था कि (i) 1-5-1951 से पूर्व नियुक्त माल बाबुओं के लिए, पांचों अनुभाग पृथक-पृथक यूनिट माने जायेंगे ; और (ii) जो 1-5-1951 के बाद नियुक्त हुए थे उनके लिए एक मिली-जुली, वरिष्ठता सूची होगी जिसमें माल गोदाम के पांचों अनुभाग शामिल होंगे । 1-5-1951 से पूर्व नियुक्त व्यक्तियों को यह विकल्प दिया गया था कि वे वरिष्ठता के मिले-जुले पूल में शामिल हो सकते हैं ।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय

1601. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटरी में दरार आने के कारण गत फरवरी में दक्षिण रेलवे पर चेतपट्ट और

एगमोर के बीच गंगू रेड्डी रेलवे फाटक के निकट एक बिजली से चलने वाली रेल गाड़ी की दुर्घटना एक रेलवे कर्मचारी की सतर्कता के कारण होते-होते बनी थी ; और

(ख) रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 24-2-1971 को सिगनल और अन्तर्पाश अनुरक्षक, बिजली, मद्रास एषुम्बूर, जब वह फाटक सिगनल की खराबी ठीक कर रहा था तब उसे पता लगा कि चेतपट्ट और मद्रास एषुम्बूर के बीच 5/13-14 किलोमीटर पर अप उपनगरीय लाइन की पटरी टूट गयी है। सूचना मिलते ही रेल-पथ निरीक्षक घटना स्थल पर तुरन्त पहुंच गया और तत्पश्चात पटरी को उसी दिन बदल दिया गया और रेल-पथ को गाड़ियों के आने-जाने के लायक बना दिया लेकिन यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि उस पर गाड़ियां 8 किलोमीटर की रफ्तार से चलायी जायें।

(ख) जब रेल-पथ की पटरियां पुरानी हो जाती हैं तो उनमें अक्सर दरारें पड़ जाती हैं। चाबी वाले अपने दैनिक गश्तों के दौरान रेल-पथ की निगरानी रखते हैं और यदि दरारें या और कोई असामान्य स्थिति उन्हें दिखाई पड़ती है, तो वे तत्काल उसकी रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा, महत्व-पूर्ण लाइनों पर खराब पटरियों का पता लगाने के उद्देश्य से अल्ट्रासानिक फ्ला डिटेक्टर लगाये जाते हैं ताकि उन्हें बदला जा सके। इस प्रकार रेल-पथ की जांच और देखभाल रेल-पथ निरीक्षक द्वारा व्यवस्थित रूप से की जाती है ताकि पटरियों में दरारों के कारण कोई दुर्घटना न होने पाये।

Reversion of Diesel trained employees in Moradabad Division

1602. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the reversion of diesel trained Railway employees in Moradabad Division is being considered by their officers ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) and (b). It had been decided in 1965 that posts of Drivers' Assistants (Diesel) should be filled from amongst duly trained Firemen who were matriculates. Subsequently, it was decided in July, 1967 that in considering the absorption of staff rendered surplus on the steam side in various posts on the Diesel/Electric side, the prescribed educational qualifications for these posts need not be insisted upon. As a result of this, some of the senior staff who were not matriculates and therefore had not been sent for training as Drivers' Assistants (Diesel) in terms of the orders of 1965, were to be deputed according to their seniority. On completion of training, such staff are to be posted and the juniormost staff who had been trained earlier because of the educational qualifications, may have to be reverted. The reversions are to be effected in the order of their seniority but efforts would be made to ensure that suitable alternative general posts in same or as near the grade in which they are working, as possible, are given to the persons concerned.

मद्रास से रेलवे दर अधिकारण के कार्यालय का स्थानान्तरण

1603. **श्री मुरासोली मारन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास से रेलवे दर अधिकारण के कार्यालय का किसी अन्य स्थान को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

तमिलनाडु में मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

1604. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). मदुरै-तूतीकोरिन और मणियाची-तिरुनेलवेल्लि मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को आमान परिवर्तन के लिए रेलों की संदर्शी योजना में शामिल कर लिया गया है । इस आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण रिपोर्टों की अब जांच की जा रही है ।

Objects of the Official Language (Legislative) Commission and Rules governing its Constitution

1605. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state the objects of the Official Language (Legislative) Commission and the rules governing its constitution and the appointment of its Chairman and Members ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : The Official Language (Legislative) Commission is a Standing Commission of legal experts constituted under Government Resolution No. F. 39/61 Adm. I dated the 8th June, 1961. A copy of the said Resolution containing *inter alia* the functions assigned to the Commission, is attached (Annexure).

There are no separate rules governing the constitution of the Commission and the appointment of its Chairman and Members. The Commission is re-constituted from time to time, generally once in two years. When the Commission is re-constituted, the volume of work required to be done by it in the next two years is assessed and the number of Members to be appointed on the Commission is fixed on the basis of such assessment. No specific qualifications or experience have heen prescribed for the incumbents of the posts of Chairman and Members of the Commission. The incumbents of the post of Chairman have so far been retired High Court Judges. Persons who are appointed as Members in the Commission, possess high legal qualifications and experience and also high proficiency in Hindi/regional languages which they represent in the Commission. [**Placed in Library. See** No. LT—350/71].

कन्टाई के तटीय क्षेत्र में नमक उत्पाद के विस्तार करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए वहां विशेषज्ञों का दल भेजा जाना

1606. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री का विचार पश्चिम बंगाल में कन्टाई के तटीय क्षेत्र में नमक उत्पादन का विस्तार करने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए वहां एक विशेषज्ञ दल भेजने का था ;

(ख) यदि हां, तो वहां विशेषज्ञ दल के न भेजे जाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव का परित्याग कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं । तो ऐसा विशेषज्ञ दल कन्टाई कब जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिमी रेलवे के दिल्ली किशनगंज स्थित कार्यालय में कार्य कर रहे क्लर्क ग्रेड-I के कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के लिए सेवा के नियम तथा शर्तें

1607. **श्री के०मार्तण्ड सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे की सेवा के नियमों और शर्तों में ऐसा कोई उपबन्ध है कि यदि कोई कर्मचारी एक वर्ष तक क्लर्क ग्रेड-1 के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है तो वह उसी ग्रेड में स्थायी होने का हकदार हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी, यदि कोई हों, तो कितने हैं जिन्होंने पश्चिमी रेलवे के दिल्ली किशनगंज स्थित कार्यालय में दिनांक 1 अप्रैल, 1968 में म० पू० से 31 मार्च, 1969 के म० पू० तक स्थानापन्न के रूप में एक वर्ष तक की सेवा पूरी की और जिन्हें अभी तक उक्त ग्रेड में स्थाई नहीं किया गया है ; और

(ग) उन्हें उक्त ग्रेड में स्थायी किये जाने का लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) वर्तमान आदेशों के अनुसार अपनी वरिष्ठता एवं उपयुक्तता या किसी स्थायी रिक्त पद के पेनल में अपनी स्थिति के आधार पर नियमित तरीके से स्थानापन्न रूप से काम करने वाले किसी कर्मचारी को स्थायी करने के बारे में उस समय विचार किया जाता है जब वह अपनी सेवा का एक वर्ष पूरा कर लेता है बशर्ते वह ऐसे स्थायीकरण की अन्य शर्तें पूरी करता हो ।

(ख) एक ।

(ग) इस कर्मचारी को क्लर्क ग्रेड 1 में स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए 1.4.1968 से पदोन्नत किया गया था और उसे 12.3.69 को परावर्तित कर दिया गया था। इस तरह वह 1-4-69 को क्लर्क ग्रेड I के पद पर स्थानापन्न रूप से काम नहीं कर रहा था । बाद में किये गये पुनरीक्षण के आधार पर उसे 13-3-1969 से 31-3-69 तक प्रोफार्मो-पदोन्नति की अनुमति दे दी गयी । इस विनिश्चय के फलस्वरूप स्थायी करने से सम्बन्धित उसके अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

क्लर्क ग्रेड-1 के अराजपत्रित कर्मचारियों की ओर से उन्हें स्थायी किये जाने के बारे में पश्चिमी रेलवे के उपमुख्य लेखाधिकारी, अजमेर को दिया गया अभ्यावेदन

1608. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ लेखाधिकारी (एफ० टी० ए०) पश्चिमी रेलवे, दिल्ली किशनगंज के कार्यालय में कार्य कर रहे क्लर्क ग्रेड-2 के कर्मचारी अथवा कर्मचारियों की ओर से उप-मुख्य लेखा अधिकारी

(यातायात लेखे) पश्चिमी रेलवे अजमेर, के कार्यालय द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी क्लर्क ग्रेड-1 वेतनमान 130-300 को स्थाई किये जाने के बारे में 6 दिसम्बर, 1969 को लिखा गया कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन का अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त अभ्यावेदन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पश्चिम रेलवे, किशनगंज, दिल्ली के इतर यातायात लेखा कार्यालय के एक क्लर्क ग्रेड—II को 1-4-1968 से क्लर्क ग्रेड—I के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए पदोन्नत किया गया था और पद समाप्त हो जाने के कारण 12-3-1969 को उसे परावर्तित कर दिया गया था । इसके बाद, आगे समीक्षा किये जाने पर उसे 13-3-1969 ने 31-3-1969 तक प्रोफार्मा पदोन्नति दी गयी थी । इस पर कर्मचारी ने 1-4-1968 से अपने स्थायी किये जाने के लिए अभ्यावेदन दिया । इस पर विचार किया जा रहा है ।

Railway Line for Jhanjharpur to Hasanpur Via Vithan

1609. **Shri R. B. Paswan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the general public have been requesting the Government to construct a new railway line from Jhanjharpur to Hasanpur via Vithan in Darbhanga district of Bihar ; and

(b) if so, whether Government propose to construct the said railway line, and if so, by what time ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : No. However, representations have been received for the construction of a new railway line from Jhanjharpur via Khatauna to Lokahabazar.

(b) It is proposed to carry out an engineering feasibility study and a traffic appreciation for the suggested rail link shortly. Further consideration to this proposal will be given after the proposed study and appreciation are completed and the reports thereon are examined from all angles.

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में कामांग परियोजन की क्रियान्विति

1610. **श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व सीमांत अभिकरण में कामांग परियोजना के 1971-72 में क्रियांवित किए जाने जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जी नहीं । परियोजना के चरण—I की इस समय विस्तृत जांच हो रही है । जांच का काम पूरा हो जाने के बाद, एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी और तत्पश्चात् परियोजना की कार्यान्वित के बारे में निर्णय लिया जाएगा ।

भारतीय रेलवे में काम कर रहे मंत्रालय के कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाना

1611. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से भारतीय रेलवे में काम कर रहे मंत्रालय के कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी, नहीं । मंत्रिमंडल का यह विनिश्चय है कि ग्रेड बढ़ाने पर तब तक पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रहना चाहिए जब तक तीसरे वेतन आयोग की अन्तिम सिफारिशें प्राप्त न हो जायें और सरकार द्वारा उन पर विचार न कर लिया जाये ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पूर्व रेलवे में माल यातायात में गिरावट

1612. **श्री राज देव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में माल यातायात में काफी गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी, हां । 1970-71 में पूर्व रेलवे में राजस्व उपार्जक माल यातायात का लदान पिछलें वर्ष की तुलना में लगभग 56.49 लाख मीटरिक टन कम रहा ।

(ख) पूर्व रेलवे में लदान में कमी मुख्यतः कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण गाड़ियों की सेवाओं के गम्भीर रूप से अस्त-व्यस्त हो जाने और माल डिब्बों की फिटिंग्स, ऊपरी कर्षण तारों, दूर-संचार केबुलों, रेल पथ के सामान की बड़े पैमाने पर चोरियों जैसी बदमाशों की हरकतों तथा सवारी और मालगाड़ियों में यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों पर आक्रमण, माल डिब्बों और रेल सम्पत्ति की लूट-पाट, बन्द, हड़ताल और जनता द्वारा गाड़ियां रोकने के कारण हुई ।

मुख्य अभियन्ता,उत्तर रेलवे विद्युतीकरण, इलाहाबाद के अधीन कार्य कर रहे एक ठेका संगठन की नियत राशि से अधिक का भुगतान

1613. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 की अवधि के दौरान मुख्य अभियन्ता विद्युतीकरण, उत्तर रेलवे इलाहाबाद के अधीन ठेके का कार्य कर रहे मेसर्स आर० एस० स्टील नामक ठेका संगठन को भारी राशि का अधिक भुगतान किया गया है;

(ख) क्या उत्तर रेलवे इलाहाबाद के वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा लेखा परीक्षक, उत्तर रेलवे इलाहाबाद ने उक्त अधिक भुगतान तथा इस सम्बन्ध में सम्बद्ध नियमों का उल्लंघन करने के बारे में कठोर आपत्ति की है ;और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

Requirement of staff at Jaora and Mandsaur Railway Stations (Western Railway)

1614. **Dr. Lakshminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of officers and employees working at Jaora and Mandsaur Railway Stations of Western Railway, separately ;

(b) whether the number of officers and employees at both the stations is inadequate keeping in view the daily movements of passengers and goods there ;

(c) whether the shortage of staff is being met by paying overtime allowances to the employees and officers there ; and

(d) if so, the action being taken to augment the strength of the staff at both these stations ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) :

	No. of officers	No. of staff	
		Class III	CL IV
(a) Jaora	Nil	14	13
Mandsaur	Nil	25	20

(b) The number of employees is considered adequate keeping in view the daily movement of passengers and goods at these two stations.

(c) No payment of overtime allowance has been made due to shortage of staff. Overtime allowance has however, been paid occasionally to the staff at these stations whenever absenteeism due to staff being on leave has been heavy.

(d) Does not arise.

Stationing of Goods Train at Jaora Station of Western Railway

1615. **Dr. Lakshminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a fully loaded goods train consisting of 45 wagons remained stationed at Jaora Station of the Western Railway from 9th April, 1971 to 26th April 1971 ; and

(b) if so, the reasons for stationing the train at the said Railway Station for such a long time ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) and (b). Yes, a sectional goods train was stabled at Jaora station on Neemuch-Ratlam Metre Gauge section of Western Railway on 8.4.1971. This was necessitated due to inability of Ratlam yard to accept the same on account of accumulation of transhipment loads as the transhipment was affected due to continuous shortage of labour. As the accumulated wagons at Ratlam were gradually liquidated, the train was also cleared partly on 22.4.1971 and the balance on 26.4.1971.

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखाने की स्थापना

1616. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान देश में सीमेंट के कितने कारखानें स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना अवधि में हिमाचल प्रदेश में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उस की लागत क्या होगी तथा उससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दस ।

(ख) और (ग). जी, नहीं । किन्तु सरकार ने राजबन (पोंटा) हिमाचल प्रदेश में एक सीमेंट संयत्र स्थापित करने के लिये सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया को प्राधिकृत किया है । किन्तु इस फैक्टरी के इस योजना अवधि में चालू होने की आशा नहीं है । संयंत्र की अनुमानित लागत 761लाख रुपये है । संयंत्र के चालू हो जाने पर प्रत्यक्षतया 500 और अप्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा ।

खुर्दा डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के इंजीनियरिंग सेक्शन के छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुनः रोजगार

1617. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीजन के इंजीनियरिंग सेक्शन के रेलवे कर्मचारियों की हाल के महीनों में की गई भारी संख्या में छंटनी के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1970 से मई, 1971 तक की अवधि में इस डिवीजन के कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई; और

(ग) सभी छंटनी किए गए कर्मचारियों को तुरन्त काम पर लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) से (ग). नियमित रेल कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की गयी है । लेकिन काम पूरा हो जाने पर इस मंडल में मार्च, 1970 से मई, 1971 के बीच लगभग 2,000 नैमित्तिक मजदूरों को सेवामुक्त कर दिया गया । चंकि समय-समय पर घटने-बढ़ने वाले काम की मात्रा के साथ-साथ समाहन संभाव्यता भी घटती-बढ़ती रहती है, इसलिए सेवा मुक्त नैमित्तिक मजदूरों को तुरन्त फिर से काम पर लगाना संभव नहीं है । नीति के अनुरूप उन्हें न केवल नये कामों के लिए मजदूरों की आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक नौकरी देने, बल्कि नियमित पदों पर लगाने के लिए सभी संभव प्रयास किये जायेंगे ।

Balia Beria Dam

1618. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Uttar Pradesh stated at a meeting of the Members of Parliament from Uttar Pradesh that if Balia-Beria Dam is not made pucca, it would be washed away this year and the entire Balia District would be destroyed ; and

(b) if so, the reaction of Government there to and the action being taken in this regard as also the measures being adopted to protect particularly the villages which are being eroded by the river Ghagra ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) and (b). The Government of Uttar Pradesh have stated that the record of the meeting of Members of Parliament from Uttar Pradesh with the Chief Minister, Uttar Pradesh held on 25.5.71 does not indicate that such statement was made by the Chief Minister.

The Government are, however, aware of the threat to Ballia Baria bund due to erosion by the Ganga. Immediate measures for protection of Ballia Beria bund for the current flood season are being taken by the State Government. Permanent measures are also under consideration.

The State Government have at present a proposal for checking erosion by the Ghagra in village Kathaunda of district Balia. A comprehensive survey of the entire river has also been proposed by the State Government for planning of protection measures.

मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक लिपिकों की संख्या में कमी

1619. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन के डिवीजनल, पर्सनल आफीसर डिवीजनल कमर्शियल सुपरिटेंडेंट और डिवीजनल एकाउंट्स आफीसरों को मिलाकर एक अध्ययन दल ने वाणिज्यिक विभाग के पदों के बारे में जांच की थी ;

(ख) क्या अध्ययन दल द्वारा 1968 में की गई सिफारिशों को प्रशासन ने स्वीकार कर लिया था तथा 1968 से 1969 तक उक्त डिवीजन में वाणिज्यिक लिपिकों के 27 पद उन्हीं सिफारिशों के आधार पर छोड़े गये थे ;

(ग) क्या अध्ययन दल ने वाणिज्यिक विभाग के अन्य श्रेणियों के वर्तमान पदों की भी जांच की थी तथा पदों में कोई कमी करने की सिफारिश की थी ; और

(घ) क्या अध्ययन दल की सिफारिशों के प्रतिकूल वाणिज्यिक लिपिकों के पदों में कमी की गई थी ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां। उन वाणिज्यिक कर्मचारियों के समबन्ध में जिन पर मापदण्ड लागू होता है।

(ख) जी, हां। फालतू घोषित किये गये 27 पदों में से वाणिज्य क्लर्कों के 23 पद अभ्यर्पित किये जा चुके हैं। शेष चार पद मदुरै ईस्ट, एडवा, चिरयिनकीष और कणियापुरम स्टेशनों के वर्तमान कर्मचारियों का "सतत वर्ग से" अनिवार्यतः विरामी वर्ग में पुनवर्गीकरण पूरा हो जाने के बाद अभ्यर्पित कर दिये जायेंगे।

(ग) जी हां। टिकट क्लेक्टरों और वाणिज्यिक भारिकों के सम्बन्ध में।

(घ) जी, नहीं।

मद्रास नगर में बकिंघम कैनाल के ऊपर ट्यूबट्रेन और फ्लाई रोड बनाये जाने का प्रस्ताव

1620. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बकिंघम कैनाल पर एक ट्यूब ट्रेन और फ्लाई रोड बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिससे मद्रास नगर की यातायात सम्बन्धी रुकावट को कम किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Non-payment of House Rent Allowance to Class III and IV employees at Izatnagar (North Eastern Railway)

1621. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Class III and Class IV Railway employees at Izatnagar (Bareilly), North Eastern Railway are not paid House Rent Allowance, where as the same is being given to the employees of the same Railway working at other places ; and

(b) if so, the reasons therefor.

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes ; the Class III and Class IV employees at Izatnagar, North Eastern Railway, are not paid House Rent Allowance.

(b) The grant of House Rent Allowance to Railway servants is, *inter alia*, regulated as under :

Railway servants working within a distance of 8 kms from the periphery of the Municipal limits of a qualified city are eligible for the grant of House Rent Allowance at the rates admissible in that city even though they may not be residing within the Municipal limits of a qualified city subject to the condition that :

(a) there is no other suburban Municipality, notified area or cantonment within the 8 kms limit ; and

(b) it is certified by the Collector/Deputy Commissioner having jurisdiction over the area that the place is generally dependent for its essential supplies, e.g. foodgrains, milk, vegetables, fuel etc. on the qualified city.

The conditions at (a) and (b) above are to be satisfied collectively.

The Railway staff stationed at Izatnagar are not eligible for the grant of House Rent Allowance for the following reasons :

(i) Izatnagar by itself is not a classified city.

(ii) Though Izatnagar is within 8 kms from Bareilly, which is a classified city, there is a Railway settlement Notified Area and a Cantonment Board within 8 kms limit.

Non-Payment of dues to Railway employees at Izatnagar for the period of suspension (North Eastern Railway)

1622. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway employees at Izatnagar (Bareilly), North Eastern Railway, who took part in the strike of 19th September, 1968 have not been paid their wages for the period of suspension, where as the same has already been paid to the employees working at other places ;

(b) whether any representation has been received from the said employees in this regard ; and

(c) if so, the action being taken by Government thereon ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

त्रिपुरा सरकार द्वारा बाढ़ से सुरक्षा के लिए किए गए उपाय

1623. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा के सुकसागर और रूरासागर जिला में फसलों की सुरक्षा के लिए बाढ़ से सुरक्षा सम्बन्धी कुछ उपायों का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन ने यह सूचित किया है कि फसल के बचाव के लिए 5.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 1969-70 वर्ष के दौरान सुकसागर जल निकासी स्कीम पूरी हो गई थी। रूद्रसागर गर्त में गुमटी के अप्रवाही जल (वैकवाटर) के प्रवेश को रोकने की बाढ़ सुरक्षा स्कीम, जिस पर 10 लाख रुपये की लागत का अनुमान है, कार्यान्वित की जा रही है और आशा है, कि यह चालू वर्ष में पूरी हो जाएगी।

बूढ़ी नदी त्रिपुरा के पानी का गरीड़ा के माध्यम से निकास

1624. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिसात गढ़, त्रिपुरा में बूढ़ी नदी के पानी का गरीड़ा के माध्यम से निकास करने की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक पूरा किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन ने यह सूचित किया है कि उसने बूढ़ी नदी के जल की निकासी के लिए 1.44 लाख रुपये की लागत की स्कीम को कार्यान्वियन के लिए अपने हाथ में लिया है। कार्यक्रम के अनुसार यह स्कीम मार्च, 1971 तक पूरी हो जानी थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण इसका काम रुका पड़ा है।

त्रिपुरा में एक माचिस कारखाने का बन्द किया जाना

1625. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा का एक माचिस का कारखाना बन्द हो गया है जिस से उसके सारे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उसे फिर से चालू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जायेगी।

कटपडी से तिरूपति और कटपडी से गुंटाकल तक बड़ी लाइन का निर्माण

1626. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर कटपडी से तिरूपति तक और कटप से गुंटाकल तक वर्तमान मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) धन के अभाव में तथा यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इस प्रकार का सर्वेक्षण करने का विचार नहीं है।

सदस्यों की सूची के प्रकाशन के बारे में
RE. PUBLICATION OF LIST OF MEMBERS

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सदस्यों तथा मंत्रियों के आवासीय पतों एवं टेलीफोन नम्बरों की सूची अभी तक छापी नहीं गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप संसद कार्य मंत्री को निदेश दें कि कम से कम हमें साइक्लोस्टाइल की हुई एक प्रति शीघ्र दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह सूची अभी तक छप रही है और एक या दो दिन के भीतर आ जाएगी।

माननीय सदस्यों से कुछ विवरण मांगे गये हैं परन्तु, अनेक माननीय सदस्यों ने अपने जीवन वृत्त नहीं भेजे हैं। अतः आप समस्त सदस्यों से कहें कि वे अपने जीवन वृत्त भेज दें जिससे आपको सदस्य परिचय पुस्तक भी इस सत्र में दी जा सके।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

वर्ष 1939 के भारत-ब्रिटिश व्यापार करार को समाप्त करने का ब्रिटिश सरकार का कथित निर्णय

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : श्रीमान्, मैं विदेश व्यापार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"1 जनवरी, 1972 से 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के ब्रिटिश सरकार के आग्रह के उपरान्त वर्ष 1939 के भारत-ब्रिटिश व्यापार करार को समाप्त करने के ब्रिटिश सरकार का कथित निर्णय।"

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : अप्रैल, 1971 में भारत सरकार ने कहा था कि 1 जनवरी, 1972 से राष्ट्र मंडल अधिमान क्षेत्र से, जिसमें भारत भी शामिल है, सूती वस्त्र के आयात पर 15% शुल्क लगाने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को भारत के दृष्टिकोण के विषय में समझाने के लिए भारत सरकार यथासंभव सब कुछ कार्यवाही करेगी। जैसा कि सभा को ज्ञात है, ब्रिटिश सरकार ने यह प्रार्थना की थी कि उन्हें 1939 के भारत-ब्रिटिश व्यापार करार के अंतर्गत वस्त्र के विषय में उनके दायित्वों से मुक्त करके छूट दे दी जाए।

भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 5 मई, 1971 से आधिकारिक स्तर पर तथा मंत्रिस्तर पर लन्दन में वार्ताएं हुईं।

मंत्रस्तरीय वार्ता के दौरान मैंने ब्रिटिश प्रस्ताव पर भारत के विरोध को पुनः प्रगट किया, मैंने जोर देकर उन्हें यह कहा कि यह प्रस्ताव विभेदपूर्ण, असमान तथा एकपक्षीय है और इसे उलट देना आवश्यक है। यह प्रस्ताव भारत जैसे विकासशील देशों के प्रति ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से भी असंगत है। मैंने विस्तार से यह बात स्पष्ट की कि इस प्रस्तावित कार्यवाही से ब्रिटेन को होने वाले भारतीय सूती वस्त्र के निर्यात पर कितने गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे और ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को प्रत्याशित संरक्षण भी प्राप्त नहीं होगा।

1939 के भारतीय ब्रिटिश व्यापार करार को रद्द करने के ब्रिटिश सरकार के कथित विनिश्चय के विषय में भारत सरकार को जानकारी नहीं है ।

जब ब्रिटिश सरकार का उत्तर प्राप्त होगा तब आगे और समुचित कार्यवाही करने की दृष्टि से भारत सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री पीलू मोडी : 1948 में भारत ने एक करोड़ गज सूती कपड़े का निर्यात किया था और विश्व भर में भारत सूती कपड़े का सबसे बड़ा निर्यातक था । जापान ने हमें दूसरे दर्जे पर डाल दिया और आज हम चौथे स्थान पर हैं और शीघ्र ही हम 10वें स्थान पर पहुंच जायेंगे । हमने ब्रिटिश सरकार के साथ कोटा-प्रणाली का विकास किया था और इसके आधार पर ब्रिटेन ने बिना कोई शुल्क लगाये 20.1 करोड़ गज सूती कपड़ा स्वीकार किया था। परन्तु हम प्रति वर्ष लगभग 15 करोड़ गज से 16 करोड़ गज कपड़े का ही निर्यात कर सके हैं और गत वर्ष तो 6 करोड़ गज से भी कम ही निर्यात कर सके हैं ।

हमारे देश की यह दयनीय स्थिति ऊंची लागत की अर्थ व्यवस्था के कारण हुई है । 1964 से देश में कपास का उत्पादन स्थिर रहा है जो लगभग 56 से 58 लाख गांठ प्रति वर्ष है । इस उद्योग का आधुनिकीकरण इसलिए नहीं होता कि इसमें लाभ कम होता है जो लगी पूंजी पर लगभग एक से पांच प्रतिशत के बीच रहता है । निर्यात करने वाली मिलों का आधुनिकीकरण करने हेतु नवम्बर 1970 में मशीन निर्माताओं की सहायतार्थ मशीनें उपलब्ध कराने के लिये एक योजना तैयार की गई थी, परन्तु 6 महीने बीतने के पश्चात्-भी सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है । सरकार ने यह कह कर हमें धोखा दिया है कि सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए चौथी योजना में 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । परन्तु इस उद्देश्य के लिए अभी तक धन की व्यवस्था नहीं की गई है ।

मधुबनी शाह समिति ने 1969 में कुछ सिफारिशें की थीं परन्तु भारत सरकार ने उन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है । राष्ट्रमण्डलीय अधिमान सम्बन्धी 1939 के करार से हमें शुल्क मुक्त निर्यात करने की अनुमति प्राप्त थी जिसके एवज में हमें विश्व के शेष स्पर्धियों के ऊपर भारत के लिए ब्रिटिश आयातों पर 10 प्रतिशत की छूट देनी पड़ती है । विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों के बीच व्यापार तथा टैरिफ सम्बन्धी सामान्य समझौते के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि विकासशील देशों पर अधिक भार नहीं डाला जाना चाहिए । ब्रिटिश सरकार का यह विशेष निश्चय केवल 1939 के व्यापार करार का ही उल्लंघन नहीं करता अपितु, व्यापार तथा टैरिफ के सामान्य करार का भी उल्लंघन करता है ।

ब्रिटेन ने यह सोचा है कि हम उनका इतना अहित नहीं कर सकते जितना कि वे हमारा कर सकते हैं । ब्रिटेन के साथ हमारा व्यापार सन्तुलन भी अलाभप्रद है जिसमें अधिकतर ब्रिटेन द्वारा भारत को निर्यात सहायता शामिल है । अतः यह उनका बड़ा सोच समझकर उठाया गया कदम है और यदि इस समझौते को रद्द भी कर दिया गया तब भी इसका विपरीत प्रभाव ही पड़ेगा, और इसका सीधा प्रभाव चाय, पटसन, तम्बाकू, खली, खालें आदि पर पड़ेगा । हम हमेशा के लिये इस राष्ट्रमण्डल प्राथमिकता का लाभ नहीं उठा सकते । यह सच है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री हैराल्ड मैकमिलन ने सांझा बाजार में शामिल होने की हमें चेतावनी दी थी, और ये राष्ट्रमण्डल अधिमान

उनके सांझा बाजार में शामिल होने में कठिनाई उत्पन्न करेंगे और इसलिए राष्ट्रमण्डलीय देशों को इसे सरल बनाने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए जिसके लिये उन्होंनें यह सिफारिश की थी कि हमें अपने निर्यातों पर आयात शुल्कों में की जाने वाली वृद्धि को धीरे धीरे स्वीकार करना आरम्भ कर देना चाहिए। इन सब बातों के होने पर भी ऐसा लगता है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है।

सरकार को भारतीय सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण, कपास उत्पादन में वृद्धि और इस देश में कम लागत की अर्थव्यवस्था लाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा सूती कपड़े पर शुल्क लगाने की मांग के कारण सरकार सम्पूर्ण वस्तुओं के करार को ही नष्ट करना चाहती है। ब्रिटिश सरकार हमसे अनुरोध करती रहती है कि 25 प्रतिशत निर्यात यहां लाने के बजाए अन्य यूरोपीय देशों में फैलाना चाहिए। परन्तु हमारी सरकार इस सुअवसर पर भी देश को स्वावलम्बी बनाने हेतु कुछ भी नहीं करना चाहती। अतः मंत्री महोदय आधुनिकीकरण, कपास उत्पादन और अधिक लागत वाली अर्थव्यवस्था के बारे में उत्तर दें।

श्री एल० एन० मिश्र : किसी मंत्री अथवा वरिष्ठ अधिकारियों ने यह समस्या नहीं उठाई है कि हमारे उत्पादन मंहगे हैं। उन्होंने इस व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने को नहीं कहा है। यह तो हमारी आन्तरिक समस्या है। यहां प्रश्न तो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक तरफा निर्णय लेने का है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। यह समस्या केवल हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ही नहीं अपितु, अनेक विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल रही है।

कहा गया है कि हम अन्य वस्तुओं के व्यापार को भी नष्ट कर रहे हैं, परन्तु ऐसी बात नहीं है, इस समय यह मामला केवल सूती कपड़े तक ही सीमित है। हम, ब्रिटेन को किए गये सूती कपड़े के निर्यात से औसतन 21 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाते हैं। अतः ब्रिटेन के एकपक्षीय निर्णय का हम विरोध कर रहे हैं। हमने यूरोपीय आर्थिक समुदाय मंत्री श्री टाहन डोर्फ से बातचीत की थी। और उनसे कहा था कि वे ब्रिटेन को भारत के प्रति अपने दायित्व का ध्यान दिलायें। 1969 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये प्रस्ताव से हम संतुष्ट नहीं हैं, परन्तु इसका पालन यह सरकार भी कर रही है। अतः इस समस्या पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

जहां तक आधुनिकीकरण का सम्बन्ध है मुझे बताया गया है कि कुछ मामलों में मशीनरियों के आदेश दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग निगम के अन्तर्गत आने वाली कुछ मिलों को छोड़ कर सूती कपड़ा उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है। मशीनरियों का आधुनिकीकरण करने और इसके लिए धन की व्यवस्था करना इस क्षेत्र की जिम्मेदारी है, मुझे बताया गया है कि कुछ मिलों की मशीनों के आधुनिकीकरण का आदेश दे दिया गया है। ब्रिटिश सूती कपड़ा मिलों की स्थिति का तो ज्ञान होगा ही, ये मिले हमारे मिलों से भी दयनीय स्थिति में हैं। उनकी उत्पादन लागत हमारे मिलों की उत्पादन लागत से भी अधिक है।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Sir, in the event of Indo British Trade Agreement 1939 having been scrapped, Indian textile industry would be adversely affected. Britain, South Korea and Taiwan will gain with the British Government's move to impose 15 per cent import duty on Indian textile, but the other Commonwealth countries will remain deprived of that gain. As the hon. Minister has himself admitted that in such a position the conditions for India remaining in the Commonwealth are not favourable. In such a position will India break its ties with Commonwealth ? Secondly can Government take retaliatory action against British Industries and Capital invested here in India ?

Inspite of high level discussions in the Commonwealth conference in Singapore, the British Government is not inclined to repulse its decision of imposing 15 per cent import duty on Indian Cotton textile. In this position, what action Government is going to take against the British move so that there is no adverse effect on Indian textile industry and on the other hand British Government is forced to change its policy in this regard ?

The hon. Minister has also stated regarding procurement of machinery. What is the number of machines, separately ordered by Government, private firms, and Societies and whether there would be any retrenchment of labourers as a result of machinery being imported in India ?

Shri L. N. Mishra : It is unfortunate that as a result of levy of 15 percent import duty on Indian textile, Indian textile industry would definitely be affected adversely. But British Industry too will not be gained, because they shall have to purchase goods from other countries. We have written to the British Government impressing upon them the gravity of their decision and its serious outcome. I fully appreciate the feelings of the hon. member and we have already made these points clear to the British Government. We have impressed upon them to reconsider their policy and change their decision.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : ब्रिटिश सरकार ने 1939 के भारत-ब्रिटिश व्यापार करार की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण धारा का जान बूझ कर उल्लंघन किया है। ब्रिटेन हमारे देश की प्रगति को कदम-कदम पर रोकना चाहता है और अन्य देशों की दृष्टि में हमारा अपमान करने का प्रयास कर रहा है।

जहां तक सूती कपड़े के निर्यात का सम्बन्ध है, आज दक्षिण-पूर्व एशिया के विश्व बाजार चीन और जापान के हाथों में हैं और यदि ब्रिटिश सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो भारत को बहुत गम्भीर संकट का सामना करना पड़ेगा। अतः हमें और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये और ब्रिटेन को चेतावनी देनी चाहिए। ब्रिटेन के जो उद्योग धन्धे हमारे देश में हैं उनको अपने कब्जे में करना चाहिए अथवा किसी और प्रकार की जवाबी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि उनके होश ठिकाने आयें। क्योंकि हमारे देश में सबसे अधिक विदेशी स्वार्थ ब्रिटेन का ही है।

श्री एल० एन० मिश्र : हमें इस समस्या का बड़ी शान्ति और दृढ़ता से सामना करना होगा। जहां तक जवाबी कार्यवाही का सम्बन्ध है, इस विषय पर चर्चा करना इस समय उचित नहीं है। हम अपने व्यापार का विविधीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और सूती कपड़े के व्यापार को हम अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, रूस, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, सूडान आदि जैसे और अन्य अनेक देशों में फैलाने और अपने निर्यातों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि हमारे निर्यात व्यापार में कमी न आने पाये। ब्रिटेन को कुल 21 करोड़ रुपये का निर्यात होता है। यदि ब्रिटेन ने अपना निर्णय क्रियान्वित किया तो इससे हमारे निर्यात पर अवश्य ही गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। हम ब्रिटेन से केवल यही कह रहे हैं कि वह इस सदन की प्रतिक्रिया को अपनी दृष्टि में रखते हुए अपने निर्णय पर फिर से विचार करे।

कोई देश हमारा अपमान नहीं कर सकता। परन्तु विकासशील देश के रूप में प्रश्न हमारे अधिकार का है। ब्रिटेन एक ओर तो यह दावा करता है कि वह अविकसित देशों को सहायता दे रहा है और इसके साथ ही 1939 से चले आ रहे व्यापार करार को समाप्त करे तो यह उसके लिए उचित नहीं होगा अपितु इस देश की अर्थव्यवस्था और भावना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब ब्रिटेन यह निर्णय करेगा तो हम समस्या की जांच करेंगे।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते क भुगतान तथा अन्य मामलों के बारे में

RE. PAYMENT OF DEARNESS ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES AND OTHER MATTERS

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में है। द्वितीय वेतन आयोग एवं गजेन्द्रगडकर आयोग के वर्तमान सूत्र के अनुसार जीवन स्तर लागत सूचकांक में औसतन 10 अंक की वृद्धि होने से देश के समस्त केन्द्रीय कर्मचारी निर्धारित दर से बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के हकदार बन जायेंगे। रिजर्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जीवन स्तर लागत सूचकांक के आंकड़े 215 से बढ़कर 225 हो गये हैं, अर्थात 10 अंक की वृद्धि हो गई है। इस लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी निर्धारित दर से मंहगाई भत्ते की वृद्धि के हकदार हैं। मैं सरकार से, विशेषकर वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय सदन में कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने सम्बन्धी घोषणा करें।

Shri N. N. Pandey (Gorakhpur) : There was collision between standing 184 Down Parcel train and 32 down train at Gonda as a result of which more than ten persons were killed and several seriously injured. I want that a detailed enquiry should be conducted about this accident and such accidents should be eliminated on this small line. For this a high technical body should be appointed to go into the causes of these accidents so that they may be avoided. I want to draw the attention of the hon. Minister, through you Sir, on these incidents and some time may be fixed for discussing the matter in this House.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Sir, I had written a letter to the hon. Minister for Railways inviting his attention to the strike by Railway Employees of Barauni area commencing from 25th March and had requested him to do something so that strike may be avoided. But the Railway Minister did not listen anything and as a result the strike continued for 33 days which completely disrupted the rail services there. The Railway Minister assured that there would be no victimisation and that the demands of the Railway employees, they would be implemented after taking decision on them. The hon. Labour Minister also made a statement to withdraw the strike. Keeping in view the situation prevailing in Bangla Desh the Railway employees withdrew the strike after 33 days and declared to return to their work. But as hard luck would have if they were not allowed to go to their work ; but the trains started running. Instead about 60 employees have been suspended. Notices have been issued for break in services in more than 3000 Cases. Hundreds of them have been arrested and several are being prosecuted. The employees are stated to have been threatened by the Chairman of Railway Board and other officers to go on strike again.

The Government should implement the assurances given by the Railway Minister and Labour Minister in this regard because some vested interests are instigating the employees to go on strike again. Government should stop such intimidations and normalcy should be restored.

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री तुलमोहन राम, संसद सदस्य की बिहार में गिरफ्तारी

श्री तुलमोहन राम (अरारिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"श्री तुलमोहन राम, संसद सदस्य, की 28 नवम्बर, 1969 को महिषी (बिहार) के तत्कालीन पुलिस उप-निरीक्षक, श्री चन्द्रिका प्रसाद द्वारा की गई कथित गिरफ्तारी और चौथी लोक सभा के अध्यक्ष को उसकी सूचना न दिये जाने के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न इस लोक सभा की विशेषाधिकार समिति को पुनः सौंपा जाये।"

Mr. Speaker : Due to the dissolutions of the Fourth Lok Sabha it has become necessary to bring this motion formally before the Fifth Lok Sabha.

Shri B. P. Maurya (Hapur) : I feel that a rule should be framed that whatever be the conditions, the matter of breach of privilege should stand. We should not follow the British traditions.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले पर बार-बार ध्यान दिया है। विशेषाधिकार समिति इस पर विचार करेगी। प्रश्न यह है कि :

"श्री तुलमोहन राम, संसद् सदस्य, की 28 नवम्बर, 1969 को महिषी (बिहार) के तत्कालीन पुलिस उप-निरीक्षक, श्री चन्द्रिका प्रसाद द्वारा की गई कथित गिरफ्तारी और चौथी लोक सभा के अध्यक्ष को उसकी सूचना न दिये जाने के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न इस लोक सभा की विशेषाधिकार समिति को पुनः सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1971-72 के बजट अनुमान

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं, दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1971-72 के बजट अनुमानों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[सभा पटल पर रखे गये। देखिए एल० टी० संख्या 337/71]**

सामान्य बजट—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION (Contd.)

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : राष्ट्रीय बजट के साथ बैंक दर, ऋण नियंत्रण, उत्पादन तथा वितरण, मूल्यों के ढांचे, धन लगाने की पद्धति तथा विदेशी व्यापार का घनिष्ठ सम्बन्ध है। बजट में इन सभी का महत्व है केवल कर प्रस्तावों तक इसे सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।

वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट इस अर्थ में समाजवादी बजट है कि यह संक्रमण काल में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था से समाजवादी अर्थ व्यवस्था लाने के लिये कार्य करता है।

राष्ट्रीय आर्थिक विकास एवं बजट में थोड़ा ही अन्तर है । इस स्थिति में बजट का समाजवादी कार्य ऐसी शक्तियां और साधन पैदा करना है, जो अधिक से अधिक तकनीकी आधार बनाएं, जिस पर एक समाजवादी समाज का निर्माण किया जा सके । इस बजट में सामाजिक वातावरण की शर्तों को ईमानदारी के साथ पूरा किया गया है । इसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभों के समेकित करने तथा देश में बचत को बढ़ावा देने के लिए अन्य वित्तीय संस्थाओं के एकीकरण और केन्द्रीयकरण में सहायता मिलेगी ।

बजट में केन्द्र-राज्यों के वित्तीय संसाधनों का एकीकरण करने में एक बड़े कदम का उल्लेख है । गत अनेक वर्षों में केन्द्र-राज्य वित्तीय संसाधन उत्तेजना का विषय बन रहे हैं । इस बजट से स्पष्ट है कि राज्य वित्तीय दृष्टि से केन्द्र पर अधिक निर्भर नहीं है ।

वसूल किये जाने वाले कर-राजस्वों में राज्यों के भाग में इस बजट में काफी अधिक वृद्धि हुई है । 2552 करोड़ रुपये की कुल वसूली में से 892 करोड़ रुपये से अधिक की राशि राज्यों को जायेगी । इस प्रकार योजना परिव्यय और ऋणों तथा अग्रिम धन के रूप में दी जाने वाली अन्य सहायता में वृद्धि की गई है । इन बातों के अलावा भी राज्य-सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से अधिक राशि निकालने की प्रवृति बढ़ती जा रही है और केन्द्रीय सरकार इन राशियों के लिये गारंटी दे रही है । इस तरह से केन्द्रीय सरकार देश के वित्तीय संसाधनों का एकीकरण करने का प्रयत्न कर रही है ।

इस बजट का दूसरा समाजवादी कार्य है, निजी आयकर में संशोधन । 15000 रु० वार्षिक आय वालों पर आयकर बढ़ाया गया है । दो लाख रुपये के आयस्तर पर आयकर और सरचार्ज 97.75 प्रतिशत कर दिया गया है । 500 रुपए प्रति मास पाने वाले व्यक्तियों को आयकर में कुछ राहत दी गई है । 220 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था से सरकार को ऐसी उम्मीद है कि कीमतों पर नियंयत्र रखा जा सकेगा । सामाजिक सेवाओं के लिये 553 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

यह सच है कि प्रति रक्षा पर व्यय बढ़ा है । परन्तु अन्य देशों द्वारा प्रतिरक्षा पर किये जा रहे व्यय की तुलना में काफी कम है ।

औद्योगिक और आर्थिक विकास को रोजगार प्रधान बनाने के लिये पूंजी निवेश प्रणाली में परिवर्तन करने का बजट में प्रयास किया गया है । ग्रामों में बेरोजगारी दूर करने के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । शिक्षित बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के लिये 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । अधिक रोजगारों की व्यवस्था करने के लिये लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये 102 करोड़ रुपए तथा रेलवे के लिये 151 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । पेट्रोल पर शुल्क घटाया जाना चाहिए तथा मैदे पर शुल्क वापस लिया जाना चाहिए । छोटे साबुन उद्योगों को वर्तमान उत्पादन शुल्क से छूट दी जानी चाहिए ।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरिया गंज) : यह बात ठीक नहीं है की केवल बजट में बताई गई नीति से ही एक नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कायम की जा सकेगी । केवल समाजवादी मार्ग द्वारा ही गरीबी हटाओ कार्यक्रम पूरा किया जा सकता है ।

पहली बात तो यह है कि हम सब इस बात पर सहमत हैं कि अन्ततोगत्वा हमारा उद्देश्य सभी उत्पादन के साधनों एवं वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करना है ।

समूचे शासन की सेवा प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन किया जाना चाहिए। यदि हम समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो हमें नई परिस्थिति में धीमे चलने की धारणा बदल कर प्रतिबद्ध लोगों की एक ऐसी नई सेना तैयार करनी चाहिए, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शहरी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का यह कार्य आरम्भ करेगी। सरकार के कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने के लिये वचनबद्ध स्वयं सेवकों, कार्यकर्ताओं पर आधारित एक राजनीतिक दल बनाना होगा।

(इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)

The Lok Sabha re-assembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री के० डी० मालवीय : मैं समझता हूं कि सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों में धीरे धीरे कार्य करने के स्थान पर तुरन्त गरीबी हटाओ कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिए।

सरकारी क्षेत्र की अकुशलता और गैर सरकारी क्षेत्र की अकुशलता के बारे में जो विवाद हैं उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

अब समूचे शासन की सेवा प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए। यदि समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो सभी प्रतिबद्ध लोगों की एक सेना तैयार करनी चाहिए, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं शहरी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का यह कार्य आरम्भ कर सके। उत्तर प्रदेश में 1937 में ऐसा ग्राम विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। अब हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिये वचनबद्ध हैं। हम सुयोग्य नेतृत्व में अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

औद्योगीकरण के समूचे कार्यक्रम को भी हमारी अर्थ-व्यवस्था की पृष्ठभूमि में देखना होगा। इस समय कृषि के लिये महत्वपूर्ण खाद-बीज आदि का न तो वितरण सरकारी क्षेत्र में है और न ही उसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में है। जब तक उत्पादन और वितरण की ऐसी व्यवस्था नहीं की जायेगी जिसका सीधा लाभ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास को मिले, तब तक कृषि और विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के ढांचे में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। निःसंदेह हरित क्रांति हुई है। किन्तु यह समाप्त हो सकती है। क्योंकि इसकी नींव गहरी नहीं है। सामंतवादी शोषण अभी भी जारी है और भूमि सुधार का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

दियासलाई उद्योग, कीट-नाशी उद्योग और मुर्गी पालन आदि छोटे उद्योग उन लोगों के हाथों में हैं जिन पर एकाधिकारियों का नियंत्रण है। उदाहरणार्थ कीटनाशी उद्योगों में कुछ ऐसे उद्यमी हैं जिन पर टाटा और आई० सी० आई० के लोगों का नियंत्रण है और उनके साथ कोई भी व्यक्ति

प्रतियोगिता नहीं कर सकता । वे सारा स्टाक खरीद लेते हैं और उन्हें सरकारी अधिकरणों सरकारी संस्थाओं आदि को बेच देते हैं । इस प्रकार समस्त वितरण पर कुछ ही लोगों का अधिकार हो जाता है । कच्चे माल के सम्भरण की समूची प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए ।

मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाये गये हैं । परन्तु मैं नहीं समझता कि इस बजट के द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा । उन वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ गये हैं जिन पर बजट में कर नहीं लगाये गये हैं । मूल्य ढांचे को उचित सीमा के अन्दर रखने के लिये, जैसी कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सम्भव है, यह आवश्यक है कि वर्तमान कार्य-प्रणाली में परिवर्तन किये जायें और वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण हो ।

मैं वित्त मंत्री से मैदे आदि पर कर में छूट देने पर विचार करने को कहूंगा ।

प्रोफेसरों को 20 प्रतिशत मात्रा-शुल्क से छूट दी हुई है । इस छूट में श्रमिक और मजदूर लोग भी शामिल किये जायें । ऐसा करने से राजस्व में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा ।

जब तक हम सरकार क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में परिवर्तन नहीं करते, जब तक इनको एक नई दिशा नहीं देते और जब तक सभी उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में नहीं लाते, तब तक राजस्व में वृद्धि नहीं होगी ।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं उन लोगों में से एक हूं जो यह समझते हैं कि यह बजट उन वायदों को पूरा करता है, जो हमने चुनाव के दौरान लोगों को दिये थे, वित्त मंत्री महोदय ने न केवल घाटे के बजट को 397 करोड़ रुपये से 220 करोड़ रुपये कर दिया है बल्कि अमीरी और गरीबी के अन्तर को घटाने का भी प्रयत्न किया है । बजट द्वारा समाज के सम्पन्न वर्ग को तो धक्का लगा है लेकिन मध्य तथा निम्नवर्ग पर कोई आंच नहीं आई । इन्होंने सचमुच समाजवादी समाज के लिये एक पक्की बुनियाद तैयार की है । बजट पर बोलने वाले विरोधी दलों के सदस्यों के विचार भी मैंने सुने । इनकी अधिकांश आलोचना राजनैतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी ।

श्री चह्वाण ने नये करों को लेकर सचमुच एक सख्त बजट पेश किया है जो चुनाव वायदों को पूरा करने, रोजगार के अवसर प्रदान करने, आय की विषमता को दूर करने तथा पश्चिमी बंगाल तथा बंगला देश की स्थिति का सामना करने के लिये एक तरह से जरूरी भी था ।

अधिक आय तथा सम्पत्ति पर अधिक कर, बढ़िया तथा ऐश्वर्यमयी वस्तुओं पर अधिक कर आदि कर प्रस्ताव लाकर वित्त मंत्री महोदय ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे आर्थिक विषमता को दूर करना चाहते हैं ।

विपक्ष के नेता कहते हैं कि यह बजट अमीर लोगों के हित में है । लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बजट जन आकांक्षाओं को मुखरित करता है । बजट का विरोध-तो केवल उन्हीं क्षेत्रों से हो रहा है जिन्हें बजट से धक्का पहुंचा है ।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन करों द्वारा कीमतों के स्तर में अन्तर आयेगा । पेट्रोल, साबुन, खुदरा कपड़े, सिगरेट की मूल्य वृद्धि का निम्न मध्य वर्ग पर उलटा प्रभाव

पड़ेगा लेकिन आर्थिक विकास के लिये ऐसा करना जरूरी था। मुझे आशा है कि मूल्य वृद्धि रोकने तथा मुद्रा स्फीति नियंत्रित करने के लिये वित्त मन्त्री महोदय उचित कदम उठायेंगे।

विकास कार्यों के लिये राशि का नियतन करना ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि इस राशि का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष बच्चों के आहार कार्यक्रम के लिये 4 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी थी जिसमें से केवल 1.4 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया। पूरी राशि का उपयोग न करने का क्या औचित्य है ?

मेरे विचार में वित्त मन्त्रालय को अपनी बजट सम्बन्धी प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाना चाहिये। जब किसी मन्त्रालय के बजट को स्वीकृत किया जाता है तो वित्त मंत्रालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ताकि योजना विशेष को कार्यान्वित न करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित मंत्रालय पर ठहरायी जा सके।

किसी योजना को समय पर कार्यान्वित न करने का कारण सचिव, अवर सचिव तथा अन्तर्मन्त्रालय बैठकें ही होती हैं। वित्त मन्त्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

प्रशासन सम्बन्धी व्यय बढ़ता जा रहा है जो पिछले 10 वर्षों में 300 प्रतिशत बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन का व्यय इसी अवधि-में 11 करोड़ से बढ़ कर 174 करोड़ हो गया है।

मेरा सुझाव है कि नये कर लगाते समय हमें प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन लाने पर भी विचार करना चाहिये। अब तक भी इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद की झलक दिखती है जो एक समाजवादी देश के हित में नहीं है। मैं जानता हूं कि दुनिया के कुछ विकसित देशों में भी ऐसे सचिवालय नहीं हैं जैसे हमारे देश में है। लेकिन ऐसे देशों की सरकारें भी अच्छी चल रही हैं। यदि आप समाज का सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक है। हमारा प्रशासनिक ढांचा धीरे धीरे चलता है जिसके फलस्वरूप कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में विलम्ब पड़ता है।

कल मेरे राज्य के मुख्य मन्त्री ने केरल के संसद सदस्यों की बैठक बुलाई थी जिसमें निम्नलिखित सुझाव रखे गये :—

(1) कोचीन हवाई अड्डे पर बोईंग विमान सेवा लागू की जाये ;

(2) त्रिवेन्द्रम-एरणाकुलम छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित किया जाये ;

(3) आल्वे से इडे-कोचीन के बीच सड़क निर्माण की स्वीकृति देने के लिये हम सरकार का धन्यवाद करते हैं।

(4) पश्चिमी तटवर्ती सड़क को राष्ट्रीय राजपथ बनाया जावे ;

(5) कोचीन-मंदुरै सड़क को राष्ट्रीय राजपथ बनाया जाये ;

(6) नीदाकरा बन्दरगाह में मत्स्य बन्दरगाह बनाने का काम शुरू किया जाये।

(7) स्वतंत्रता सैनानियों को पैंशन दी जाये।

मैं इस बजट को पेश करने के लिये वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं वित्त मन्त्री महोदय की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह बजट समाजवादी है ; मैं इसे पूंजीवादी बजट मानता हूं । बजट पेश होने से पहले देश भर में यह आशा जागी थी कि हमारी आर्थिक दशा में काफी परिवर्तन होंगे । वित्त मन्त्री महोदय ने कर-विस्तार के मोह में मैदे, खुदरा कपड़े आदि आदि पर कर लगा कर सर्वसाधारण तथा किसान तक को भी नहीं छोड़ा । बजट में ऐसी कोई भी बात नहीं जो गरीब के लिये हितकारी हो, कीमतों की वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिये इसमें कोई भी संकेत नजर नहीं आते ।

वित्त मन्त्री महोदय ने क्षेत्रीय असमानता की बात की है । अब तक हमारे राज्यों को गरीब राज्यों की अपेक्षा केन्द्र से अधिक आर्थिक सहायता मिलती आ रही है जिसके फलस्वरूप हमारे केरल राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही गयी । केरल में अब तक भी कोई बड़ा उद्योग नहीं है । मैं इस बात को समझता हूं कि स्थानीय अथवा राज्य सरकार का दृष्टिकोण क्षेत्रीय रहा है लेकिन ऐसे ही दृष्टिकोण वाली बात श्री चौधरी सरीखे केन्द्रीय मंत्री करें तो यह सचमुच एक आश्चर्य की बात है । श्री चौधरी ने 18 मई को एक भाषण द्वारा घोषणा की थी कि हैवी एलेकट्रिकल्स की 500 रुपये तक की सभी नौकरियां मध्य प्रदेश के अन्दर से ही भरी जायेंगी । ऐसी बातों से एक दूसरे राज्य के बीच कितनी कठिनाइयां पैदा होती हैं ।

हम देश के लिये 14 प्रतिशत विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं लेकिन इसके बदले हमारे लोगों के लिये काफी कठिनाइयां पैदा की जाती हैं । हम अन्य राज्यों के विकास के लिये विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहे हैं लेकिन जब हम नौकरी करने के लिये उन राज्यों में जाते हैं तो हमें वहां से बाहर निकाला जाता है ।

केरल सरकार के उद्योग स्थापना सम्बन्धी दो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास पड़े हैं । इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही हुई, इसकी अभी कोई भी जानकारी नहीं मिली । भाषा के लिये 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें से 12 करोड़ रुपये हिन्दी के लिये रखे गये हैं । हिन्दी की ओर इतना अधिक ध्यान देने से भाषायी विवाद फैल सकता है ।

Shri Chandu Lal Chandrakar (Durg) : Finance Minister Shri Chavan is the only Finance Minister who hials from village. People living in more than 5 lac villages of the country had high hopes about the amelioration of their plight before this budget was introduced. Rapid economic growth, employment opportunities and stabilisation of price line were the main issues which gave rise to such hopes. Some efforts were no doubt made in this direction because all the direct taxes were levied on the rich and urban properties. It is no doubt a step towards removing economic disparity. Efforts were no doubt also made to bridge up the gap between rich and the poor but this budget could not fulfil all what the people had hoped before the budget was introduced. The Government has to incur heavy expenditure on account of defence, development and on Bangla Desh Desh refugees with the result that it had to resort to indirect taxation worth 150 crores. Indirect taxation will increase the burden of the people due to rise in prices. Nothing has been done towards the removal of unemployment and stabilising the price line. Rise in prices is the net result of indirect taxes every year. The Government should impose as minimum indirect taxes as possible. Instead of resorting to indirect taxes, Government should raise additional resources of income to make up its financial defiicit. Extravagance of the Government is also one of the factor which is adding to our difficulties. Provision worth crores for installing televisions, buying cars for ministries, installing air-conditioners and purchasing furniture has been made when some 70, 80 thousand villages in the country are not getting the facilities of drinking water. The budget does not indicate the exact expenditure on such luxury items.

Expenditure of administration is increasing day by day. Income from direct taxes, it appears, is being spent on administration. Only 2 or 3 per cent of this income should be spent on administration and the rest on development. The Government should also invest in the public sector enterprises for the Production of consumer goods.

I suggest that the budget should be prepared in the months of October or November so that the funds could be utilised during the period from November to June for development works in rural areas. Secondly no indirect taxes should be levied upto four or five years. There is also unnecessary expenditure on social welfare Boards which are manned by the few sophisticated women of the urban areas. These boards are of no use to the rural areas.... **(Interruptions)**

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : I have not heard, kindly repeat it.... **(Interruptions)**

Shri Chandu Lal Chandrakar : I said that the funds are being misutilised in the central social welfare boards which are manned by few women of the urban areas.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उन्होंने 'साफिस्टिकेटेड' कहा था,जो प्रासंगिक नहीं था । मैं इसका अर्थ जानना चाहती थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय नहीं है ।

Shri Chandulal Chandrakar : I am in favour of family planning but I know as to how money is being misutilised in the name of family planning.

People from the village think that the budget is thrusted upon them from above. The Planning Commission should allocate the funds proportionately among thc 20 thousand panchayats of the country. Government should provide Rs. 500/- to each gram panchayat which will enrich the knowledge of the villagers about various plans and projects.

No attention has also been paid to the regional imbalances of country, in this budget. For example, Madhya Pradesh is not getting its due share of development in the form of railway, dam or projects. All the people of Madhya Pradesh realise this feeling of regional imbalance.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : People have despaired with the proposals of the Budget. No doubt the revenue has increased with this Budget but at the same time expenditure and wages have also increased. The richer section of the society has been taxed but even the common man has also been taxed and the taxation on maida is a burden on the weaker section of the socieiy. Taxes have also been imposed on coarse cloth, petrol and ready made garments which have affected the common man.

In the district of Uttar Pradesh perfumed oil is manufactured through cottage industries and somewhere through small scale industries. Now 10 per cent excise duty has been levied on perfumed oil. It will adversely affect this industry. The Hon. Minister of Finance should look into the proposals of the Budget and try to do justice to this industry. Whenever any programme like nourishment of the children of the poor or any welfare programme is implemented, it is implemented only in the urban areas and no attention is given towards the poor people living in rural areas. We come from U. P. and we know the backwardness of the State. Now the three plans are over but even then per capita annual income in U. P. has not increased.

During the First Plan period average per capita plan outlay in India was Rs. 40.00 and in U. P. it was Rs. 24.00. It was always comparatively below.

Similarly per capita central assistance given to the States was also comparatively below in U. P. And the same case is of the Central projects. During the First and Second Plan period crores of rupees were spent on the Central Project but no assistance was given to U. P. Only in Third Plan period Rs. 72.1 crores out of Rs. 1144.20 crores were spent on central Projects in U. P.

The figures of the surveys made by the National Council of Applied Economic Research and Planning Commission prove that most of the districts in U. P. are backward.

In respect of rural electrification only 13 per cent villages in U. P. have been electrified which is comparatively much below.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : These figures pertain to which year ?

Shri Rajdeo Singh : Upto 31-3-70, U. P. has been and being neglected since 1951. There was proposal of setting up a tractor factory in Banaras district in collaboration with Yugoslavia but the location has been changed and now it is to be set up in the other State.

Therefore, I would like to request the Hon. Minister to try to remove backwardness in U. P. They should provide more and more industrial, rural electrification facilities and sources of irrigation to U. P.

Dr. Govind Das Richhariya (Jhansi) **:** I support the proposals of the Budget regarding direct taxation. We should try to remove regional imbalances.

The amount of Rs. 50 crores allotted for employment opportunities has not been properly distributed. When this amount was distributed, a condition was laid down that this amount should not be given to such areas which comprise of more than ten blocks. In this way, U. P. could not get its share. This inequality should not be exercised in future.

There is drinking-water scarcity in the Bundelkhand and hilly areas of Mirzapur. This problem should be solved and arrangements of drinking-water made.

The Public undertakings are running in loss. The Private Undertakings should be nationalised and whatever arrangements may be there that should be made for Public Undertaking to earn more profit.

The Hon. Minister should adopt the same attitude about the indirect taxation as he has adopted about the direct taxation. He should reconsider the proposals of the Budget regarding maida, soap and ready-made garments.

***श्री दंडपाणि** (धारापुरम) : बजट पर सामान्य चर्चा के बीच में बोलते हुये वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री गणेश ने कहा था कि यह बजट समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनाया हुआ है । इस पहलू पर श्री चह्वाण ने भी प्रकाश डाला था । परन्तु श्री गणेश ने कहा कि समाजवाद एक वर्ष की अवधि में प्राप्त नहीं किया जा सकता है । बजट द्वारा सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित कर सकती है और उन्हें लागू करने के तरीकों को भी निश्चित कर सकती है । यद्यपि समाजवादी समाज के लिए कोई समय निश्चिय नहीं किया जा सकता तथापि जनता में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिये ।

इस बजट से गरीब लोगों को सीधा लाभ क्या होगा ? यदि सरकार कुछ ऐसे लाभ गिना सके तो हम मानने को तैयार हैं कि यह समाजवादी बजट है । मैदा पर भारी कर लगाया गया है । इसमें मैदा पर कर लगाने की ही बात नहीं है वरन् इसके पीछे जो औचित्य है वह विचारणीय है । इस का यह औचित्य है कि मैदा से जो डबल रोटी बनाई जाती है, उसे संपन्न लोग खाते हैं । यह सही है परन्तु साथ ही

*मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित ।

*Translated from English version of the speech delivered in Tamil.

गरीब लोग दिल्ली के बाजारों में फुटपाथ पर बैठ कर भी इसे खाते हैं। अतः इस आधार पर मैदा पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये कि धनी लोगों की तरह गरीब लोग भी डबल रोटी खाकर अपने को गौरवान्वित समझेंगे।

इस बात का भी दावा किया गया है कि मैदा पर लगाये गये कर से 7.4 करोड़ रुपये की आय होगी जिसे शिशु पोषाहार कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये व्यय किया जायेगा। यदि मैदा पर लगाया गया कर हटा दिया जायेगा तो निर्धन शिशु पोषाहार कार्यक्रम से वंचित हो जायेंगे। मैं इस तथा कथित समाजवाद-प्रधान बजट की प्रशंसा नहीं कर सकता जिससे गरीब लोगों पर कुप्रभाव पड़ता है।

इस बजट में निगमित क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमें अफसोस है कि काफी मुनाफा कमाने वाले निगमित क्षेत्र को इस बजट में अछूता छोड़ दिया गया है।

निगमित क्षेत्र के अतिरिक्त बहुत से उच्चतम न्यायालय के वकील और डाक्टर ऐसे हैं जो काफी रुपया कमाते हैं। वे लोग अपनी आय का उचित हिसाब नहीं देते हैं। वित्त मंत्री को उनकी सही आय से कर वसूल करने के उपाय करने चाहियें। साथ ही आय-कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। काले धन की समस्या को सुलझाने के लिये वित्त मंत्री के लिये एक ही उपाय है कि सौ रुपये के नोट और इससे बड़े नोटों का प्रचलन बंद कर दें।

इसके पश्चात् बेरोजगारी की समस्या का प्रश्न है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये 25 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। देश में 7 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अन्तरिम बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें से तमिलनाडु को थोड़ा सा भाग मिला। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार को समूचे देश में औद्योगिक एकक स्थापित करने में राज्यों को सहयोग देना चाहिये। केवल कृषि से ही बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो जायेगी।

इस बजट में 'रक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत 1079 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। रक्षा उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये। क्योंकि सेना में अनुशासन के कारण रक्षा प्रतिष्ठानों में अधिक कार्य-कुशलता से काम होगा और यदि रक्षा उत्पादन एकक खोल दिये जायेंगे तो शिक्षित बेरोजगारी कम हो जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में होने वाले घाटे के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति गठित की जानी चाहिये। राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में प्रशासनिक दोषों के कारण भारी घाटा होता है। अतः यदि प्रशासनिक तंत्र में सुधार किया जायेगा तो राष्ट्रीयकृत एकक लाभ-कमाने वाले एकक हो जायेंगे।

वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं यह माना है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में पूरी गंभीरता से सुधार करें।

खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तो अपने कर्मचारियों की उपलब्धियों में कभी भी और कितनी ही वृद्धि कर देती है परन्तु जब मूल्य बहुत बढ़ जाते हैं तो राज्य सरकारों के पास सिवाय अपने कर्मचारियों की उपलब्धियों में वृद्धि करने के और

कोई विकल्प नहीं रहता है । अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि अत्यावश्यक वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण किया जाये । उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहियें ।

यह कहा गया है कि शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के लिये एक विधेयक राज्यों में परिचालित किया जाना चाहिये । मेरे विचार से वित्त मंत्री को चाहिये कि ऐसे प्रश्नों को वह मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रस्तुत करें और आवश्यक कानून बनाने के लिये शीघ्र कार्यवाही करें।

यद्यपि बजट में कृषि को सर्वोपरि प्राथमिकता दी गयी है, तथापि ट्रैक्टरों पर भारी कर लगाये गये हैं । वित्त मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करें क्योंकि देश में कृषि सम्बन्धी प्रगति ट्रैक्टर का बहुत योगदान है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि मैसूर सरकार कावेरी के जल की सप्लाई इसलिये बन्द करना चाहती है कि इस जल की सप्लाई तमिलनाडु को की जाती है । जल किसी व्यक्ति अथवा राज्य की धरोहर नहीं है यह प्राकृतिक देन है । इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले में राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिये अन्यथा इसके परिणाम गम्भीर निकल सकते हैं । अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम 1956 के अनुसार यह ममाला मध्यस्थ निर्णय के लिए शीघ्र दे दिया जाना चाहिये ।

बेरोजगारी दूर करने के लिए औद्योगिक कारखानों की स्थापना के साथ-साथ गंगा तथा कावेरी को मिलाने की योजना को भी पूरा किया जाना चाहिये । इसे केन्द्रीय योजना समझकर शीघ्रातिशीघ्र कार्यक्रम दिया जाना चाहिये । इससे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । सेथुसमुद्रम परियोजना दीर्घकाल से अनिर्णीत पड़ी है । यदि इसे कार्यरूप दे दिया जाय तो केवल इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे अपितु केन्द्रीय सरकार को अच्छा खासा राजस्व भी प्राप्त हो जायेगा ।

दो अथवा दो से अधिक राज्यों के बीच से बहने वाली नदियों के उपयोग का निश्चय करने के लिये एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये ।

हमारी बहुत दिनों से एक मांग यह रही है कि राज्यों को अधिकाधिक अधिकार दिये जायं । इसके लिये यह सोचना आवश्यक नहीं है कि केन्द्र के हाथ कमजोर हो जायेंगे । इससे केन्द्र के हाथ मजबूत होंगे क्यों कि राज्य सरकारों का कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा । केन्द्रीय सरकार को राज्यों के छोटे-छोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । तंजौर में एक बड़ा मन्दिर है हमने इस मन्दिर की प्रतिमा को किसी दूसरे स्थान पर प्रतिष्ठापित करना चाहा परन्तु केन्द्र ने इस बारे में हस्तक्षेप करके हमें ऐसा नहीं करने दिया । इसी प्रकार वेल्लोर में एक किला है जिसमें एक मन्दिर है और उसमें कोई प्रतिमा नहीं है । हमने मन्दिर में प्रतिमा प्रतिष्ठापित करनो चाही परन्तु केन्द्र ने यह कार्य भी नहीं करने दिया । इस प्रकार के छोटे-छोटे मामलों में केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों के लिये जो धन का नियतन किया जाता है उनमें राज्यों के लिये उनके भाग की विदेशी मुद्रा भी निश्चित की जानी चाहिये ।

गरीबी दूर करने के राज्यों के प्रयासों में केन्द्र से कोई सहायता नहीं मिल रही है इस कार्य के लिए केन्द्र से सहायता मिलनी चाहिये । बजट के कर प्रस्तावों से गरीबों की कठिनाइयां और बढ़ेंगी

ऐसा मैं समझता हूं अतः मैदा, मोटा कपड़ा, सस्ती किस्म के तैयार कपड़े तथा साबुन से कर हटा लिये जाने चाहिये। मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ गई है अतः ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिये कि इस तेल के मूल्य न बढ़ें।

श्री अहमद आगा (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तावों में आय तथा पूंजी सम्बन्धी विषमताओं को दूर करने का प्रयास निश्चय रूप से किया गया है। समाजवाद केवल एक बजट से नहीं लाया जा सकता, इसमें समय लगेगा। देखना यह है कि क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। बजट प्रस्ताव इस बात का प्रमाण है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं।

वित्तमंत्री ने धनीवर्ग पर अधिक कर लगाये हैं। उच्चतम स्तरपर कर सीमा 97.6 आती है और 17.5 लाख से अधिक वाली होल्डिंग्स में करारोपण इतना अधिक है कि इससे विशुद्ध पूंजी भी कम होने लगती है। वित्त मंत्री को उन व्यक्ति पर भी कर लगाने पड़े हैं जो कर भुगतान करने योग्य हैं। यह ठीक है कि डबल रोटी, तैयार कपड़े तथा साबुन आदि के मूल्य बढ़ जाने पर रोष व्यक्त किया गया है। इस संबंध मे वित्त मंत्री को यह भी ध्यान देना चाहिये कि मंहगे तैयार कपड़ों पर कर लगाये जायं, कम मूल्य वाले, गरीबों के उपयोग के तैयार कपड़ों पर कर नहीं लगाये जाने चाहिये।

अन्तरिम बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि हम एक अच्छा बजट पेश करेंगे। परन्तु इस बीच कई समस्यायें सामने आयीं हैं। बंगलादेश की स्थिति से विमुख नहीं हुआ जा सकता। बजट का एक तिहाई व्यय प्रतिरक्षा समबन्धी कार्यों पर करना होता है अतः शेष संसाधन सीमित रह जाते हैं। हमारा विश्वास रहा है कि विकास हेतु शान्ति व्यवस्था प्रमुख है इसीलिये हमने पंचशील का आदर्श विश्व के सम्मुख रखा था।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

गत 20 वर्षों के दौरान हमें दो लड़ाइयां लड़नी पड़ीं, काशमीर में आदिवासियों ने आक्रमण किया और अब 40 लाख शरणार्थियों की समस्या हमारे सामने हैं।

यह सब कुछ होते हुये भी वित्त-मंत्री को शिक्षित बेरोजगारों को ग्रामीण कार्यों में रोजगार दिये जाने चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस उपलब्धि नहीं हो सकती।

अपने कार्यों में लगे हुये व्यक्तियों को अधिक ऋण सुविधायें दी जानी चाहियें। इस समय स्टेट बैंक आफ इन्डिया तथा अन्य बैंकों के नियम, विनियम तथा प्रक्रिया इतने अधिक कठोर हैं कि अधिक ऋण प्राप्त करना संभव नहीं है। लोगों को अधिक ऋण दिये जाने चाहिये जिन्हें वे उत्पादन कार्यों में लगा सकें।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह है कि देश में 2000 करोड़ रुपये के लगभग काला धन है। जब तक इस धन का पता नहीं लगाया जायेगा तब तक सरकार के कार्य इन लोगों के बिना हस्तक्षेप के नहीं किये जा सकते। मेरा सुझाव है कि 100 रुपये के नोट का चलन बन्द कर दिया जाय।

इस बजट से देश की बहुत बड़ी जन संख्या संतुष्ट है।

श्री एम० टी० राजू (नरसापुर) : मैं बजट प्रस्तावों का स्वागत करता हूं तथा साथ ही बजट नीति के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। समाजवादी व्यवस्था की उपलब्धि के लिये आय तथा धन सम्बन्धी विषमताओं को कम करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुये आय तथा पूंजी पर कराधान के स्तरों में कुछ वृद्धियां की गयी हैं। ऐसा किया जाना आवश्यक है। इन वृद्धियों का प्रभाव केवल सभी धनी व्यक्तियों पर नहीं पड़ेगा अपितु धनी वर्ग में सबसे धनी लोगों पर पड़ेगा। कराधान की प्रस्तावित दरों के अनुसार धन की अधिकतम सीमा 10 से 15 लाख के बीच होगी। मुझे भय है कि इतनी ऊंची सीमा बन्दी समाजवादी व्यवस्था लाने में सहायक होगी।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है लगभग सभी राज्यों ने अपने राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। यह ठीक है कि प्रत्येक राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा अलग अलग है फिर भी यह 25 से 30 एकड़ से अधिक नहीं है जिसका मूल्य $1\frac{1}{2}$ और 2 लाख के बीच आता है। क्या यह उचित है कि शहर के व्यापारी को 10 से 15 लाख तक धन एकत्र करने की अनुमति हो और एक ग्रामीण किसान को $1\frac{1}{2}$ अथवा 2 लाख से अधिक की भूमि रखने की न हो? ग्रामीण उद्यमियों के कारण ही देश में हरी क्रान्ति आ सकी है यदि अधिक आय तथा अधिक धन अर्जन करने के लिये लोग ग्रामों से शहरों की ओर दौड़ेंगे तो इस हरी क्रान्ति को बनाये नहीं रखा जा सकता है। मेरे विचार से हमें कुल धन तथा कुल आय को अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिये चाहे यह धन अथवा आय कृषि से अथवा गैर कृषि साधनों से अथवा दोनों से होती हो।

कृषकों की ओर से मैं एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि ट्रैक्टरों पर उत्पादन शुल्क लगाने का जो विचार है उससे धनी किसान तो इस मूल्य का भुगतान आसानी से कर देंगे परन्तु छोटे किसान नहीं कर सकते। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ट्रैक्टरों का उपयोग केवल धनी वर्ग तक ही सीमित नहीं है। सरकार को छोटे किसानों को किश्तों पर ट्रैक्टर दिलाने चाहिये यह निश्चय ही खेद की बात होगी कि लागत मूल्य लगाने के कारण कृषि के यन्त्रीकरण का विकास अवरुद्ध हो जाय।

सरकार का केन्द्रीभूत उद्दश्य या नीति गरीबी का उन्मूलन है। गरीबी तभी समाप्त हो सकती है यदि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के अपने जीवन निर्वाह स्तर को उन लोगों के जिनका जीवन निर्वाह स्तर अच्छा है, समानता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी जाय। गरीबी उन्मूलन का कार्य उन लोगों से आरम्भ किया जाना चाहिये जो सबसे अधिक गरीब हैं। ऐसा करने से ही हम सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को जान सकेंगे। मेरे विचार से ऐसी जातियों में हरिजन, आदिवासी तथा भूमिहीन निर्धन आयेंगे। यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये हमने बहुत सी योजनायें आरम्भ की हुयी हैं और इनसे पददलित जातियों की आय में वृद्धि होगी। परन्तु यह नहीं समझ लेना चाहिये कि इन योजनाओं के कारण आय में जो वृद्धि होगी उससे स्वतः ही उनका सामाजिक तथा भौतिक जीवन स्तर ऊंचा हो जायगा। ये लोग अलग बहुत ही तंग तथा अस्वास्थ्यकर स्थानों में रहते हैं और इनके मकानों की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। इन पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये हमें व्यापक भवन-निर्माण कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिये जिससे कि अगले दस वर्षों में प्रत्येक परिवार को रहने के लिये एक मकान मिल जाय। इस बजट में एक बड़ा उपबन्ध रखना होगा। मेरा तात्पर्य यह है कि वित्त मंत्री को इस बजट में पददलित जातियों का जीवनस्तर अतिशीघ्र सुधारने के लिये पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : It is our aim to establish a democratic socialist society as enshrined in articles 38 and 39 of the Indian constitution. Through the present budget the Finance Minister has tried to strengthen his faith in the Directive Principles of State Policy as envisaged in the constitution.

The articles 38-39 of the constitution often remined us that we should take stepts that the property may not be concentrated in a few hands in our country.

The Supreme Court's judgement in the Golak Nath case had created certain difficulties in the way of taking certain measures for achieving our aim of Socialistic Society. But the Finance Minister has very ably tried to put a ceiling on wealth and income.

The persons with incomes over 2 lakhs of rupees would have to pay taxes over 97% if we try to see the tax proposals put forward by our Finance Minister.

It is not correct to say that the budget proposals has imposed more taxes on the poor people than on the efficient sections of our society. The fact is that 144 crores of rupees has to come by way of import duty which may not effect the poor sections. It is not proper to impose tax on Maida. All out efforts should be made to unearth black money and curb Tax evasion. If we succeed in bringing out black money in the open market it would have a very good effect on our economy.

There is great need to develop the rural areas. More roads, hospitals and improved means of communications are required there. But it is also essential to tax big Zamindars in our villages.

Steps have been taken in the Budget to check the under valuation of the property.

So far as per capita central aid is concerned I think it is very low in Uttar Pradesh i. e. Rs. 56/19. Kindly see that per capita aid to Nagaland is Rs. 790/07. A study in the rise of per capita income also reveals that per capita income of Uttar Pradesh has been comparatively low. The Centre should give consideration to the population of a State while allocating funds for States.

In U. P. the acts imposing ceiling on land was created in 1960. A vicious circle is operating so far as the documentation of the records of the right of village lands vis-a-vis the utilisation of cultivable land is concerned, the Central Government and the State Government should look into it.

The post of the commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is lying vacant for the last one year. This shows the scant regard the Government pays to the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people.

The levy on maida would hit hard the poor people. It should be abolished.

In villages the Scheduled castes people have forgiven the right to vote. Their sisters and daughters are molested in broad day light in the villages.

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : I request the Hon. Member not to generalise his remarks. He can bring to the notice of the Government specific complaints.

Shri B. P. Maurya : I have already sent 374 such complaints to the Prime Minister, Home Minister and the Chief Minister of U. P. The Government has so far caught held 17 cases and could not do any thing in regard to rest.

सभापति महोदय : डा० वी० के० आर० वी० राव ।

श्री बी० पी० मौर्य : मैं सदन से बाहर जा सकता हूं परन्तु मैं अपने सुझाव अवश्य दूंगा। मुझे 15 मिनट से अधिक समय देने के लिए कहा गया था।

Mr. Chairman : So many hon. Members are to participate in the debate. You have already taken more than 20 minutes. No more time can be given to you.

Shri B. P. Maurya : Mr. Chairman, Sir, kindly listen to my proposals. I shall finish in one minute. As I said earlier, the duty on maida should be abolished. Similarly, the duty imposed on ready-made clothes, soap and perfumed oils should also be abolished.

So far as the duty imposed on petrol is concerned, it must be reduced to 10 paisa from 20 paisa. At the same time I want to add that rest of banks should also be nationalised.

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बेल्लारी) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और यह सौभाग्य की बात है कि वित्त मंत्री महोदय का सम्बन्ध भी उसी दल से है, जिससे कि मेरा सम्बन्ध है। इस बजट में आर्थिक न्याय और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं यह केवल इसलिये नहीं कह रहा कि मेरा सम्बन्ध इसी दल से है अपितु मैं यह सब एक अर्थशास्त्री होने के नाते कह रहा हूं क्योंकि मैंने सार्वजनिक वित्त और भारतीय आर्थिक विकास का अध्ययन किया है।

हमारे आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं। प्रथम तो यह है कि हमारी आर्थिक उन्नति कुछ इस प्रकार की तीव्र गति से होनी चाहिये कि हमारी गरीबी को समस्या पर उसका महत्व-पूर्ण प्रभाव पड़ सके। दूसरे हम ग्रामीण क्षेत्रों और पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाना चाहते हैं। तीसरे हम साधारण व्यक्ति को चाहे वह छोटा उद्योगपति हो, व्यापारी हो या कृषक हो, उसे प्रसार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाना चाहते हैं। पांचवें, हम आय तथा धन की विषमता को भी अधिक से अधिक समाप्त करना चाहते हैं। अन्ततः यह सारा कुछ करने के लिए हम मूल्यों और विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को भी स्थिर करना चाहते हैं।

मेरा यह विश्वास है कि यही वे पांच प्रमुख लक्ष्य हैं जिन पर हमारी आर्थिक और सामाजिक नीतियां निर्भर करती हैं और इन्हें क्रियान्वित करने का एकमात्र साधन बजट ही होता है।

[**श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुये**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

मैं अपनी बात उत्पादन दर से आरम्भ करना चाहता हूं। उत्पादन दर में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है? चौथी योजना में केन्द्रीय परिव्यय की राशि 8871 करोड़ रुपये दिखाई गई है। अब तक इस योजना के दो वर्ष पूरे हो गये हैं। यदि अब तक किये गये कुल व्यय तथा चालू वर्ष में किये जाने वाले व्यय और उसमें की गई वृद्धियों को हिसाब में लाया जाय तो कुल व्यय 4000 करोड़ रुपये हो जाता है। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि 4871 करोड़ रुपये अर्थात् चौथी योजना के कुल परिव्यय की 55 प्रतिशत राशि अगले दो वर्षों यथा 1972-73 और 1973-74 में व्यय की जायेगी। इस वर्ष योजना परिव्यय में गत वर्ष की अपेक्षा 155 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। अगले वर्ष की योजना परिव्यय में इस वर्ष के बजट प्राक्कलन की अपेक्षा 700 या 800 करोड़ रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा कि योजना आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है, हम 5.5 प्रतिशत की उत्पादन दर को पूरा नहीं कर सकेंगे।

चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष, 1967-70 में उत्पादन की दर 5.5 प्रतिशत थी। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि वर्ष 1970-71 में भी उत्पादन दर 5.5 प्रतिशत होने की सम्भावना है। वास्तव में यह बात कुछ समझ में नहीं आती। या तो उनके आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ गलती है और या फिर उनके विश्लेषण में कहीं त्रुटि है।

अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण पर विचार करें तो उसके अनुसार वर्ष 1970-71 में कृषि-उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए और औद्योगिक उत्पादन में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये । योजना आयोग ने इस बात को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप उत्पादन-दर को 5.5 प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी और औद्योगिक उत्पादन की भी 9 प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा । अतः मुझे इसमें संदेह है कि वर्ष 1970-71 में उत्पादन दर 5.5 प्रतिशत बढ़ेगी । इस वर्ष अतिरिक्त परिव्यय के परिणाम स्वरूप हमारा उत्पादन 5.5 प्रतिशत हो सकता है परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि प्रश्न केवल निवेष का नहीं है । वास्तविक प्रश्न तो सभी लक्ष्यों को क्रियान्वित करने का है ।

चौथी योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1973-74 में 1290 लाख टन के खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । इसे केवल 950 लाख टन से आरम्भ किया गया था और वर्ष 1970-71 में यह 1050 लाख टन हो गया । अतः इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस क्षेत्र में हमने अपना उत्पादन 110 लाख टन बढ़ाया है जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है । वर्ष 1971-72 सहित आगामी 3 वर्षों में हमने अपना उत्पादन 240 लाख टन बढ़ाना है । क्या बिना उपयुक्त निवेष के हम अपना उत्पादन इतना बढ़ा सकते हैं ? अतः हमें बजट आवंटनों पर चौथी योजना के सन्दर्भ में पुनः विचार करना होगा क्योंकि योजना को क्रियान्वित करने का एकमात्र साधन बजट ही होता है ।

कभी कभी मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि क्या योजना आयोग और वित्त मंत्रालय में कोई पारस्परिक समन्वय है या नहीं । मेरे विचार से तो योजना और वित्त का गहरा सम्बन्ध है । जब तक हम योजना परिव्यय में वृद्धि नहीं करते तब तक हम चौथी योजना के 5.5 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि के साधारण लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते । इसलिये मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमारा वर्तमान बजट उत्पादन-प्रधान नहीं है ।

जहां तक अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का सम्बन्ध है, हमने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने हेतु 50 करोड़ रुपये तथा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु 25 करोड़ रुपये नियत किये हैं । यह एक अच्छी बात है । परन्तु इससे हमारी बेरोजगारी की समस्या हल होने वाली नहीं हैं । बेरोजगारों की समस्या का इसके अतिरिक्त और कोई हल नहीं कि आर्थिक विकास की दर में अत्यधिक वृद्धि की जाये । वस्तुतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमारे आर्थिक-विकास की दर में 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि हो ।

जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों की समस्या का सम्बन्ध है, इसके लिए योजना के अन्तर्गत कई स्कीमें हैं । परन्तु हम इन सब के लिये मुख्यतः राष्ट्रीयकृत बैंकों पर निर्भर करते हैं । इसके लिए कोई विशेष स्कीम नहीं बनाई गई है और न ही इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए बजट में ही कोई विशेष उपबन्ध जोड़ा गया है । अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें छोटे छोटे पैमाने के क्षेत्रों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये क्षेत्रों के बारे में सभा को कुछ जानकारी अथवा आंकड़े देने चाहिये । उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिये कि कितने छोटे व्यक्तियों की सहायता की गई है और पिछड़े क्षेत्रों के लिए क्या किया गया है ।

जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, इस बजट में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो गत वर्ष प्रधान मंत्री द्वारा कर की दर को बढ़ाकर निर्धारित किया गया था, कुछ साहसपूर्ण प्रयास किया गया है । वर्तमान वित्त मंत्री महोदय ने प्रधान मंत्री का अनुसरण किया है और इन दरों में उन्होंने जो वृद्धि करने का साहसपूर्ण कदम उठाया है, वह निश्चय ही उसके लिए हमारी बधाई के पात्र हैं ।

धन कर व्यक्ति की समूची आय पर अदा करना होता है। इसके लिए छूट की सीमा तक को आय में से नहीं घटाया जाता, परन्तु ऐसा करना सही नहीं है। इससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। एक लाख अथवा 1.20 लाख रुपये की आय वाले सब व्यक्ति अपनी आय की एक लाख से कम दिखाने का प्रयत्न करेंगे। अतः मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री महोदय को इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करना चाहिये। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि धन कर अधिनियम के अन्तर्गत दी गई, एक लाख रुपये तक की छूट उन सभी व्यक्तियों को दी जाय, जो धन कर देते हैं। आज हम समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आय की असमानता को समाप्त करने की बातें भी करते हैं परन्तु केवल अधिक आय पर कर लगाने से आय की असमानता समाप्त होने वाली नहीं है। इसके लिये यह अनिवार्य है कि जो कर लगाया जाता है उसे वसूल भी किया जाये और कर चोरी के जितने तरीके हैं, सरकार उन्हें भी बंद करे।

मैं कम कीमत पर बेची जाने वाली सम्पत्ति को सरकार द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस उपबन्ध का उल्लंघन न किया जा सके, सम्पत्ति बिक्री की सभी रजिस्ट्रियां खुले तौर पर की जानी चाहियें।

इस बजट में कृषि क्षत्र में जो आय वृद्धि हुई है उस पर कर लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके साथ ही इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि करदाता को कृषि से होने वाली आय को आयकर के प्रयोजनार्थ गैर-कृषि आय में जोड़ा जाये। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें यह आश्वासन देना चाहिये कि देश भर में कृषि क्षेत्र पर भी समान रूप से कर लगाया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो वह इसके लिये संविधान में संशोधन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

उत्पादन शुल्क पर जो कर लगाये गये हैं, उसके प्रति सभी ने रोष व्यक्त किया है। परन्तु भारत जैसे गरीब देश में, जहां कि अभी संसाधनों को जुटाना बाकी है, करों से बचना बहुत कठिन है। परन्तु हां, कर लगाते समय इस बात की ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन वस्तुओं पर कर लगाया जाये, उसका कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होगी। आज प्रातः के समाचार पत्र में यह समाचार आया है कि एयर इंडिया को विदेश यात्रा कर से जितना लाभ होगा, उसे पैट्रोल की कीमत में वृद्धि से उतनी ही हानि होगी। अतः इस प्रकार के कर लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। इसी प्रकार मोटे कपड़े, सिले-सिलाये वस्त्रों तथा मैदा आदि पर लगाये गये कर से अधिकांश लोगों को कठिनाई होगी और सरकार को भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

मैं सरकारी व्यय के बारे में भी एक दो बातें कहना चाहता हूं। सरकार द्वारा व्यय करने की कसौटी क्या है? संचालन व्यय के दृष्टिकोण से समूचे सरकारी विकास व्यय तथा गैर सरकारी विकास व्यय की जांच करने के लिए एक व्यय आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। कर का जो ढांचा है, उसकी भी जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि कर ढांचे की जांच आज से 15 वर्ष पूर्व की गई थी। अब समय आ गया है जबकि इसके लागत, मूल्य तथा उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों की भी जांच की जानी चाहिये। वित्त मंत्री महोदय को कराधान तथा सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी एक आयोग नियुक्ति करने की सम्भावना पर भी विचार करना चाहिये। यह आयोग इस बात का अध्ययन करेगा कि करों तथा सार्वजनिक व्यय का लागत, मूल्य, उत्पादन तथा वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और समाजवादी समाज की स्थापना के हमारे घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कहां तक अनुकूल है।

समाजवादी समाज में यह आशा की जाती है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम संसाधनों को जुटाने में अधिक से अधिक योगदान दें। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यसंचालन के सम्बन्ध में एक विशेष प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखना चाहिए ताकि सामान्य बजट की भांति उस पर भी चर्चा की जा सके।

कई वर्षों के बाद इस बार फिर घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है। कराधान में वृद्धि किये जाने के उपरान्त भी, केन्द्रीय बजट में कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है और बंगला देश से जाने वाले शरणार्थियों की समस्या के कारण यह घाटा और अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है। विभिन्न राज्य सरकारें भी रिजर्व बैंक से 260 करोड़ रुपये की अधिक धनराशि निकाल चुकी हैं और वित्त मंत्री द्वारा बार-बार अपील करने के बावजूद भी उसमें कोई कमी नहीं की गई है। अब भला इतना घाटा होने के बावजूद भी क्या हम मूल्यों में स्थिरता को कायम रख सकेंगे? वास्तव में घाटे की अर्थ-व्यवस्था के सिवाय हमारे पास और चारा भी क्या है? क्या सरकार के पास घाटे की अर्थ-व्यवस्था विरोधी कोई नीति है? मैं समझता हूं कि इस सदन को मंत्री महोदय से यह पूछने का पूरा अधिकार है कि सरकार इस घाटे की अर्थ-व्यवस्था के प्रभावों को निष्प्रभावी बनाने के लिये क्या प्रभावशाली उपाय कर रही है?

निष्कर्ष यह है कि चुनावों में हमारी भारी जीत के बाद भी और चुनावों के दौरान जनता को दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी, इस बजट में कोई नवीनता प्रस्तुत नहीं की गई है। परन्तु मैं अन्य विरोधी दल के लोगों की तरह यह तो नहीं कहता कि यह एक पूंजीवादी या सामन्तवादी बजट है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि वित्त मंत्री का कार्य एक दुष्कर कार्य होता है और उसके मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं। परन्तु फिर भी इस सभा का सदस्य होने के नाते, बजट का कुछ विश्लेषण कर, अपने सुझाव उनके समक्ष रखना मैं अपना कर्त्तव्य समझता था। मुझे आशा है कि वह मेरे सुझावों और सदन में व्यक्त विचारों की ओर उचित ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस बजट की आलोचना किस दृष्टि से की गई है। इस बजट की एक आलोचना करने वाला तो वह वर्ग है जो सदा ही बजट के नाममात्र परिवर्तनों की भी आलोचना करता है। बजट की आलोचना करने वाला दूसरा वर्ग वह है जिसकी मान्यता यह है कि वर्तमान बजट में सामाजिक मूल्यों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मेरी मान्यता भी यही है कि समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस बजट में कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये। चुनाव के दौरान नई कांग्रेस ने जो गरीबी घटाओ का नारा लगाया था, उसे क्रियान्वित करने के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया।

यद्यपि यहां पर बजट प्रस्तुत करते समय उस पर समाजवाद का बाना चढ़ाया गया है परन्तु वास्तव में इस बजट के पीछे आधार भूत शक्ति तथा इसका मार्गदर्शी सिद्धांत केवल मात्र आत्म कल्याण वाद ही है। मैं समझता हूं कि यह आत्म कल्याण वाद समाज में अथवा अर्थ तन्त्र के ढांचे में परिवर्तन लाने में विश्वास नहीं रखता। अमीर तथा गरीब के बीच की खाई को पाटने में यह बजट पूर्णतया असफल रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। इससे आर्थिक आधिपत्य भी समाप्त नहीं होगा। अपितु यह मुद्रा स्फीति उत्पन्न करेगा और उससे वस्तुओं के मूल्य निश्चित रूप से बढ़ जायेंगे।

सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त आय लेने में सरकार की असफलता सरकारी क्षत्र के विस्तार के लिए

बाधक होगी और इस स्थिति का प्रभाव विकास दर पर अवश्य पड़ेगा। विकास दर के कम रह जाने के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या का कोई पर्याप्त हल नहीं है। अत: इस असफलता के कारण गरीबी हटाओ कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने में भी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

हमारी अर्थ-व्यवस्था की सबसे गलत बात यह है कि गैर कृषि आय के बड़े भाग को कर अपवंचकों और काले धन वालों द्वारा कृषि आय के रूप में दिखाया जा रहा है और सरकार द्वारा इसे रोकने का कोई यत्न नहीं किया जा रहा है। कृषि आय पर आय कर लगाने की बात पर कहा जाता है कि यह विषय राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि संविधान में इस बारे में पर्याप्त संशोधन करके कृषि आय और गैर-कृषि आय को एक साथ जोड़ दिया जाए।

बजट में कड़े करों की व्यवस्था नहीं, इस कारण उपभोग के स्तर को नियंत्रण में रखने और गैर-उत्पादन व्यय को रोकने में भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार की स्थिति में घाटे की अर्थ-व्यवस्था से मूल्यों में और भी बृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप सरकार का गैर-उत्पादन व्यय और बढ़ जायेगा। गैर-उत्पादन व्यय में पहले ही बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है। 1950-51 में यह व्यय 291.5 करोड़ रुपए था और 1970-71 में यह व्यय 2159.9 करोड़ रुपये हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप होने वाली मूल्य वृद्धि के स्तर को रोकने के लिए कोई व्यापक मूल्य नीति नहीं अपनाई गई है।

आर्थिक समीक्षा में यह स्वीकार किया गया था कि गैर-सरकारी तथा सरकारी, दोनों क्षेत्रों में स्थापित क्षमता का कम उपयोग हो रहा है। इसका कारण कच्चे मालों की दोष पूर्ण वितरण नीति के कारण है और जब तक इस नीति में आमूल परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं हो सकता।

कर अपवंचन को रोकने की दृष्टि से न केवल कर ढांचे में सुधार की ही आवश्यकता है परन्तु इसे सरल तथा युक्ति युक्त बनाने की भी आवश्यकता है। इन उपायों के द्वारा ही सम्भवतया कर-अपवंचन कम किया जा सकेगा।

इस बजट में स्वागत योग्य कुछ प्रगितवादी बातें भी हैं जैसे कि कम्पनियों के लाभों पर अधिभार तथा धन कर में वृद्धि। इसी प्रकार 1974 से विकास छूट हटाने तथा पूंजीलाभ कर में वृद्धि करने के प्रस्ताव भी स्वागत योग्य हैं। परन्तु मेरे विचार से इसमें एक बात और होनी चाहिये कि यदि कोई उद्यमी पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्य करे तो उसको विकास छूट मिलती रहनी चाहिये।

पिछलों चुनावों के दौरान लोगों में बहुत अधिक महत्वाकाक्षाएं जागृत की गईं परन्तु बजट बनाने वालों ने जनता की इन सभी भावनाओं पर पानी फर दिया है। लोगों की समाजवादी आशाओं पर तुषारापात हुआ है और इस सदन में तथा सदन के बाहर इसका अवश्य विद्रोह होगा।

श्री दिनेश चन्द गोस्वामी (गोहाटी) : कुछ सदस्यों ने इस बजट को समाजवाद की ओर कदम कहा है जबकि कुछ अन्य ने कहा है कि इस प्रकार के बजट से लोगों को दिये गये आश्वासनों के साथ विश्वास घात किया गया है। मेरा यह मत है कि इस बजट में समाजवाद की ओर ले जाने की शक्ति है। हम उस ओर जा सकेंगे कि नहीं, यह कई अन्य बातों पर निर्भर करेगा।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से ही राष्ट्रीय धन अनुत्पादित कार्यों पर अत्यधिक खर्च होता आ रहा है, यह बहुत ही दुख की बात है। इसी प्रकार 890 करोड़ रुपये की जो राशि करों तथा अन्य देयताओं के बकाया के रूप में है उसका कोई ध्यान नहीं रक्खा गया है। यदि उसमें से कम से कम तिहाई भाग को भी वसूल कर लिया जाता तो इस बजट में घाटा न होता। इसी प्रकार आज का प्रशासकीय ढांचा इस प्रकार की स्थिति में पहुंच चुका है कि इसमें आस्था वाले तथा ईमानदार लोगों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। लाल फीताशाही के प्रभाव में आकर आज की प्रशासकीय मशीन बहुत ही धीमी गति से चल रही है। जिन लोगों का समाजवाद में विश्वास नहीं है वह सरकारी मशीन तंत्र के चलाने वाले हैं। उनसे किसी प्रकार की आशा कैसे की जा सकती है और इसी कारण देश की प्रगति में बाधक बन रहा है।

देश में आज कथनी तथा करनी में पर्याप्त अन्तर व्याप्त हो गया है। जो कुछ हम कहते हैं वह हम अपने लिए न समझ कर दूसरों के लिए समझते हैं। इसके साथ ही एक अन्य भावना जो आज व्याप्त है वह यह है कि देश के शासकों और शासितों के बीच खाई बढ़ती जा ही है। इसी कारण आज सरकारी सम्पत्ति नष्ट की जाती है और उसके लिए लोगों में कोई विचार प्रतीत नहीं होता।

अतः राष्ट्रीय आय के व्यर्थ व्यय को रोका जाना चाहिये। सेवा में निष्ठावान तथा ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। कथनी और करनी का अन्तर दूर होना चाहिये तथा शासकों और शासितों के बीच की खाई भरनी चाहिये। इस सब के द्वारा ही हम समाजवाद की नीतियों को कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकेंगे।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Though the Budget is Socialistic and progressive in approach yet the levies on Soap, Salt, Ready made garments, Maida and Petrol are uncalled for. The increase in taxes on these items effects the lower class and middle classes of Society. The Finance Minister should therefore reconsider about these increases.

There is a provision for imposing a tax on the property of a dead person but there is no provision for imposing any tax on birth. If such a tax is introduced it will go a long way in checking the birth rate. Similarly tax on prizes from lotteries should also be taxed.

Grants given by Central Government to various State Governments are also not being utilized properly. Government is spending a lot of money on literature, Art, Cultural in the name of education. But they are not spending the grants properly. Government should think about the utility of spending so much of money on education.

We should not merely raise slogans of Socialism but check corruption. Only then the country can progress.

श्री सुबोध हसंदा (मिदनापुर) : इस बजट में 177 करोड़ रुपये के नये करों की व्यवस्था है। यह कहा गया है की इन करों का मूल्यों के स्तर पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि बजट के पेश करने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतें 10 प्रतिशत बढ़ गई हैं। परन्तु यह कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। अतः दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए मूल्य स्तर को रोकने के लिए सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिये। वे मूल्य में स्थिरता, अच्छे रहन-सहन का स्तर तथा बेरोजगारी की समस्या का समाधान चाहते हैं।

यदि सरकार इस समस्या का समाधान कर सकती है और मूल्यों में स्थिरता ला सकती है तो किसी को भी देश के विकास के लिये लगने वाले नये करों पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यदि लोग महसूस करते हैं कि नये कर उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने के लिये हैं, यदि लोग महसूस करते कि देश तीव्रगति से प्रगति कर रहा है, यदि लोग देखते हैं कि नये उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं, यदि वे देखते हैं कि आय और मजूरी में बृद्धि हो रही है, यदि वे देखते हैं कि सड़के बन रही हैं और सिंचाई योजनाएं चलायी जा रही हैं तो वे कर प्रस्तावों पर आपत्ति नहीं करते हैं लेकिन यदि लोग आज यह देख रहे है कि बेरोजगारी की समस्या दिन प्रति दिन बड़ती जा रही है तो उनको निराशा ही होती है । वित्त मंत्री महोदय ने बेरोजगारी की समस्या के लिये 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की है । मेरे विचार में दिन प्रति दिन बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये यह राशि अपर्याप्त है ।

पश्चिम बंगाल में समस्या और भी गम्भीर है हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के कुछ कारखाने धीरे धीरे बंन्द होते जा रहे हैं और कुछ कारखानों ने तालाबन्दो की घोषणा कर दी है अनेक कारखाने अपना विस्तार नहीं कर सके हैं ।

इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या दिन प्रति दिन बड़ती जा रही है । ये सब समस्याऐं इस लिये पैदा हो रही हैं कि पश्चिम बंगाल में उद्योगों के विकास हेतु लोहा तथा इस्पात सरीखा कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो रहा है । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये जिससे पश्चिम बंगाल के उद्योगों की गिरती स्थिति को यथा शीघ्र सुधारा जा सके ।

पश्चिम बंगाल में व्याप्त असंतोष की जानकरी सब को है नकसलवादी कौन हैं ? शिक्षित नौजवान ही इस अन्दोलन में भाग ले रहे हैं क्योंकि इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है । इसीलिये मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे पश्चिम बंगाल के लिये अधिक राशि की व्यवस्था करें ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके ।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, जहां नौजवान जनता को नकसलवादी आन्दोलन में भाग लेने के लिये उकसाते हैं । मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों के विकास हेतु तथा सड़कनिर्माण के लिये अधिक राशि की व्यवस्था करे ।

केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उत्थान के लिये राशि का नियतन करती आ रही लेकिन राज्य सरकारें धन राशि का इस काम के लिये उपयोग नहीं करती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जनजाति वाले क्षेत्रों के विकास का कार्य केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले ।

सन् 1960 में अनुसूचिन जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में एक आयोग की स्थापना की गयी थी जिसने कई सिफारिशें को थीं । इन सिफारिशों को अभी तक भो पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है । मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि इस आयोग की सिफारिशें लागू करने से अनुसूचित जनजातियों का कितना विकास हुआ है, यह देखने के लिये एक दूसरे आयोग की स्थापना की जानी चाहिये ।

श्री एन० शिवप्पा (हसन): मैं श्री चह्वाण को एक बहुमूल्य बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं । इस बजट को विपक्ष ने आलोचना की है। निस्सन्देह बजट प्रस्तावों में असंतोष के कारण हैं लेकिन फिर भी इतने गम्भीर नहीं कि इसकी अधिक आलोचना की जाये ।

विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बजट प्रस्तावों का समृद्ध किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । टाटा, बिड़ला तथा अन्य बड़े बड़े व्यापार गृह काला धन बटोर कर, करों से बचते आ रहे हैं । कुछ विशिष्ट वर्ग के राजकीय कर्मचारी भी ऐसा ही करते आये हैं । परिणाम-स्वरूप किसान, मध्यवर्ग तथा निम्नवर्ग के लोगों पर ही पैट्रोल, मैदे आदि पर लगे करों का बोझ पड़ा है।

इस विधेयक के द्वारा जनता से पैसा वसूल किया जाता है जो पुनः लोगों को दिया जाता है । यह समाजवाद एक कार्यक्रम है । सत्तारूढ़ दल ने लोगों से कुछ वायदे किये हैं । हम इन वायदों को पूरा कर रहे हैं ।

अन्न के मामले में आज हम आत्मनिर्भर हैं । 1981 तक हमें 6 करोड़ टन अधिक अन्न की आवश्यकता होगी । हम इस अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा न करें तो हमारी प्रगति नहीं होगी । वित्त मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना है ।

हमें किसानों से कर नहीं लेना चाहिये क्योंकि हम उन्हें पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते हैं ।

लोग टैक्सी वालों तथा स्कूटर वालों की सस्ती लोकप्रियता के लिये निंदा करते हैं । कसूर इनका नहीं बल्कि पेट्रोल का है जो पैट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं। इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये । मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये जो अन्य लोगों का अहित करके धन जमा करते हैं । उदाहरण के लिये सिगरेट की बात लीजिये सिगरेट बनाने वाले 5 पैसे में एक सिगरेट तैयार करता है और वह दस लाख सिगरटें जमा करता है और घोषणा के बाद वह पुराने स्टाक की सिगरटों को दस पैसे में बेचता है और रात भर में करोड़पति या लखपति बन जाता है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री को क्यों दोषी ठहराया जाता है । कर की चोरी कौन करता है ? बड़े व्यापार गृह तथा नौकरशाह ही ऐसा करते हैं। देश में लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि का काला धन पड़ा है । काले धन के जमाखोर इस धन की घोषणा क्यों नहीं करते । मैं वित्त मंत्री महोदय से एक निवेदन करता हूं। छोटे ट्रैक्टरों पर कर लगाना आवश्यक है जिससे कृषि की प्रगति में बाधा पड़ती है, इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिये ।

द्रमुक दल के माननीय सदस्य से मैं यही कहूंगा कि 1924 के करार के अनुसार मैसूर राज्य की सभी प्रायोजनाओं का निर्माण अवश्य होना चाहिए ।

सभापति महोदय : श्री शिवपूजन शास्त्री ।

श्री शिवपूजन शास्त्री (विक्रमगंज) **उठे** ।

सभापति महोदय : ये कल बोलेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा, बुधवार, 9 जून, 1971/19 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, June 9, 1971/Jyaistha 19, 1893 (Saka).